Preservation Unit 12-8-84
Fumigated On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

[Twelfth Session]

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, सोमवार, 7 दिसम्बर, 1970/16 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 19, Monday, December 7, 1970/Agrahayana 16, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—19
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
541. हालेण्ड की फोक्कर कम्पनी द्वारा नये जेट विमान एफ. 28 के विक्रय/निर्माण का प्रस्ताव	Offer for Sale/Manufacture of New Jet Aircraft F-28 by Fokker Company of Holand ...	1—3
543. सन्तति निरोध के उपायों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव	Psychological effects of birth control methods ...	3—6
544. दिल्ली में पट्टे की प्रथा का समाप्त किया जाना	Abolition of lease hold system in Delhi	6—10
545. सेवानिवृत्त शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of retired Short Service Commissioned Officers ...	10—14
546. भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा भारत को सप्लाई की गई तोपें	Mortars supplied to India by Israel during the Indo-Pakistan conflict ...	14—16
547. डीजल आयल का उत्पादन और खपत	Production and Consumption of Diesel Oil ...	16—18
549. पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता के बारे में भारत के मत के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया	US reactions re : India's Interpretation of US Military Aid to Pakistan ...	18—19

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT-NOTICE QUESTION		19—21
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
5. तलचर उर्वरक संयंत्र पर निर्माण कार्य का बन्द होना	Stoppage of construction work at Talcher Fertilizer Plant ...	19—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		22—109
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
542. हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड का अध्यक्ष	Chairman of Hindustan Aircraft Ltd.	22
548. त्रिपुरा की सीमाओं पर पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं का जमाव	Concentration of East Pakistan Forces on the Border of Tripura ...	22
550. मलेरिया के उन्मूलन के लिए भारत-पाक अधिकारियों की बैठक	Indo-Pak. Officials meeting for Eradicating Malaria ...	22—23
551. चीन और पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन	Violations of Indian Borders by China and Pakistan ...	23
552. भारतीय तेल निगम को कम लाभ	Low Profits by Indian Oil Corporation ...	24
553. बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बी. एन. के. क्षेत्र में करगाली कोयला गड्ढों में आग	Fire in Kargil Pits, BNK zone of NCDC in Bihar ...	24—25
554. राजस्थान और गुजरात में पाये गये गन्धक के निक्षेप	Sulphur Deposits found in Rajasthan and Gujarat ...	25
555. चौथी योजना में एल्यूमिनियम विकास कार्यक्रम	Aluminium Development Programme during Fourth Plan ...	25—26
556. नई दिल्ली नगरपालिका में इमारतों के कर सम्बन्धी नोटिस	Tax Notices for buildings in NDMC area ...	26
557. विदेशों में भारतीय सप्लाई मिशन	Indian Supply Missions Abroad	26—27
558. रामगिरि (आंध्र प्रदेश) में स्वर्ण निक्षेप	Gold Deposits at Ramagiri (Andhra Pradesh) ...	27

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
559. विदेशी टेलीविजन कम्पनियों की फिल्मों में भारत के बारे में प्रदर्शित गलत धारणा को दूर करने के लिए कार्यवाही	Steps to counter Wrong Image created about India by Films of Foreign T. V. Companies ...	27—28
560. भारतीय तेल निगम का विस्तार	Expansion of Indian Oil Corporation	28
561. छिपे नागाओं को चीन तथा पाकिस्तान से सहायता	Sino-Pak. aid to underground Nagas	29
562. स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई	Supply of Barrels to IOC by Standard Drum and Barrel Manufacturing Company ...	29
563. कोयाली पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के पहले चरण में खर्च की गई पूंजी	Capital expenditure incurred during first stage of Koyali Petro Chemical Complex ...	30
564. भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में बातचीतों में हुई प्रगति	Progress in negotiations for World Bank Assistance for India's Fertiliser Programme ...	30
565. कुछ औषध तथा भेषज कम्पनियों द्वारा कम लागत पर सामान्य औषधियों का उत्पादन करने की पेशकश	Offer by certain Drugs and Pharmaceutical Companies to produce common Drugs at low cost ...	31
566. दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द जी के स्मारक की स्थापना	Setting up of Memorial of Swami Shraddhanandji in Delhi ...	31
567. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के जरिये रूसी चलचित्र प्रोजेक्टरों के लिए क्रयादेश	Supply order for Russian Motion Picture Projectors through DGS and D ...	31—32
568. गोआ के गैर-सरकारी क्षेत्र में नाइलोन रेशे के धागों के कारखाने की स्थापना	Setting up of Nylon Filament Yarn Unit in Private Sector in Goa ...	32
569. हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता के बारे में आस्ट्रेलिया के नौसेनाध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of Australian Naval Chief regarding Power vacuum in Indian Ocean ...	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
570. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि	Increase in amount of contribution to U. N. Development Programme ...	33
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3489. इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Electronic Medical Equipment ...	33—34
3490. किरीबूरू लौह अयस्क परियोजना द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Kiriburu Iron Ore Project ...	34—35
3491. कैंसर अनुसन्धान संस्थान के डा०. एम. बी. सहस्रबुद्धि द्वारा ल्यूकेमिया रोग का इलाज	Treatment of Leukaemia by Dr. M. B. Sahasrabudhe of Cancer Research Institute ...	35
3492. राष्ट्रीय खनिज विकास द्वारा बेलाडिल्ला तथा बेलारी हास्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों का विकास	Development of Ir on Ore Deposits in Bailadilla and Ballary Hospet Area by NMDC ...	36
3493. मूल्यवान पत्थरों तथा हीरों के लिए पृथक् सरकारी उपक्रम की स्थापना	Setting up of separate Public Sector Undertaking for Precious Stones and Diamonds ...	36
3494. शान्तिकारक औषधियों के उपयोग के कारण विकृत शिशुओं का जन्म	Birth of Defective Babies as a result of using Tranquilizers ...	37—38
3495. मौखिक पोलियो वैक्सीन	Oral Polio Vaccine	38—39
3496. भारतीयों को बर्मा से बाहर जाने की अनुमति न दिया जाना	Indians not permitted to leave Burma	39
3497. सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण	House Building Advances to Government Servants ...	39
3498. गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली	Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi ...	39—40
3499. भारत इलैक्ट्रोनिक्स के लिए विस्तार योजनायें	Expansion schemes for Bharat Electronics...	40—41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3500. राजदूतों, उच्च आयुक्तों आदि के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिये अवसर	Chances for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Ambassadors, High Commissioners, etc. ...	41
3501. स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के तकनीकी कर्मचारियों के लिए पंजाब के वेतनमान	Punjab Pay Scales for technical Staff of Post Graduate Institute, Chandigarh ...	41—42
3502. मदाम स्वेतलाना के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री को पत्र	Letters Written by Governor of West Bengal to Former External Affairs Minister re : Madam Svetlana ...	42
3503. नेताजी के भाषणों का संकलन	Compilation of Netaji's Speeches	43
3504. पंजाब में सन्तुलित उर्वरक का निर्माण करने हेतु कणीयन कारखाना (ग्रेन्यूलेशन प्लांट)	Granulation Plant for Manufacture of balanced Fertilizer in Punjab ...	43—44
3505. बंगलौर में हैलीकाप्टर कारखाना	Helicopter Factory at Bangalore	44
3506. पटना विश्वविद्यालय की एम. बी. बी. एस. की परीक्षाओं में कथित अनियमिततायें	Alleged Irregularities in M. B. B. S. Examination of Patna University ...	44—45
3507. वीसा के बिना 'टारोन्टो ग्लोब एण्ड मेल' के संवाददाता की भारत यात्रा	Toronto Globe and Mail Correspondent's visit to India without a Visa ...	45
3508. भारतीय सेना में जातियों के नाम पर रेजिमेंटें	Caste Nomenclatures of Regiments in Indian Army ...	45—46
3509. गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए तमिलनाडु को आवासीय आवर्ती निधि से केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Tamil Nadu for Clearance of Slums from the Revolving Funds for Housing ...	46
3510. उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूत का वक्तव्य	Statement of North Korean Consul General ...	46
3511. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करना	Facilities to secure Housing by Retiring Central Government Servants ...	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3512. नेपाल में भारतीय फिल्म मेला रद्द किया जाना	Cancellation of Indian Film Festival in Nepal ...	47
3513. चण्डीगढ़ में कम तथा मध्यम आय वाले व्यक्तियों को प्लाट देना	Provision of plots to the Low and Middle Income Groups in Chandigarh ...	47—48
3514. प्रधानमन्त्री द्वारा जनेवा का दौरा	Visit of P.M. to Geneva	48
3515. राजस्थान में पेय जल की समस्या	Problem of potable water in Rajasthan	48—49
3516. अकाल ग्रस्त हो सकने वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of underground water in Famine prone Areas ...	49
3517. नागा विद्रोहियों द्वारा आत्म-समर्पण	Surrender by Hostile Nagas	50
3518. दौरे के समय प्रधान मन्त्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विशेष विमानों का प्रयोग	Use of IAF Special Planes by P.M. during tours ...	50
3519. मिजो विद्रोहियों द्वारा 'नेफा' सीमा पर शिविरों की स्थापना	Setting up camps at NEFA BORDERS by Mizo hostiles ...	50—51
3520. कोटला फिरोजशाह (विक्रम नगर) दिल्ली के शरणार्थी निवासियों की एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum by the Association of Refugees Residents of Kotla Ferozshah (Vikram Nagar) Delhi ...	51
3521. प्रधानमंत्री को अम्बाला छावनी के शरणार्थियों, भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा अन्य लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation received by Prime Minister from refugees, ex-army officers and others of Ambala Cantonment ...	51—52
3522. 15 डेनियर नाइलोन धागों की ऊंची कीमतें	High cost of 15 Denier Nylon Yarn	52
8523. सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार	Soviet Land Nehru Awards	52
3524. खाद्य पदार्थों के स्तर सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन	Report of sub-Committee for Food Standard ...	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3525. कलकत्ता में हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली इन्जन ओवरहालिंग की सुविधायें	Engine overhaul facilities at HAL Bangalore ...	53
3526. गांवों में कार्य करने के लिये मेडिकल कालिज के छात्रों से बांड भराना	Bond from Medical Students for serving in villages ...	54
3527. केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम का कार्य	Working of the Central Housing and Urban Development Finance Corporation ...	54—55
3528. अधिक खपत वाली औषधियों का मूल्य ढांचा	Cost structure of bulk drugs	55
3529. एअर हैमर ड्रिलिंग रिग	Air Hammer drilling Rigs	56
3530. परिवार नियोजन सम्बन्धी अनुसन्धान पर व्यय	Expenditure on Family Planning Research ...	56—57
3531. भारत-बर्मा सीमा आयोग	Indo-Burma Boundary Commission	57—58
3532. निर्यातोन्मुख ऐल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना	Setting up of Export Oriented Aluminium Plants ...	58
3533. जनेवा तथा त्रिपोली में राजनयिक मिशनों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of diplomatic Missions at Geneva and Tripoli ...	58—59
3534. दिल्ली विकास प्राधिकरण पर व्यय	Expenditure on DDA	59
3535. झंडेवाला बाजार, दिल्ली, का विकास	Development of Jhandewala Market, Delhi ...	59—60
3536. दिल्ली विकास प्राधिकरण श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Agitation by DDA Shramik Sangh Workers ...	60
3537. सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिरक्षा पर लिखी गई पुस्तकें	Books Written by Retired Military Officers on Defence ...	61
3538. संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा भारत को युद्ध सामग्री की सप्लाई	Supply of War Material to India by UAR ...	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3539. नई दिल्ली स्थित जोर्डन दूतावास की सुरक्षा के बारे में जोर्डन से विरोध पत्र	Protest note from Jordan Re : Protection of Jordinian Embassy in New Delhi ...	62
3540. खनिज उत्पादन में वृद्धि	Increase in Mineral Production	62
3541. जवानों को दिये जाने वाले हथियारों और उनकी वर्दियों में सुधार	Improvements in Uniform and Weapons Supplied to Jawans ...	63
3542. उद्योगों की मांग को देखते हुए आयातित धातुओं की स्थिति	Position of Imported Metals in Relation to Requirements of Industries ...	63
3543. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, के शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम	Rules Regarding Appointment of Members of Governing body of AIIMS, New Delhi ...	63–64
3544. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों का नामांकन	Nomination of Members of the Governing Body of AIIMS, New Delhi ...	65
3545. अथरमुरा और बारापुरा में पेट्रोलियम के छिद्रण कार्य में हुई प्रगति	Progress in drilling for Petroleum at Atharmura Baramura in Tripura ...	65—66
3546. इन्द्रपुरी नई दिल्ली में मल-नालियों की व्यवस्था	Laying of Sewage System in Inder Puri, New Delhi ...	66
3547. भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार के लिए शर्तों के बारे में रेडियो पेकिंग से प्रसारण	Radio Peking Broadcast re : terms and conditions for improvement in Sino-Indian Relations ...	67
3548. देश में नये चिकित्सा कालेजों का खोला जाना	Opening of New Medical Colleges in the Country ...	67—68
35-9. पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन	Violation by Pakistan of Tashkent Declaration ...	68—69
3550. मोटर स्पिरिट में मिलावट	Adulteration of Motor Spirit	69
3551. देश में गैर-सरकारी चिकित्सा कालेज	Private Medical Colleges in the Country ...	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3552. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by National Coal Development Corporation ...	69—70
3553. कोयला बोर्ड द्वारा खान भरने के लिए कुछ कम्पनियों को दी गई सहायता	Assistance by Coal Board for stowing of Mines to certain companies ...	70
3554. भारतीय पुस्तकों का रशियन तथा रूस की अन्य भाषाओं में अनुवाद	Translation of Indian Books in Russian and other Languages of USSR ...	70—71
3556. सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित औषधियों के तुलनात्मक मूल्य	Comparative Prices for Medicines produced by Public and Private Sectors ...	71
3557. लाजपत नगर, नई दिल्ली की कस्तूरबा कालोनी को स्वीकृति	Approval of Kasturba Colony of Lajpat Nagar, New Delhi ...	71—72
3558. काश्मीर के विवाद पर पाकिस्तान को फ्रांस का कथित समर्थन	Alleged French Support to Pakistan on Kashmir dispute ...	72
3559. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कैंसर का उन्मूलन	Eradication of cancer by Homoeopathic system ...	72—73
3560. देश से चेचक का उन्मूलन	Eradication of Small Pox in the country ...	73
3561. चीनी क्रान्ति की 21वीं वर्षगांठ के दिल्ली समारोह में भाग लेने वाले भारतीय	Indians who attended 21st Anniversary of Chinese Revolution in Delhi ...	73
3562. विजयन्त टैंकों का निर्माण	Production of Vijayanta Tank	74
3565. पेट्रोलियम तथा पेट्रो-उत्पादों के मूल्यों पर शान्तिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन	Examination of Shatilal Shah Committee Report on pricing of Petroleum and Petroleum Products ...	74
3566. गुजरात में निर्यातोन्मुख एल्यूमीनियम संयंत्र	Export Oriented Aluminium Plant in Gujarat ...	74—75
3567. नई दिल्ली में महाराष्ट्र के फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम (1963) का लागू किया जाना	Operation of Maharashtra Ownership Flats Act 1963 in New Delhi ...	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3568. कनाट प्लेस के एक मील के रेडियस के भीतर पांच मंजिलों से अधिक मंजिलों की इमारतें	Buildings more than five storeys within a radius of one mile of Connaught Place ...	76
3569. इम्फाल में क्षेत्रीय मेडिकल कालिज की स्थापना	Setting up of Regional Medical College at Imphal ...	76
3570. मध्य प्रदेश लौह अयस्क परियोजना द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Madhya Pradesh Iron Ore Project ...	77
3571. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध दवाइयों की कमी के बारे में शिकायतें	Complaints against Health Centres in Madhya Pradesh for Shortage of Drugs...	77
3572. मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Family Planning Centres in Madhya Pradesh ...	77
3573. मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए केन्द्रीय एककों की स्थापना	Setting up of Central Units to Prevent Food Adulteration in Madhya Pradesh ...	78
3574. मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के नए निक्षेपों का पता लगाना	Location of New Iron Ore Deposits in Madhya Pradesh ...	78
3575. प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों का विस्तार	Expansion of Defence Production Units ...	78—79
3576. परिवार नियोजन के लिए दी गई निधि का बिहार द्वारा प्रयोग न किया जाना	Non-utilization of Funds Provided for Family Planning by Bihar ...	79
3577. भारत-मूलक व्यक्तियों का नेपाल से निष्कासन	Eviction of Indians from Nepal	79—80
3578. भूमिगत/भूमि के ऊपर तेल पाइप लाइनों की सुरक्षा के प्रबन्ध	Arrangements for Security of Underground/Overground Oil Pipelines ...	80
3579. गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार/कानपुर निगम की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh Government/Kanpur Corporation for Slum Clearance Scheme ...	80—81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3580. प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना	Setting up of Defence Production Board ...	81
3581. आयुध कारखानों तथा निरीक्षणालयों में लोअर डिवीजन तथा अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात	Ratio of L.D.Cs. and U.D.Cs. in Ordnance Factories/ Inspectorates ...	81—82
3582. कानपुर में विशिष्ट मिश्रित इस्पात कारखाने की स्थापना करना	Setting up of special Alloy Steel Plant at Kanpur ...	82
3584. शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय और जल निकासी की सुविधाओं का अपर्याप्त तथा मन्द विकास	Inadequate and slow development of water supply and drainage facilities in Urban areas ...	82—83
3585. फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि में वृद्धि	Extension of term of Managing Director, Fertilizer and Chemical, Travancore Limited ...	84
3586. भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देना	Recognition of Indian system of medicine ...	84—85
3587. देश में अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी	Unregistered Medical Practitioners in the country ...	85
3588. एक सैनिक ट्रक चालक की दिल्ली में गिरफ्तारी	Arrest of a Military Truck Driver in Delhi	85
3589. चिकमागालूर जिले में खनन क्षेत्र में प्रगति	Progress at Mining Complex in Chickmagalur District ...	86
3590. चौथी योजना के अन्त तक बैनजीन की सप्लाई की स्थिति बिगड़ना	Deterioration in Supply position of Benziene by the End of Fourth Plan ...	86—87
8591. निरोध कार्यक्रम के समर्थन में व्यापक विज्ञापन अभियान के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी	US AID for Massive Advertising Campaign in support of Nirodh Programme ...	87—88
3592. भूमिहीन कृषि-मजदूरों के लिए आवास योजना	Housing Scheme for Landless Agricultural Labourers ...	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3593. कोक्कर कोयले के अनुमानित भण्डार तथा उसकी मांग	Estimated Reserves and Demand of coking coal ...	88—89
3594. स्वेज नहर को पुनः चालू करना	Opening of Suez Canal	89—90
3595. गाजियाबाद में दूसरा इलेक्ट्रानिक कारखाना	Second Electronic Factory at Gaziabad	90
3596. केरल में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Family Planning Programme in Kerala ...	90—91
3597. आयुध कारखानों में क्लर्क वर्ग में गतिरोध	Stagnation of Clerical Staff in Ordnance Factories ...	91—92
3598. प्रतिरक्षा अनुसन्धान कार्य पर हुआ खर्च	Expenditure on Defence Research	92—94
3599. ऋषिकेश में कीटनाशी औषधि कारखाने में हुई हानि	Loss suffered by Antibiotics Factory, Rishikesh ...	94—95
3600. सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिपूर्ति के आधार पर मकान सीधे किराये पर लेना	Direct Hiring of Houses by Army Officers on Reimbursement Basis ...	95
3601. प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए किराये पर लिए गये मकानों की संख्या	Number of Hired Houses for Defence Services ...	95—96
3602. राकेट तथा मिसायल बनाने के लिए कम्पनी की स्थापना	Setting up of a Company for manufacturing Rockets and Missiles ...	96
3603. नरैना कालोनी के गिराये गये फ्लैटों में परिवर्तन	Alterations in Flats Demolished in Naraina Colony ...	96—97
3604. खनिजों को तेजी से निकालना	Speedy Expolitation of Minerals	97
3605. परिवार नियोजन के लिए राज्यों को सहायता देने की कसौटी	Criteria for Assistance to States for Family Planning ...	97—98
3606. दक्षिण कोरियाई शिष्टमंडल	South Korean Delegation	98
3607. सरकारी फ्लैटों/मकानों में रहने वाले लोगों के निजी मकानों को खाली करना	Dehiring of Houses where Owners were in possession of Flats/Houses ...	98—99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3608. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए रेलवे के डाक्टरों का चुनाव	Selection of Railway Doctors by C.H.S. ...	99
3610. पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में गैर तकनीकी कर्मचारी	Nontechnical Employees in Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals ...	99—100
3611. धूम्रपान तथा तम्बाकू खाने का प्रतिकूल प्रभाव	Adverse Affect of Smoking and Tobaco Chewing ...	100
3612. लूप लगाने के लिए महिला होमियोपैथ डाक्टर	Lady Homoeopaths for IUCD Programme...	100—101
3613. तेल निकालने के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव	Foreign Collaboration for Oil Drilling	101
3615. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के दल द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे देशों का दौरा	Visit by N.M.D.C. Team to Iron Ore Producing Countries ...	101
3616. विमानों और विजयंत टैंक के फालतू पुर्जे	Spare Parts of Aircraft and Vijayanta Tank	102
3617. भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक की नई किस्म का विकास	Development of New Kind of Plastic by Indian Scientists ...	102
3619. छावनी बोर्ड अधिनियम एवं नियमों का संशोधन	Amendment to the Cantonment Board Act and Rules ...	102
3620. छावनी बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	High/Higher Secondary Schools run by Cantonment Boards ...	102—103
3621. भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शनों तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि	Increase in Pensions and Facilities to ex-service-men ...	103—104
3622. मेडिकल कालेज में नियुक्त प्राध्यापकों तथा प्रोफेसरों के वेतनमान	Pay Scales of Lecturers and Professors employed in Medical Colleges ...	104
3624. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा अस्पताल नई दिल्ली, के प्रांगण में झुग्गी बस्ती	Shanty Colony within the Compounds of Lady Hardings Medical College and Hospital, New Delhi ...	104—105

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3625. बरौनी पेट्रो रसायन उद्योग समूह की प्रगति	Progress of Barauni Petro Chemical Complex ...	105—106
3626. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory ...	106—107
3627. दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय खोलने के लिए अनुमति प्राप्त भारतीय फर्म	Indian Firms permitted to open offices in South Africa ...	107
3628. महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले में एल्यूमिनियम फैक्टरी के कार्य में प्रगति	Progress at Aluminium Factory in Ratnagiri District Maharashtra ...	107—108
25 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to U. S. Q. No. 4121, dated 25th March, 1970 ...	108—109
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	109—14
इंडियन एयर लाइन्स के विमान चालकों द्वारा एवरो विमानों को उड़ाने से इन्कार किये जाने का समाचार	Reported refusal by Indian Airlines Pilots to fly Avros ...	109—14
श्री बे० कृ० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chaudhary	109
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	109
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	114
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	114
सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में याचिका	Petition re. Service conditions of Employees of M.E.S. ...	114—16
5 दिसम्बर, 1970 को दिल्ली में जामयेर डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Crash of Jamair Dakota Aircraft in Delhi on 5th December, 1970 ...	115
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक	Labour Provident Fund Laws (Amendment) Bill ...	116—17
पुरःस्थापित	Introduced	117
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Indian Medicine Central Council Bill	117—31
विचार करने के लिए प्रस्ताव, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	117
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	118
श्री शिव शर्मा	Shri Shiv Sharma	119
श्री श्रद्धाकार सूपकर	Shri Sradhakar Supakar	121
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	122
श्री रंगा	Shri Ranga ...	122
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	123
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	123
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	124
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	125
श्री कमलानाथन्	Shri Kamalanathan	126
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	127
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K. M. Abraham	127
श्री मंगलाथुमाडम	Shri Mangalathumadam	128
श्री नरदेव स्नातक	Shri Nardeo Snatak	128
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	129
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	130
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	131
54वां प्रतिवेदन	Fifty Fourth Report	131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आधे-घण्टे की चर्चा कलकत्ता की गन्दी बस्तियों का सुधार करने के लिए समयबद्ध योजनाएं	Half-an-hour Discussion Re : Time Bound Schemes for improvement of Calcutta Slum ...	131—36
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	131
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	135

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 7 दिसम्बर, 1970/16 अग्रहायण, 1892 (शक)

Monday, December 7, 1970/Agrahayana 16, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हालैण्ड की फोक्कर कम्पनी द्वारा नये जैट विमान एफ-28 के विक्रय/निर्माण का प्रस्ताव

*541. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैण्ड की फोक्कर कम्पनी ने इण्डियन एयरलाइन्स को अपने नये जैट विमान एफ-28 के विक्रय का प्रस्ताव किया है तथा सरकार के सम्मुख भारत में अपने सहयोग से उक्त एफ-28 जैट विमानों के निर्माण की एक योजना भी पेश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं तथा सहयोग सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य समझती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) एफ-28 छोटी ढुलाई का 60 सीटों वाला एक जैट परिवहन विमान है कि जिनमें राल्स राईस स्पे जूनियर टर्बो फैन इंजनों से फिट किए होते हैं। इसकी सामान्य अधिकाधिक चाल 849 किलोमीटर होती है और सामान्य ऊंचाई 30000 फुट।

(ग) फोकर कम्पनी के प्रस्ताव में शामिल है—

(1) भारत में विमानों के लिए आवश्यक डाटा प्रदान करना, इंजीनियर डाटा, निर्माण डाटा, तकनीकी सहायता डाटा की सप्लाई और सलाह सहायता।

(2) एच० ए० एल० को आवश्यक संघटकों, पुर्जों, द्रव्यों, औज़ारों और साजसामान की सप्लाई।

(3) लगभग 4 वर्षों के लिए भारत में एक तकनीकी सम्पर्क दल नियुक्त करके और हालैंड तथा भारत में भी भारतीय सेविवर्ग को प्रशिक्षण देकर एच० ए० एल० को सहायता।

(घ) इससे पहले कि निर्णय लिया जा सके विमानों की उपयुक्तता तथा उनको आवश्यक विमानों की संख्या के बारे में इण्डियन एयर लाइन्ज़ की सिफारिशों की प्राप्ति पर फोक्कर कम्पनी से इस मामले पर आगे बात चलाई जाएगी।

श्री न० कु० सांघी : मैं जानना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने एवरो विमान का निर्माण प्रारम्भ किया था तो, क्या उस समय लोक-लेखा समिति ने गम्भीर आरोप लगाए थे। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या फोक्कर-28 के निर्माण के लिए अलग कम्पनी बनाई जाएगी अथवा वर्तमान संगठन में इसका निर्माण किया जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकारी उपक्रम समिति ने इस मामले की जांच की है और यह सुझाव दिया है कि 'मिग' विमान के कारखाने की अलग से स्थापना की जाए। एरोनाटिक्स समिति ने भी इस मामले की जांच की है और चार या पांच वर्षों के लिए यह निर्णय किया गया कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में एक कारखाना होना चाहिए। जहां तक फोक्कर-24 के निर्माण का सम्बन्ध है, यह अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। हमने असैनिक उड्डयन मंत्रालय से अभी यह जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या इस विमान की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री न० कु० सांघी : माननीय मंत्री ने इण्डियन एयरलाइन्स से जानकारी मांगी है कि क्या ये विमान उनके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। परन्तु मेरे विचार में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह होगी कि आर्थिक पहलू की जांच की जाए। यह देखा जाए कि क्या इससे आर्थिक लाभ होगा या नहीं। इसके बाद ही इस मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की राय मांगी जाए।

श्री प्र० चं० सेठी : प्रथमतः हमें यह जानना होगा कि क्या इस विमान की आवश्यकता होगी या नहीं और यदि होगी, तो कितने विमानों की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही इस प्रश्न

पर विचार किया जाएगा कि क्या इसका निर्माण मितव्ययी होगा या नहीं और सहयोग की क्या शर्तें होंगी ।

सन्तति निरोध के उपायों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

*543. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतति निरोध के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न उपायों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) लूप तथा नसबन्दी के मामलों में अनुवर्ती सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भाग (ख)

मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की समस्या का अध्ययन वासेक्टोमी और ट्यूबक्टोमी जो इस कार्य-क्रम में अपेक्षतया पुराने और लोकप्रिय तरीके हैं, की दृष्टि से कर लिया गया है । गोलियों का प्रयोग अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है, अत: उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । गर्भाशय वाले तरीके (लूप) का मामला कुछ विचित्र ढंग का है क्योंकि इसकी तात्कालिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं इतनी सुप्रकट हो गई हैं कि इसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बारे में, जिनको समझने के लिए इनका अपेक्षतया लम्बे समय तक निरन्तर उपयोग जरूरी है, बहुत ही कम जाना जा सका है ।

पुरुष नसबन्दी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन तीन आयामों से किया गया है— आम संतुष्टि, कामेच्छा या क्रिया में परिवर्तन तथा सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन । अब तक किये गये चार अध्ययनों से पता चलता है कि 73 से 92 प्रतिशत तक लोगों को नसबन्दी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

भाग (ग)

स्त्री नसबन्दी के सम्बन्ध में किये गये तीन अध्ययनों से पता चलता है कि शत प्रतिशत महिलाओं को इसके प्रति कोई शिकायत नहीं है ।

लूप और नसबन्दी के मामलों में अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करने के महत्त्व को माना गया है और सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

Shri Beni Shanker Sharma : The statement laid on the Table of the House by the Hon. Minister indicates that three methods are used for birth control—vasectomy, tubectomy and pills. So far as vasectomy and tubectomy are concerned, he has stated in his statement that they are satisfactory but pills are still in an experimental stage. So far as my own information is concerned, the pills cause falls and feeling of disinterest in the female. May I know the results of the research so far made in regard to the pills ?

So far as the sterilisation is concerned, he has stated that the percentage of satisfied people ranges between 73 to 92 per cent. But so far as my knowledge goes sterilisation creates effeminate feelings in the male. What is the information with the Hon. Minister in this regard ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : जहां तक गोलियों का सम्बन्ध है, हमने उसके बारे में उत्तर दे दिया है जो कि अभी प्रयोगावस्था में है और हम इसकी जांच कर रहे हैं ।

पुरुष नसबन्दी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन तीन प्रकार से किया गया है— एक, सामान्य संतुष्टि; दो, कामेच्छा या क्रिया में परिवर्तन और तीन, सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन । (**व्यवधान**) वर्ष 1966 में उत्तर प्रदेश में पी० आर० ए० आई० अध्ययन के प्रकाशित प्रतिवेदनों के अनुसार 73 प्रतिशत व्यक्ति संतुष्ट हुए हैं। गुजरात में पोफेनबरजर और शेष अध्ययन के प्रतिवेदनों के अनुसार 87 प्रतिशत व्यक्ति संतुष्ट हैं। महाराष्ट्र के दांडेकर प्रतिवेदनों के अनुसार 92 प्रतिशत व्यक्ति संतुष्ट हैं । श्री निवासन तथा कचिरायण द्वारा गांधीग्राम, तमिलनाडु में किये गये अध्ययन में कहा गया है कि 75 प्रतिशत व्यक्तियों ने नसबन्दी के बारे में किसी प्रकार के हानि-लाभ की कोई बात नहीं बताई । इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में संतुष्ट लोगों का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है और वह 73 से 92 प्रतिशत तक है ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, Sir, I am personally against the birth control devices and believe in the methods devised by our greatmen of the past but at the same time it is also imperative to check the population explosion in the country and to popularise the methods of birth control in the tribal areas and other remoter and far flung rural areas. In this background may I know the steps taken by the Government to popularise the birth control devices among those communities, particularly Muslim in the rural and tribal areas whose religious preceptors are allergic to the birth control devices ?

श्री के० के० शाह : जहां तक समुदायों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हमने आंकड़े भी प्राप्त किये हैं। सभी समुदायों और धर्मों के लोगों का प्रतिशत व्यवहारतः एक जैसा ही है । 0.2 अथवा 0.3 प्रतिशत का अंतर है । गांवों से ग्रामीण महिलाएं सुदूर क्षेत्रों से आकर गोलियां लेकर अपनी साड़ी में बांध कर चली जाती हैं । इस सीमा तक अब यह लोकप्रिय हो चुका है । हम आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के प्रयोग के बारे में प्रयास कर रहे हैं । कुछ नुस्खे अभी बाजार में प्राप्य करने की अवस्था में हैं । मैं समझता हूं कि हम इसे सफल तथा लोकप्रिय बना सकेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : प्रतिशत से कुल मनोवैज्ञानिक प्रभाव का गलत आशय और गलत अनुमान मिलता है । एक ही बिगड़े हुए मामले से समाज और लोगों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह दावानल की भांति फैल जाता है । अतः सरकार ने इन उपायों के बिगड़ जाने से उत्पन्न

किसी विशेष समस्या के बारे में यह देखने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इन प्रतिकूल प्रभावों पर नियंत्रण करने के लिए उनका तुरन्त सामना किया जाये ?

श्री के० के० शाह : मामले के बिगड़ने का प्रश्न नहीं है मनोवैज्ञानिक प्रभाव का प्रश्न है । जहां तक नसबन्दी और ट्यूबेक्टोमी का सम्बन्ध है, अब हम यह सिद्ध कर सके हैं कि इन्हें पुनः ठीक किया जा सकता है और थोड़े ही समय पश्चात् जिन व्यक्तियों की इस प्रकार की शल्य चिकित्सा की गई थी, वे पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ सकते हैं । इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में हमने दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में, दूसरी बार श्री दांडेकर के 54 प्रतिशत जो 7 और 12 प्रतिशत के बीच के आंकड़े थे, को छोड़कर आंकड़े लिये हैं । वहां भी हमने सावधानी बरती है । जिन लोगों ने बासेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी शल्य चिकित्सा कारवायी है उन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की हम जांच कर रहे हैं और उन्हें हम उचित उपायों द्वारा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

Shri Shiv Charan Lal: Mr. Speaker, Sir, it is true that the persons who have undergone vasectomy do not think themselves old nor there is any adverse effect on their health. May I know whether they have made any study on its psychological effect ?

Shri K. K. Shah : I have replied to it. A study has been made in three dimensions—a man's effect on his own mind, general satisfaction, change in sexual desire and change in sexual activities and change in general health. We have studied to see the effects on a man's body. I have also given figures which we got after that study.

अध्यक्ष महोदय : अब युवा व्यक्तियों को भी कुछ बोलने दिया जाये । श्री श्रीधरन ।

श्री ए० श्रीधरन : नसबन्दी के आपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर किये गये हैं और असफल रहे हैं । जिस वक्त यह आपरेशन असफल हो जाता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है और जब शिशु जन्म लेते हैं तो उसके परिणाम स्वयं परिवार में भयंकर परिणाम उत्पन्न करते हैं और परिवार भंग हो जाता है । क्या इस प्रकार की कोई पूर्व शल्य-चिकित्सा की कार्यवाही की गई है कि जब किसी व्यक्ति ने बासेक्टोमी आपरेशन करा लिया हो तो यह देखने के लिए कि आपरेशन सफल हुआ है अथवा नहीं ? क्या समस्या के इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया गया है ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य ने यह अच्छा प्रश्न उठाया है । नसबन्दी के आपरेशन के पश्चात् 16 दिन से 1 महीने की अवधि तक उस व्यक्ति की निगरानी रखनी पड़ती है और जब तक नस में बचा हुआ वीर्य पूर्णतया स्खलित नहीं हो जाये तब तक रबड़ (कन्डोम) का प्रयोग करना पड़ता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रश्न पूछना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : हाल में सरकार ने हमें **'फैमिली प्लानिंग इन पार्लियामेंट'** पुस्तिका सप्लाई की है । इस मामले में सरकार के पास जांच करने में लिए क्या व्यवस्था थी ।

श्री के० के० शाह : इसका पता लगाया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 'निरोध' की बिक्री के आधार पर जन्म दर में कमी की गणना की जाती है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्वतन्त्र व्यवस्था है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि कितनी जन्म संख्या रुक गई है चाहे 'निरोध' वितरित किये गये हों अथवा नहीं ?

श्री के०के० शाह : इस हिसाब को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और आशा है कि हम इसे स्पष्ट कर सकेंगे ।

श्री मुरासोली मारन : तमिलनाडु परिवार नियोजन कार्यक्रम को अच्छी तरह चला रहा है परन्तु हमें इससे इस प्रकार घाटा हुआ है कि हम लोक-सभा में आने वाले दो प्रतिनिधियों से हाथ धो चुके हैं और हम बाद में वित्तीय आयोगों से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भी वंचित रहे हैं क्योंकि वह सहायता जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर दी जाती है । हाल ही में हमने एक प्रेस नोट देखा जिसके अनुसार जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के किसी विशेष वर्ष तक नियमबद्ध कर दिये जायें । क्या मैं विवरण के बारे में जान सकता हूं ?

श्री के० के० शाह : यह प्रश्न परिवार नियोजन कार्यक्रम में सफल हुए बहुत से राज्यों द्वारा उठाया गया है कि योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले नियतन 1962 अथवा 1967 अथवा 1968 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किये जाने चाहिए । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि जो राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम में सफल हुये हैं उन्हें किस रूप में रियायत दी जाये ।

श्री मुरासोली मारन : क्या मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है ?

श्री के० के० शाह : जी, हां ।

श्री सोमचंद सोलंकी : मंत्री महोदय संतति निरोध के व्यक्तिगत अनुभव के बिना सही उत्तर नहीं दे सकते हैं । क्या मंत्री महोदय अपने परिवार में परिवार नियोजन कर रहे हैं ?

दिल्ली में पट्टे की प्रथा का समाप्त किया जाना

*544. **श्री बलराज मधोक** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत रिहाइशी प्लाटों तथा मकानों को पट्टे पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी मांग पर विचार कर लिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, अभी नहीं, किन्तु प्रतीत हुआ है कि ऐसी ही पंक्तियों पर एक संकल्प पारित हुआ था परन्तु कार्यवाही की पुष्टि अभी होनी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister in his reply to the main question has stated that he has received no information in this regard. It has been widely reported in the press that the Delhi Municipal Corporation as well as the D.D.A. and Metropolitan Council have passed a resolution to that effect. Government takes entire value of land, cost of procurement, cost of development and also 3-4 per cent lease charges on land in Delhi. The Municipal Corporation, D.D.A. and Metropolitan Council have demanded in that resolution the sale of land on free hold basis by Government. May I know the reaction of the Government thereto ?

श्री परिमल घोष : यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि महानगर परिषद् द्वारा पारित संकल्प हमें सरकारी तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु निश्चय ही उस जैसा संकल्प जो दिल्ली प्रशासन द्वारा मई, 1970 में पारित किया गया था, हमें मिल गया है। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न इस प्रकार है : भूमि को लीज होल्ड आधार पर देने और फ्रीहोल्ड आधार पर न देने के क्या कारण हैं ? जब पहली बार यह प्रणाली लागू की गई थी तो इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया था। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि किसी विशेष जनहित के कार्य के लिए थोड़ी कीमत पर जमीन ली जाती है तो उसका स्वामित्व सरकार का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने इस बात पर विचार कर लिया है कि जमीन की कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति को नियन्त्रण करने में इसका प्रतिबन्धात्मक महत्त्व है क्योंकि स्थानान्तरण की शर्तें पट्टे की शर्तों के अनुसार नियमित की जा रही हैं। तीसरे, हम यह समझते हैं कि कानूनी रूप से लागू होने वाला करार जाली सहकारी संस्थाओं की वृद्धि को रोकेगा। आजकल इन से हमें बड़ा खतरा हो गया है तथा ऐसी सहकारी संस्थाओं द्वारा सरकार पर दबाव डाला जा रहा है जो नाम मात्र की सहकारी संस्थाएं हैं और जिनके पास भूमि का विकास करने और मकान बनाने के लिए संसाधन नहीं हैं। परन्तु ज्योंही सहकारी संस्था रजिस्टर्ड होती है उस समय उस प्रकार की सहकारी संस्था को सरकार के लिए "नहीं" कहना कठिन हो जाता है। कानूनी रूप से लागू होने वाला करार सरकार तथा पार्टी के बीच हो गया है और उस करार से सरकार वैसी बातों पर नियन्त्रण करने में काफी प्रभावशाली होगी। चौथी बात यह है कि लीजहोल्ड करार से सरकार को एक विशेष आवर्ती आय होगी जिसके द्वारा सरकार नगरपालिका की सुविधायें बढ़ा सकती है और कम आय वाली आवास योजनाओं को आर्थिक सहायता भी दे सकती है। इस प्रकार के कुछ विचार किये गये हैं। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि जब सरकार भूमि की पूरी कीमत ले लेती है तो फ्रीहोल्ड करार पर विचार क्यों नहीं करती है। आखिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य पार्टी को फ्रीहोल्ड देने का तो नहीं होता है जिसका आशय भूमि की ऊंची कीमत लेने का लाभ उठाने का और उसे पुनः बेचकर धन प्राप्त करना हो सकता है। वह हमारे निर्णय का प्रमुख कारण है।

Shri Bal Raj Madhok : The Hon. Minister has not replied to my question but evaded it. I did not say anything about taking land at low cost. Those who are taking land, are giving the market valuet hereof. The courts have given judgements against the Government

in respect of land which was acquired at low rate. Government are selling land to people at the market rate and not at concessional rates. The other thing he mentioned was about co-operatives. I am not concerned with the co-operatives. Colonies in Delhi have been set-up under rehabilitation scheme, by the D.D.A. and the Corporation. Most of the colonies are covered by the rehabilitation scheme. The Government have given assurance that land will be given to them on no profit—no loss basis. The cost of the Government have been made known. We have no objection to Governments taking something more for development etc. But when the Government have charged the whole cost on no loss—no profit basis, what is justification in taking lease-money? It is not a fact that Government will have charged Rs. 20,000 in a period of fifty years as lease for a plot worth Rs. 10,000? It is not profiteering or blackmarketing on land?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास-मंत्री (श्री के० के० शाह) : माननीय मित्र के प्रश्न का केवल एक पहलू है। दूसरे लोग भी हैं जो भूमि के लिए विनियोजन कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए एक कानून तथा दूसरे के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता है।

जहां तक कम आय वाले लोगों का सम्बन्ध है, वे केवल भूमि की सुरक्षा तथा स्वामित्व कायम रखने में रुचि ले रहे हैं। हम भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं परन्तु ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय भूमि में पूंजी लगाई थी। हमने उन्हें 15 या 30 वर्ष पूर्व पट्टे पर भूमि दे दी थी। इसी बीच कीमतें बढ़ गईं। उन्होंने जो जमीन 30 रुपये अथवा 40 रुपये में खरीदी थी उसकी कीमत आज 200 रुपये अथवा 300 रुपये हो गई है। क्या माननीय मित्र यह चाहते हैं कि एक कानून से ही उन्हें समस्त लाभ दिये जायें? यदि वह थोड़ी जमीन में ही रुचि रखते हैं, तो कोई इसे समझ सकता है। अतः हम यह सोच रहे हैं कि सरकार ने जो कुछ प्राप्त किया है उसका लाभ दिये बिना ही छोटे लोगों की भूमि के स्वामित्व की किस प्रकार सुरक्षा की जाये।

जहां तक विकास का सम्बन्ध है, मालिकों द्वारा बिना कुछ किये ही कीमतें 50 रुपये से 500 रुपये तक बढ़ जाती हैं। उस लाभ को गरीबों के काम में न लाकर अमीरों को क्यों दिया जाये?

श्री बलराज मधोक : मैंने बड़े आदमियों के बारे में कभी नहीं कहा था। सरकार ने विस्थापितों और कम आय वाले लोगों को जो छोटी जमीनें डी. डी. ए. के अन्तर्गत दीं, उनके बारे में पूछ रहा हूं। उन छोटे लोगों से लीज मनी न लेने के लिए क्या सरकार तैयार है?

श्री के० के० शाह : छोटे लोगों के लिए हम उनकी जमीन के स्वामित्व की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। 99 वर्ष का पट्टा दे कर जिसका बाद में नवीकरण हो सकता है या किसी अन्य तरीके से, यह प्रश्न विचाराधीन है। परन्तु मैं एक व्यक्ति के लिए और कानून तथा दूसरे के लिए दूसरा कानून नहीं रख सकता।

श्री बलराज मधोक : मैं सुरक्षा की बात नहीं करता, सुरक्षा तो है। आप जो अधिक पैसे लेते हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री के० के० शाह : प्रश्न अधिक धन लेने का नहीं है अपितु भविष्य में लाभों से वंचित करने का है। वह निहित स्वार्थों के लिए तर्क दे रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : वह निहित स्वार्थों के लिए सफाई पेश कर रहे हैं । मैं छोटे लोगों की वकालत कर रहा हूं । उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है । वे अपने शब्द वापस लें । मैं स्वार्थवश तर्क नहीं कर रहा अपितु 100, 200, 300 रुपये कमाने वाले लोगों की वकालत कर रहा हूं । मैं आप जैसे लोगों की वकालत नहीं कर रहा जिनके हित बड़े व्यापारियों से जुड़े हुए हैं··· **(व्यवधान)** आप स्वार्थरतता की बात हमारे बारे में करते हैं । स्वार्थी तो श्रीमती इन्दिरा गांधी और आप हैं। आप मुझ पर स्वार्थरत होने का आरोप लगाते हैं ।

श्री के० के० शाह : यदि आप निहित स्वार्थ की वकालत नहीं कर रहे तो आप मुझसे कुछ व्यक्तियों के लिये एक और दूसरों के लिए दूसरे कानून की बात क्यों कहते हैं ।

श्री बलराज मधोक : मैं चाहता हूं कि आप विस्थापितों को बिना लाभ और बिना हानि के जमीन देने के वचन को पूरा करें ।

श्री के० के० शाह : जहां तक छोटे व्यक्तियों का संबंध है मैं ऐसा करने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूचना मांगने के लिए है । यदि आप तर्क-वितर्क करते रहें···

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय ने यह आरोप क्यों लगाया कि वह निहित स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं । क्या हम नहीं जानते हैं कि मंत्री का निहित स्वार्थ क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल तथ्यात्मक सूचना दी जानी चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that the system of lease has been largely made a source of income as there are several instances wherein lease-money worth ten times, twenty times and even hundred times was realised. What would the Government do in regard to that ? Is it a fact that the land with co-operatives was free hold and the Government acquired it and later gave it on lease and if so what are the reasons for that. Is it also a fact that small Jhugi-dwellers are having land on lease in some cases or yearly in others ten yearly or thirty yearly leases. Can the Government give an assurance that these persons, particularly poor people who are occupying lands on lease for shorter periods, will be given that land for at least ninety nine years ?

Shri K. K. Shah : That I stated the other day. If some body tells these matters on the eve of elections, that is a separate thing. When you met me I told that the Government do not bargain so far as poor people are concerned. But the plots which are sold to rich people on auction, we have to think as to what should be done.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister has not replied to my question. I said that you have alloted land to some people for one year, to others for ten years and to some for thirty years lease basis, would you convert that lease into ninety nine years and not alter it every now and then.

Shri K. K. Shah : Firstly, we had given on 99 years' lease basis. But when it was known that these lands are sold and people make profits out of it and do not take it for their own use, we reduced the period of lease and told them that if any body gets profit out of these lands, they would have to give share to the Government. We acquired land from people in slum areas so that we may regularise them we are thinking to give them its occupation after regularisation or give them on long term lease basis.

Shri Yashpal Singh : What action has been taken against the people who purchase land in the name of co-operatives at 5 rupees per sq. yard and sell it at Rs. 200 per sq. yard ?

Shri K. K. Shah : What the Hon. Member says is correct. We are thinking in regard to the profits being earned by using the right to sell outright and we are prepared to protect the poor people in this regard.

श्री पीलु मोडी : क्या आप वस्तुशिल्पज्ञ को एक प्रश्न पूछने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

श्री पीलु मोडी : यहां दिये गये सभी तर्क अवास्तविक हैं। प्रथमत: जो सम्पत्ति 5 अथवा दस रुपये प्रति वर्गगज खरीदी गई थी, वही आज 200 रुपये प्रति वर्ग गज बिक रही है। जिस व्यक्ति ने इतने वर्ष सम्पत्ति को रखा उसने लाभ कमाया। अब सरकार लीज का धन बढ़ी हुई दरों पर मांग रही है। अभिप्राय यह कि सरकार भी लाभ कमा रही है। ऐसे सौदों में नए विक्रेता को ही हानि उठानी पड़ती है। यदि सरकार समझती है कि वह इस प्रकार मूल्यों को नियंत्रित कर सकेगी तो मैं समझता हूं कि उसे इस समय के लिए ऐसी योजना बन्द कर देनी चाहिए।

श्री के० के० शाह : जहां तक नये क्रेता का सम्बन्ध है वह बाजार भाव पर जमीन खरीदता है। आज बाजार भाव बढ़ गये हैं जिसमें विक्रेता का कोई हाथ नहीं है।

श्री पीलु मोडी : आपका अभिप्राय यह कि उसने कोई प्रयत्न नहीं किया सिवाय इसके कि पंजी लगाई है। आपका वेतन बढ़ गया है इसमें क्या प्रयत्न किया गया है।

श्री के० के० शाह : वह भिन्न प्रश्न है।

श्री पीलु मोडी : आर्थिक कुप्रबन्ध के कारण ही कीमतें बढ़ी हैं और आप इस बारे में प्रयत्नों आदि की बात कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पीलु मोडी, आपका कार्य जमीन के पूरी तरह तैयार होने पर प्रारम्भ होता है।

सेवानिवृत्त शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों का पुनर्वास

*545. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् सेवानिवृत्त किये गये शार्ट सर्विस कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को वैकल्पिक नौकरियों पर नियुक्त कर लिया गया है;

(ग) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जो अभी तक बेरोजगार हैं; और

(घ) क्या उन्हें कहीं रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, आर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1-10-1965 के पश्चात् 709 अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसर सशस्त्र सेनाओं से विमुक्त किए गए थे। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(चिकित्सा को छोड़ कर) सेना से	... 154
(चिकित्सा) सेना से	... 534
वायु सेना से	... 12
नौसेना से	... 9

(ख) और (ग) केवल 55 अफसरों के बारे में सूचना प्राप्य है, कि जिन्हें सरकारी सेवा/राजकीय उपकरणों में खपाया गया है ।

(घ) (आपाती स्थिति के दौरान भर्ती किए गए) अल्पकालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों को वहां सुविधाएं दी जा रही हैं, कि जो 31-12-1971 तक लागू एक योजना के अंतर्गत, असैनिक सेवाओं में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी स्थानों में नियुक्ति के लिए रिक्त स्थानों के सुरक्षण और डिग्री योग्यताओं में छूट के सम्बन्ध में आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को दी जाती हैं। तदपि जैसा ई० सी० ओज के लिए बीते समय में किया गया है, अल्पकालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों की रोजगार ढूंढने में सहायता करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं । छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए व्यापार प्रबंध, औद्योगिक प्रबंध इत्यादि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए वह अनुकूल शर्तों पर ऋण के भी अधिकारी हैं, और उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के भूमि उपनिवेशों में बसाया भी जा रहा है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : It is apparent from the papers laid on the table by the Hon. Minister that they have made only 55 appointments. Even among them some have been made Table players or stage secretary. I want to know as to how many class I ex-army officers have been appointed against class III posts ? How many officers have been appointed on half the salaries of what they were getting earlier.

Shri Jagjivan Ram : The position in regard to the persons mentioned herein is that there were 154 non-medical personnel out of which 42 people have been absorbed in Government services. 534 persons belonged to medical services and they took up their medical practice as before. Nine persons belonged to Navy, out of which one has been provided with job. In respect of the 154 non-medical personnel we do not have any information. We can have information only if they inform us. There are certain persons who are engaged in some jobs and do not bother to tell us about them. So if they do not approach us or the Director General of Resettlement, we presume that they do not need our assistance.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : That was not my question. I wanted to know as to how many officers have been employed now on half of their previous salary.

Shri Jagjivan Ram : We do not have these figures as to what salary they are getting now.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will you reserve some percentage in Public Sector undertakings for the persons released from army and if so, how much and if not under what other schemes Government propose to absorb them ?

Shri Jagjivan Ram : Two or three categories of employees are released. This question relates to short service commission personnel. Secondly there are emergency commission holders and thirdly those who are released as a matter of course. This question pertains to the short service commission and they have the same facilities for reservation in Government services and preferences in public undertakings, as are available for others.

Dr. Ram Subhag Singh : Will the Government take steps to absorb them in Public Sector undertakings, Railway, Security Force in State Governments within a fixed period ? It is not good to keep them idle and it would create problem in the event of future emergency. Will the Government contact channels suggested by me in order to absorb them within six months ?

Shri Jagjivan Ram : This question was limited to short service commission officers. The question by the hon. member is wider. But I would like to reply to it. The hon. members know that recently I called a conference of chief secretaries of the states, to discuss how best we can absorb the released army personnel on completion of their term in useful professions. The officers and soldiers are being absorbed in the Railways, Border Security Force, Railway Security Force and in other places. I am satisfied with the progress made in this direction. That question was also considered at the conference of the chief secretaries as to how we can speedily absorb these in useful professions.

Shri S. M. Joshi : There officers of emergency commission, short service commission or others serve the nation in an emergency. After their release we provided them with jobs. My hon. friend has just enquired whether these personnel are absorbed or half or even less than half their previous wages. May I know whether the Government is prepared to count their period of emergency service or other military service when they are absorbed in other Departments, Public undertakings or Border Security Force. Suppose they are absorbed in two batches. The first batch got certain facilities while the second batch gets some other facilities. Does it happen sometimes that the first batch gets less facilities while the second batch gets more facilities and if so what steps you propose to take to ensure that both may get uniform facilities.

Shri Jagjivan Ram : This question pertains to short service commission. Now the question is becoming comprehensive. I have stated the problem is not so easy. The number of officers being released is progressively increasing. For that reason I called for the conference of chief secretaries so that we may find out avenues to provide services to a larger number of such personnel in Government, sami-Government service or in private sectors or provide them with self employment facilities.

श्री रंगा : वेतनमानों के दर भी······

श्री जगजीवन राम : जब एमरजेंसी कमीशन के लिए भर्ती की जाती है तो स्नातकपूर्व व्यक्तियों को भी लिया जाता है । परन्तु रिलीज़ किए जाने के बाद जब सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा दल में चयन के लिए विचार किया जाता है तो अर्हताओं का प्रश्न उठता है और यदि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं होती हैं, तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाती । कई मामलों में अर्हताओं में उदारता लाई गई है । यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि उन्हें वही वेतनमान दिए जाएं जा उन्हें सेना में मिलते थे क्योंकि उनके पास असैनिक सेवाओं के लिए अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं । इस लिए वेतनमान अर्हताओं के आधार पर ही हैं ।

श्री एस० एम० जोशी : मैंने यह पूछा था कि उनको जब आप बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी पर ले लेंगे तो मान लीजिए कि उसने पांच साल आर्मी वगैरह में नौकरी की है, तो उसका लाभ भी आप उसको देंगे ?

श्री जगजीवन राम : उसे नहीं गिना जा सकेगा। क्योंकि यदि उसे गिना जायेगा तो बहुत कठिनाई होगी और कोई संगठन चल न सकेगा।

Shri S. M. Joshi : I had asked why more facilities are given to juniors than to seniors ?

श्री जगजीवन राम : जब लगे हुए व्यक्तियों को सुविधाएं दी जाती हैं तो ऐसा सदा होता है।

श्री चेंगलराया नायडू : पिछली बार जब इस विषय पर विचार किया गया था, तो तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को कुछ छूट देने तथा सरकारी उपकरणों में उन्हें प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था और कहा था कि सरकारी विभागों में उन्हें वरीयता देने के लिए सरकारी विभागों से कहेंगे। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। वे अभी भी भटक रहे हैं। आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर सत्याग्रह किया है। उन्होंने देश के लिए अपनी जानें दी हैं। क्या आप उन्हें कुछ राहत नहीं दे सकते ? उन्हें अब भी लाइन में खड़ा होने को क्यों बाधित किया जा रहा है। क्या हम उनको अब भी कुछ वरीयता नहीं दे सकते हैं ?

श्री जगजीवन राम : मुख्य प्रश्न सीमित था। माननीय सदस्य का बात करने का अपना ढंग है। परन्तु यह कहना कि कुछ नहीं किया गया ठीक नहीं।

श्री चेंगलराया नायडू : वे अब भी लाइन में खड़े हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं जानता हूं कि वे लाइन में खड़े हैं परन्तु परिस्थिति वही नहीं है। काफी प्रगति हुई है। 9000 एमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों में से केवल 1900 प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेष सभी या तो सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी विभागों में ले लिये गए हैं।

श्री रंगा : पांच वर्ष व्यतीत हो गए हैं।

श्री जगजीवन राम : इसलिए यह कि कुछ नहीं किया गया ठीक नहीं। सरकारी उपक्रमों में तथा सरकारी सेवा में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह समस्या भूतपूर्व सैनिकों के बसाने की समस्या का भाग है। क्या इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल में बातचीत हुई है कि कम से कम सरकारी प्रतिष्ठानों में भूतपूर्व सैनिकों को कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनमें से कितने व्यक्ति लिए जाने चाहिए क्योंकि प्रतिवर्ष 48000 व्यक्ति सेवामुक्त किये जाते हैं। दूसरे सरकार क्यों...... जारी रखे... ..

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध भूतपूर्व सैनिकों से नहीं अपितु शार्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों से है।

श्री रणजीत सिंह : यह मुख्य समस्या का अंश है। जब मुख्य समस्या का समाधान हो जायेगा तो इसका भी हो जायेगा। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें अब भी शार्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों को क्यों बनाए रखना चाहिए जिससे कि ऐसी समस्याएं, शान्ति काल में पुनर्वास की, पैदा होती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे अर्द्ध नैमित्तिक श्रमिक हैं।

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र श्री रणजीत सिंह जी स्वयं सेना में रहे हैं और मैं समझता हूं कि वे इन समस्याओं को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया है हमें प्रतिवर्ष भारी संख्या में सेवामुक्त होने वाले अधिकारियों और सैनिकों की चिन्ता है। इसीलिए सभी का ध्यान इस समस्या की ओर केन्द्रित करने के लिए हमने राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया था।

श्री रणजीत सिंह : यह उन्होंने अच्छी बात की है।

श्री जगजीवन राम : मैं स्वयं इस पहलू पर ध्यान देता रहा हूं। मैंने देखा है कि जवान को जब कोई रोजगार दिया जाता है, तो वह दिल्ली से बाहर नौकरी लेना नहीं चाहता। इसी प्रकार से यदि वह हरियाणा अथवा पंजाब का रहने वाला है तो वह पंजाब और हरियाणा में ही सेवा करना चाहता है। परन्तु यह संभव नहीं है। सेवा के अवसर वहीं पर मिल सकते हैं जहां पर कि वे उपलब्ध हैं। इसलिए वास्तव में जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, वे जहां भी मिलेगा उन्हें स्वीकार करना चाहिए। स्थान सुरक्षित करने का कोई लाभ नहीं क्योंकि हो सकता है हमें उनमें से अपेक्षित वर्ग के व्यक्ति न मिलें। उन्हें स्व-नियोजित कार्यों में लगना चाहिए। उस सम्बन्ध में हमारे पास कई योजनाएं हैं और मैं अन्य क्षेत्रों में सेवा की अपेक्षा स्व नियोजित कार्यों को पसन्द करता हूं।

श्री बलराज मधोक : हम शान्तिकाल में भी शार्ट सर्विस कमीशन की व्यवस्था क्यों जारी रखते हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह नीति का प्रश्न है। जब तक हम स्थायी नियुक्ति पर पर्याप्त व्यक्ति नियुक्त नहीं करते हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति शार्ट सर्विस कमीशन से करनी होती है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसराइल द्वारा भारत को सप्लाई की गई तोपें

*546. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इसराइल के महावाणिज्य दूत द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के बारे में जानकारी है कि 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसराइल ने भारत को भारी तोपों की सप्लाई की थी; और

(ख) यदि हां, तो वक्तव्य के तथ्य क्या हैं और इसराइल द्वारा भारत को कितनी युद्ध सामग्री सप्लाई की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। हमने इस विषय की समाचारपत्रों में रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) मार्टरों या अन्य सैनिक सामानों की सप्लाई के लिए इसराइली सरकार या इसराइल में किसी फर्म के साथ कोई करार न था।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that Mortārs supplied to India were manufactured by a French company having its Factory in Israel and possessing a French licence. Did the Government make payment in France or in Israel and what is the name of that company and how many Mortages were supplied ?

Shri Jagjivan Ram : As I have stated we did not purchase any thing from Israel Government or Israeli company nor did we make any payment in Israel.

श्री सु० कु० तापड़िया : इसराइल के माध्यम से ?

Shri Jagjivan Ram : We have not purchased through Israel.

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked a specific question whether the Goverment purchased Mortars from a French company having it's Factory in Israel possessing French licence. It may be inconvenient for the Government but I have the right to ask question. Is it a fact that at the time of war Israel offered to supply Mortars to India ? Is it also a fact that Israel captured certain Russian arms and equipment during its war with U.A.R. and as such it manufactures parts of Russian Arms as well. If the Government can get parts and other arms from Israel at cheaper rates will it purchase them from Israel ?

Shri Jagjivan Ram : We did not have the opportunity to see what they manufacture and what they do not manufacture.

Shri Piloo Mody : Go and see then.

श्री जगजीवन राम : मैं उन्हें वहां भेज दूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : I seek protection from the chair. Are you satisfied that the Minister is giving a correct reply ?

श्री पीलु मोडी : क्या आप इस प्रश्न को पसन्द नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : व्यापक हित में नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the wider interest in that ?

श्री पीलु मोडी : इस देश का व्यापक हित तो इसराइल से मित्रता रखने में है।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि क्या इसराइल ने प्रस्ताव किया था, सरकार ने उसे स्वीकार किया नहीं यह दूसरा प्रश्न है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Our outlook is that we should have friendship with Israel. Let the Minister reply. I feel it is in the country's interest.

Shri Jagjivan Ram : What Israel offered I do not remember at present. I shall give a reply after getting the information or receipt of a question. They have made some imitations of Russian arms, I cannot say anything in the matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछले पांच वर्ष में सरकार ने ऐसे देशों से हथियार खरीदे जो निर्माता नहीं हैं।

श्री जगजीवन राम : मेरे पास यह सूचना नहीं है। नोटिस प्राप्त होने पर मैं उसे सदन में दूंगा।

Production and Consumption of Diesel Oil

*547. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the consumption of diesel oil is not increasing in proportion to its production and Government want to reduce the production target thereof;

(b) whether Government propose to reduce the price of diesel oil and thus increase its consumption; and

(c) if not, the reasons thereof ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दो किस्म के डीज़ल तेलों में से हल्के डीज़ल तेल (एल. डी. ओ.) की खपत सीधे तौर पर वर्षा की मात्रा एवं वितरण से संबंधित है क्योंकि एल. डी. ओ. मुख्यत: उद्वहन (लिफ्ट) सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अत: इसकी खपत तथा उत्पादन का हर महीने नियमन किया जाता है। किन्तु गत दो वर्षों में हाई स्पीड आयल (एच. एस. डी.) की खपत प्रत्याशित नहीं रही है। इससे उत्पादन कुछ फालतू हो गया है जिसे निर्यात किया गया है। यथासंभव सीमा तक, एच. एस. डी. को उत्पादन का नियमन हर महीने मिट्टी के तेल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि के साथ किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) एच. एस. डी तथा एल. डी. ओ. की कीमत में कोई कमी करने से विकासशील परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता में कमी हो जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati : This matter came before the Government many a time that in place of Diesel oil, cheap Kerosene oil is being sold after mixing it with a litre of mobile oil, as Diesel oil has become costlier but it harms the machinery. In view of this will the Government consider reduction of prices of Diesel oil.

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न मूल्य घटाने के सम्बन्ध में है। यह मानते हुए कि 1970 में डीजल आयल की खपत 50 लाख किलो लिटर होगी और आज के मूल्यों के अन्तर को देखते हुए यदि उसका मूल्य मिट्टी के तेल के बराबर किया जाये तो राजस्व में 117 करोड़ रुपए की हानि होगी। देश के विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है इसलिए मूल्य घटाया नहीं जा सकता।

Shri Maharaj Singh Bharati : It is fantastic that to avoid a loss of Rupees 117 crores of rupees on diesel, machinery worth 1 thousand crores of rupees is allowed to be damaged. What sort of economy it is ? For diesel oil worth a few paise you would destroy machinery worth two thousand rupees. Do you want to deliberately destroy the machinery of this country for earning 117 crores of rupees ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न देश की मशीनरी को खराब करने का नहीं है जो कि डीजल आयल का प्रयोग कर रहा है। मिलावटी डीजल आयल की जांच करने के लिए सरकार ने कार्य-वाही की है। उदाहरण के लिए एक रासायनिक मार्कर मिट्टी के तेल में मिलाया जा रहा है ताकि उसकी मिट्टी के तेल में मिलावट रोकी जा सके।

Shri K. N. Tewari : If the price of Deisel oil cannot be reduced efforts should be made to supply unadulterated deisel oil to the consumers.

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि बताया गया है कि मिट्टी के तेल की मिलावट की जाती है, किन्तु उसकी जांच तो मिट्टी के तेल में रासायनिक 'मार्कर" मिला कर की जा सकती है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जा सकता है।

श्री लोबो प्रभु : डीजल आयल का मूल्य एक समय पेट्रोल के मूल्य से बहुत कम था और इसलिए देश में डीजल आयल का प्रयोग और डीजल मशीनरी का निर्माण भारी मात्रा में किया जाता था। अब मूल्य केवल इसी लिए बढ़ गया है कि सरकार ने मूल्य बढ़ा दिया है। डीजल आयल निर्धन व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्यों और बसों में उपयोग किया जाता है। सरकार उनकी कीमत घटाती क्यों नहीं और डीजल आयल को कम कीमत में उपलब्ध क्यों नहीं करती ?

श्री पीलु मोडी : डीजल आयल से आपके विकास की अधिक सम्भावना है।

श्री लोबो प्रभु : दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों पर 650 करोड़ रुपए का उत्पाद-शुल्क प्राप्त होता है जो कि कुल उत्पाद-शुल्क का एक तिहाई है। आपके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को यह समझाने के लिए कि इस पेट्रोलियम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क न लगाया जाये क्या कार्यवाही की है क्योंकि यह सामान्य व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मंत्री महोदय कृपया इस प्रश्न को वित्त मंत्रालय के समक्ष रखें ताकि वहाँ मामले पर विचार किया जा सके। हमने भी वित्त मंत्रालय के साथ बात-चीत की है।

श्री लोबो प्रभु : यह मंत्रालय किस लिए है ?

एक माननीय सदस्य : क्या यहां कोई संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री मनुभाई पटेल : पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादनों के मूल्य कम करते का अभियान शुरू किया है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि कृषि-कार्यों में उपयोग किये जाने वाले बहुत से आयल इंजन बेकार पड़े हैं क्योंकि डीजल तेल के भाव बहुत बढ़ गये हैं। वे लोग ट्रैक्टर का उपयोग भी इसीलिए नहीं कर पाते।

पेट्रोलियम के मूल्यों को घटाने का उनका कार्यक्रम है। क्या सरकार कृषकों को सहायता देने के लिए डीजल आयल की कीमत कम करने के लिए अनुदान देगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : वे वित्त मंत्रालय से बातचीत क्यों नहीं रखते ?

श्री पीलु मोडी : श्रीमान् जी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि डीजल तेल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की धुरी है और इससे यातायात सस्ता होगा और जहां बिजली नहीं है, वहां इससे बिजली का कार्य लिया जा सकेगा । समग्र ग्रामीण विकास डीजल तेल की कीमत पर निर्भर करता है । क्या सरकार यह महसूस नहीं करती और कीमतों में कमी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकती ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । (व्यवधान) मैं अपने माननीय मित्र श्री पीलु मोडी की अपेक्षा कहीं अधिक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से परिचित हूं, जो बम्बई में रहते हैं और कभी भी ग्रमीण क्षेत्रों में नहीं जाते । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या व्यवस्था रखिये । अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता के बारे में भारत के मत के बारे में अमरीका की प्रतिक्रिया

*549. **श्री अ० दीपा** :

श्री बी० ना० देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के दक्षिण-पूर्व एशिया के सहायक सचिव श्री सिसको द्वारा 30 अक्तूबर, 1970 को वाशिंगटन में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता के बारे में भारत के मत पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या सरकार को हमारे दूतावास द्वारा उनके वक्तव्य का पाठ प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 29 अक्तूबर, 1970 को संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग के सहायक मंत्री श्री सिसको ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा था उसके बारे में सरकार ने खबरें देखी हैं ।

(ख) इस अवसर पर उन्होंने जो कुछ कहा था उसका कोई प्रामाणिक पत्र जारी नहीं किया गया था । हमारा राजदूतावास इस सम्बन्ध में सरकार को हमेशा सूचना देता रहा है ।

(ग) 9 नवम्बर, 1970 को पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के बारे में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में इस सदन में सरकार की प्रतिक्रियाएं बता दी गई हैं ।

श्री अ० दीपा : क्या अमरीका को अपना विरोध-पत्र भेजते समय सरकार ने रूस द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैनिक सहायता का भी उल्लेख किया और यदि हां, तो क्या सरकार के पास अमरीका द्वारा सप्लाई की तरह, रूस द्वारा सप्लाई का भी ब्यौरा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न अमरीका के सहायक सचिव के वक्तव्य के बारे में है। **(व्यवधान)** मुझे समझ नहीं आती कि आप सभी उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं। जब आप ही की तरह तीन या चार लोग उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं तो ऐसा लगता है, मानों सेना ने कोई हमला कर दिया हो। आखिर इस तरह, तो कार्य करना कठिन हो जाता है।

श्री दीपा, आपके प्रश्न का सम्बन्ध, अमरीका के सहायक सचिव द्वारा भारत के मत का विरोध करने से है और आपने पूछा है, "यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है।" **(व्यवधान)**

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

तलचर उर्वरक संयंत्र पर निर्माण कार्य का बन्द होना

5. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य, भूमि अर्जन में असाधारण विलंब, मशीनों आदि के मूल्य का इटली की मुद्रा में भुगतान करने हेतु विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता तथा विश्व की सबसे बड़ी और देश की पहली कोयले पर आधारित इस परियोजना के लिए मशीनों की खरीद के सौदे को स्वीकृति देने में सरकार द्वारा निर्णय न लिये जाने के कारण बन्द पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे परियोजना का कार्य तत्काल शुरू हो सके और विलम्ब होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ जाने के कारण हमें विदेशी फर्म को अधिक भुगतान न करना पड़े ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि तलचर उर्वरक परियोजना का काम बन्द पड़ा है। भारतीय उर्वरक निगम, जो इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, इसे शीघ्र मुकम्मल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। भूमि के अर्जन में कोई विलम्ब होने की आशा नहीं है क्योंकि कारखाने के लिए चिह्नित की गई 50% से अधिक सरकारी भूमि है जो तुरन्त ही निगम को स्थानान्तरित की जा रही है। शेष के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम के आपातिक उपबन्धों के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में प्रगति है। विदेशी उपकरणों के आर्डर देने के शीघ्र कदम उठाये जा रहे हैं। निगम ने अमोनियम और यूरिया के संयंत्रों के लिए विदेशी उपकरणों एवं फालतू पुर्जों की सप्लाई के मुख्य करार को अन्तिम रूप दे दिया है और इस पर सरकार जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त, विदेशी पार्टियों के साथ प्रक्रिया लाइसेंस सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और परियोजना की डिजाइन इंजीनियरी में प्रगति हो रही है।

श्री सु० कु० तापड़िया : काम भले ही बन्द न हुआ हो परन्तु आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इसमें असाधारण विलम्ब हुआ है क्योंकि अगस्त में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने यह कहा था कि संयंत्र का निर्माण कार्य वर्ष 1970 के अन्त तक आरम्भ हो जाने की आशा है। वर्ष 1970 के अब केवल 3 सप्ताह शेष हैं। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम से आपत्कालीन उपबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार, परियोजना प्राधिकारियों को पूर्ण सहयोग दे रही है, क्या किसी राजनीतिक दल ने इसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया हुआ है और वह परियोजना के लिए भूमि के अर्जन या हस्तांतरण कार्य को धीमा कर रहे हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूं परियोजना के लिए जो 800 एकड़ भूमि चाहिए, राज्य सरकार उसे भारतीय उर्वरक निगम को निःशुल्क देने के लिए वचनबद्ध है। इस 800 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत से अधिक भूमि तो राज्य सरकार की अपनी है और शेष 50 प्रतिशत के अर्जन के लिए भूमि अधिकरण अधिनियम के आपत्कालीन उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार द्वारा भारतीय उर्वरक निगम को सहयोग देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य सरकार इस परियोजना में गहरी दिलचस्पी ले रही है। वास्तव में राज्य सरकार चाहती ही थी, कि यह 70 करोड़ की परियोजना उन्हीं के राज्य में आरम्भ की जाये।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैंने जो यह प्रश्न पूछा था कि क्या कुछ राजनीतिक दल भूमि अर्जन के कार्य को तीव्रता से करने के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं, उसका क्या हुआ ?

श्री डी० आर० चव्हाण : मैंने कहा तो है कि हमें राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। जहां तक राजनीतिक दलों के आन्दोलन का सम्बन्ध है, मुझे इस प्रकार की किसी खबर की सूचना नहीं है और न ही मेरे मंत्रालय को ही कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि कोई राजनीतिक दल परियोजना कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : आप की यह बात सुन कर मुझे अचम्भा हुआ है कि आप के मंत्रालय को इसकी कोई सूचना नहीं है। क्या डा० त्रिगुण सेन का आपके मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्योंकि जब डा० त्रिगुण सेन परियोजना का शिलान्यास करने के लिए वहां गये थे तो प्रजातन्त्र समाजवादी दल तथा कुछ अन्य दलों ने इसके लिए आन्दोलन किया था कि भूमि का अर्जन न किया जाये और इसी के फलस्वरूप भूमि अर्जन के कार्य में देर हुई ? क्या यह सच है कि उनके दौरे के समय प्रजातन्त्र समाजवादी दल तथा अन्य दलों ने मांग की थी कि भूमि अर्जन के कार्य को देर से किया जाये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : जी नहीं, किसीने भी भूमि अर्जन का विरोध नहीं किया था। आपकी बात ठीक नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस कार्य में बहुत सहायता दे रहे हैं। वह यथाशीघ्र भूमि अर्जन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम अपनी योजना के अनुसार कार्य करते जा रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : जब आप वहां गये थे तो किसीने प्रदर्शन किया था ? क्या प्रदर्शन हुआ भी था या नहीं ? प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था ?

डा० त्रिगुण सेन : इस प्रकार का कोई प्रदर्शन वहां नहीं हुआ था। वहां के स्थानीय लोगों ने केवल यह मांग की थी कि जब कारखाना चलना शुरू हो जाये तो उसमें उन्हीं के बच्चों को रोजगार दिया जाये, और यह एक उचित मांग है।

श्री नाथ पाई : अब चूंकि मंत्री महोदय ने यह कह दिया है कि वहां कोई इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं हुआ, तो क्या आप, माननीय सदस्य से समाजवादी दल पर लगाये गये आरोप को वापिस लेने के लिए भी कहेंगे ?

श्री पीलु मोडी : मैं इस बात पर स्पष्ट वक्तव्य देने को तैयार हूं कि प्रजातन्त्र समाजवादी दल इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल अपने आपको, आप सबसे बचाना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं मंत्री महोदय से राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करने के बारे में ही यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने भी इस मामले में कोई आपत्ति उठाई है ? यह भी सुनने में आया है कि पंजाब सरकार ने नंगल उर्वरक को पंजाब से हटाने के लिए कहा है। इससे लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी। मुझे मालूम है कि इस मामले का तलचर उर्वरक से सम्बन्ध है। परन्तु नंगल उर्वरक भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि राज्य सरकार ने उन्हें पंजाब से यह कारखाना हटाने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : वकील होने के नाते सम्बद्धता पर हर समय आपका ध्यान रहता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। किसानों को उर्वरक की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें से यह प्रश्न नहीं उठता। इस प्रश्न के लिए आपको अलग से नोटिस देना चाहिए। इसी प्रश्न में से आप अपना उत्तर पाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री क० प्र० सिंह देव : चूंकि उड़ीसा के तलचर उर्वरक संयंत्र से वहां के उद्योगीकरण को बल मिलेगा, उससे सम्बद्ध उद्योगों में वृद्धि होगी, अतः क्या सरकार ने इस परियोजना की पूर्ति के लिए कोई अन्तिम तिथि निश्चित कर दी है ? वक्तव्य में इटली की विदेशी मुद्रा का उल्लेख किया गया है। क्या याकोस्लवाकिया से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाई सामने आ रही है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, उसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है। यह संयंत्र 1974 के मध्य तक पूर्ण हो जायेगा क्योंकि किसी उर्वरक संयंत्र को चालू करने में तीन से चार वर्ष का समय तो लग ही जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का अध्यक्ष

*542. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड अभी तक वायुसेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्यभार सम्भालने वाला एक अध्यक्ष नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) नियुक्ति शीघ्र होने की सम्भावना है ।

त्रिपुरा की सीमाओं पर पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं का जमाव

*548. **श्री किरत विक्रम देव वर्मन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान रेजिमेंट, पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और मुजाहिदों का इस वर्ष सितम्बर में पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगती हुई त्रिपुरा की सीमा के साथ हिलहट से चिटगांव तक भारी जमाव था; और

(ख) इस समय क्या स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सितम्बर 1970 में त्रिपुरा-असम सीमा के सामने पाकिस्तानी सेनाओं या अर्धसैनिक सेनाओं का कोई असाधारण जमाव नजर नहीं आया ।

(ख) स्थिति में हाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

मलेरिया के उन्मूलन के लिए भारत-पाक अधिकारियों की बैठक

*550. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्तूबर, 1970 को हुसैनीवाला सीमा के समीप पाकिस्तान क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों की कोई बैठक मलेरिया उन्मूलन में दोनों ओर हुई प्रगति पर विचार करने के लिए हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तथा पाकिस्तानी दलों में कौन-कौन व्यक्ति थे; और

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के प्रतिनिधि भी उस बैठक में उपस्थित थे और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां। बैठक 24 अक्तूबर, 1970 को हुई थी।

(ख) बैठक के कार्यवृत्त की पाकिस्तान के दल के नेता से अभी प्रतीक्षा की जा रही है। क्योंकि बैठक पाकिस्तान में हुई थी, अत: कार्यवृत्त उन्हीं द्वारा बनाया जा रहा है। तथापि, विचार-विमर्श मोटेतौर पर निम्नलिखित बातों पर हुआ—

1. सीमा के दोनों ओर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति।

2. सीमा के दोनों ओर महामारी विज्ञान तथा कीटविज्ञान सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान।

3. पारस्परिक लाभ की तकनीकी बातें।

(ग) और (घ) इस बैठक में भारत के 10 अधिकारियों, पश्चिम-पाकिस्तान के 6 अधिकारियों तथा विश्व-स्वास्थ्य संगठन एवं अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के एक-एक अधिकारी ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वालों के नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4491/70]

Violations of Indian Borders by China and Pakistan

***551. Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of times Pakistan and China committed violations of Indian borders during the last three months;

(b) the preventive steps taken by Government to check such violations; and

(c) the number of planes driven out of the Indian territory while checking such violations and the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Between 1st September, 1970 and 30th November, 1970, China committed two land violations and two air violations. During the same period, Pakistan committed two land violations and four air violations. No violation of our territorial waters was committed by Chinese or Pakistani naval vessels during the aforesaid period.

(b) Appropriate measures have been adopted for checking violations of our borders and these continue to be in force.

(c) The planes intruded only slightly into our territory and before action could be taken they went back into their own territory. In the case of land violations no persons were arrested.

भारतीय तेल निगम को कम लाभ

*552. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का लाभ शनैः-शनैः कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में तेल निगम को वर्षवार हुए लाभ का कुल बिक्री, लगी हुई पूंजी आदि के साथ क्या अनुपात था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों में लाभ का कुल बिक्री तथा लगी हुई पूंजी के साथ निम्नलिखित अनुपात था—

		1967-68	1968-69	1969-70
कुल बिक्री की	—	2.5	3.5	3.2
लगी हुई पूंजी की	—	7.2	10.2	11.7

1969-70 के दौरान कुल बिक्री के साथ लाभ के अनुपात में मामूली कमी के कारण हैं : (i) पिछले वर्षों की तुलना में मूल्य-ह्रास की ऊंची दरें क्योंकि मूल्य-ह्रास की आयकर दरों में परिवर्तन होने के कारण निगम ने मूल्य-ह्रास की दरों में पुनरीक्षण किया था। (ii) तुलनात्मक तौर पर बिक्री-कर और भाड़े पर बहुत कम वसूलियां।

बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बी० एन० के० क्षेत्र में करगाली कोयला गड्ढों में आग

*553. **श्री स० कुन्दू** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1970 में बिहार में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बी० एन० के० क्षेत्र में करगाली कोयला गड्ढों में आग लग गई थी;

(ख) यह आग कितने क्षेत्र में फैली और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि तथा क्षति हुई है;

(ग) क्या इस गड्ढे के अन्दर ऐसी आग लगने की घटनाएं कई वर्षों से हो रही हैं; और

(घ) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कारवाई की गई है तथा इसके किसी कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 16-8-70 को नि:शेषित खदान के किनारे पर गैलरियों के मुंह पर अग्नि का पता लगा था ।

(ख) अग्नि के कारण किसी प्रकार की प्रत्यक्ष हानि अथवा नुकसान नहीं हुआ था परन्तु निवारक उपायों पर 2 लाख रुपयों के लगभग खर्चा हुआ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अध्यक्ष ने मामले की जांच करने हेतु ज्येष्ठ तकनीकी आफिसरों की समिति गठित की है ।

राजस्थान और गुजरात में पाये गये गन्धक के निक्षेप

*554. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 नवम्बर, 1970 के समाचारपत्र "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर गंधक के निक्षेप पाये गये हैं जो कि सम्भवत: विश्व में सबसे बड़े निक्षेप होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) "नवभारत टाइम्स" में तारीख 12-11-70 को प्रकाशित समाचार सल्फाइड निक्षेपों के बारे में है न कि सल्फर निक्षेपों के । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अभी तक राजस्थान-गुजरात सीमा पर अम्बामाता-डेरी पट्टी में 10.8% सीसा-जस्ता और ताम्र के साथ 55 लाख मैट्रिक टन अयस्क की उपलभ्य राशियों को अन्तर्विष्ट करने वाला बहु-धातु सल्फाइड अयस्क निक्षेप स्थापित किया है । अम्बामाता क्षेत्र गुजरात राज्य में है और डेरी क्षेत्र राजस्थान में है । आगे अन्वेषण प्रगति पर है ।

चौथी योजना में एल्यूमिनियम विकास कार्यक्रम

*555. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये एल्यूमिनियम विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चौथी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या विस्तार योजनाएं बनाई गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4492/70]

नई दिल्ली नगरपालिका में इमारतों के कर सम्बन्धी नोटिस

*556. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में पांच से अधिक मंजिलों वाली इमारतों के कर सम्बन्धी नोटिस उन प्रवर्तकों तथा भवन-निर्माताओं को न भेज कर जिन्होंने क्रयकर्त्ताओं को अभी तक उक्त इमारतें अन्तरित नहीं की हैं, व्यक्तिगत क्रयकर्त्ताओं को भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नियमों तथा विनियमों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 65 के अधीन नई दिल्ली नगरपालिका ने फ्लेटों के प्रवर्तकों और खरीददारों को नोटिस जारी किये गये थे जिनमें आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्रत्येक खरीददार के नाम पर तथा कानूनी सलाह लेने के पश्चात् रखे गये भागों के लिए प्रवर्तकों के नाम पर कर निर्धारण का निर्णय किया गया था।

(ख) पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 के उपबन्धों के अन्तर्गत कर मालिक द्वारा दिया जाता है। फ्लेटों को खरीदने वाले व्यक्ति उन फ्लैटों के मालिक हैं।

विदेशों में भारतीय सप्लाई मिशन

*557. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन तथा लन्दन स्थित भारतीय सप्लाई मिशनों को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के देशों में स्थित भारतीय सप्लाई मिशनों के सम्बन्ध में सरकार किन नीतियों का अनुसरण कर रही है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव हो, भारत में ही खरीददारी की जाए। लन्दन स्थित भारत पूर्ति मिशन को, जो कि विभाजन के पहले से ही मौजूद है, जारी रखा जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देशों से अभी भी कुछ खरीददारी करनी पड़ती है। इस मिशन के कर्मचारियों की संख्या में क्रमश: कमी कर दी गई है, क्योंकि कुछ काम भारत को स्थानान्तरित कर दिया गया है। जहां तक पूर्व यूरोप के देशों से खरीददारी करने का सम्बन्ध है, यह कार्य रुपये में अदायगी की पद्धति के अधीन भारत में ही व्यापारिक करारों के माध्यम से अथवा प्रत्येक सरकार से अलग-अलग आधार पर कर लिया जाता है। इसलिए उन देशों में भारत पूर्ति मिशन स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं की गई है।

रामगिरि (आंध्र प्रदेश) में स्वर्ण निक्षेप

*558. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में रामगिरि स्थान पर भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाया है तथा परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्पत्ति का वाणिज्यिक आधार पर लाभ उठाने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) रामगिरि स्वर्ण निक्षेप आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के धर्मवरम तालुक में है। यह 50 कि० मी० लम्बी परतदार चट्टान पट्टी के अन्तर्गत लगभग 14 कि० मी० "स्ट्राइकल्यन्थ" पर फैले हुए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन निक्षेपों का 1957-59 में विस्तृत मानचित्रण और अन्वेषण और 1961 से अग्रवर्ती समन्वेषी व्यधन और खननकार्य लिया। इन अन्वेषणों ने सम्भावित स्वर्ण वाले खान के रूप में रामगिरि निक्षेप को प्रकट किया।

(ख) इन निक्षेपों को वाणिज्यिक-परिमाप पर समुपयोजित करने का प्रश्न आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से विचाराधीन है।

विदेशी टेलीविजन कम्पनियों की फिल्मों में भारत के बारे में प्रदर्शित गलत धारणा को दूर करने के लिए कार्यवाही

*559. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी टेलीविजन कम्पनियों द्वारा लिए गये उन चित्रों द्वारा जिन्हें ब्रिटेन और यूरोप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उत्पन्न की गई गलत धारणा को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों से कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार टेलीविज़न समेत विभिन्न माध्यमों से सभी तरह के भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिकार बराबर करती रहती है । भारत में फिल्में बनाने के लिए विदेशों की टेलीविजन टीमों को अनुमति देने के लिए हमने अब नए तरीके अपनाए हैं और नई शर्तें स्थिर की हैं । सरकार जिन टेलीविजन और फिल्म संगठनों को ठीक समझती है उन्हें भारत में विकास के विभिन्न पक्षों और दूसरे कार्यों में तथा अपने कलात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है । हमें उम्मीद है कि मुनासिब समय में ये उपाय फलदायक सिद्ध होंगे ।

भारतीय तेल निगम का विस्तार

*560. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के विस्तार के लिए और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या देश में अधिकतर पेट्रोल पम्प अभी भी विदेशी कम्पनियों के हाथ में हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन पेट्रोल पम्पों की अवधि न बढ़ाने की कोई योजना है ताकि भारतीय तेल निगम के पम्प विदेशी कम्पनियों के तेल पम्पों का स्थान ले सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) शोधक क्षमता और सरकारी क्षेत्र के शोधक कारखानों के उत्पादन को बेचने की सुविधाओं का विस्तार करना और कमी वाले उत्पादों का आयात करना एक निरन्तर कार्य है। इससे भारतीय तेल निगम ने 1966 और 1969 के बीच अपनी बिक्री दुगुनी से ज्यादा कर ली है । देश में पी. ओ. एल. (पेट्रोल-आयल-लुब्रीकैन्ट्स) की बढ़ती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगामी विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) 1 जनवरी, 1970 को चालू हालत में 9909 फुटकर बिक्री केन्द्रों में से 2656 फुटकर बिक्री केन्द्र या कुल का 26.8% भारतीय तेल निगम के थे । इस प्रकार 1-1-1965 से लेकर, जब कुल फुटकर बिक्री केन्द्रों में भारतीय तेल निगम की साझेदारी केवल 3.2% थी, पिछले पांच वर्षों में 2429 फुटकर बिक्री केन्द्रों की वृद्धि हुई है ।

(ग) फुटकर बिक्री केन्द्र समिति की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार, 1-1-1968 से 31 दिसम्बर, 1972 तक 95% नये फुटकर बिक्री केन्द्र भारतीय तेल निगम द्वारा स्थापित किये जाने हैं । इसके अतिरिक्त 2.5 लाख से अधिक आबादी वाले चुने गये 33 शहरों में जहां शहरी भूमि पर दबाव है, पट्टों की समाप्ति पर भारतीय तेल निगम को प्राइवेट तेल कम्पनियों द्वारा सरकारी भूमि पर फुटकर बिक्री केन्द्रों की स्वेच्छित पेशकश की जाती है ।

छिपे नागाओं को चीन तथा पाकिस्तान से सहायता

*561. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं को उनकी सरकार विरोधी गतिविधियों में चीन तथा पाकिस्तान सक्रिय रूप से सहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा छिपे नागाओं को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) इन नागाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं, रसद, हथियार और गोला-बारूद और धन से ये देश सहायता करते रहे हैं और छिपे नागाओं की ओर से प्रचार भी करते रहे हैं।

(ग) सुरक्षा सेनाएं सजग हैं। आसूचना के बेहतर प्रबन्ध और ग्रामवासियों के सहयोग से, चोरी-छिपे आने-जाने वाले लोगों पर नियंत्रण रखने में वे समर्थ हुए हैं। इस प्रकार की कोई पक्की खबर नहीं है कि मार्च 1969 के बाद, जब कि गोबू अंगामों का गिरोह पकड़ा गया था, छिपे नागाओं को कोई नई सहायता मिली हो।

स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को बैरलों की सप्लाई

*562. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री भारतीय तेल निगम को सप्लाई करने के लिए स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के पास पड़े क्रयादेशों के बारे में 27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने भारतीय तेल निगम के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि उसने निगम को अपने वायदे के अनुसार प्रतिमास 15,000 बैरल या स्वदेशी इस्पात से तैयार किये गये बैरलों के मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, सप्लाई किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय तेल निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) समस्या पर अभी तक भारतीय तेल निगम और स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के बीच बातचीत हो रही है।

कोयाली पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के पहले चरण में खर्च की गई पूंजी

*563. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के पहले चरण में खर्च की गई पूंजी में दूसरे चरण के लिए खर्च की जाने वाली पूंजी भी सम्मिलित थी;

(ख) क्या पहले चरण के मिश्र-उत्पादों में कुछ असंतुलन रहे हैं क्योंकि उद्योग समूह के विभिन्न उत्पादों का जिन परियोजनाओं द्वारा उपयोग किया जाना था उनकी स्थापना तेजी से नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां । तकनीकी-आर्थिक कारणों से यथावश्यक सीमा तक ।

(ख) अभी तक ऐसी एक घटना हुई है ।

(ग) एक संबंधित अनुप्रवाही संयंत्र की उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था और निर्माण में कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ है ।

भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में बातचीतों में हुई प्रगति

*564. **श्री अदिचन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में बातचीत को अन्तिम रूप देने में अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन बातचीतों में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) कोचीन और नांगल विस्तार परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है । इन दो परियोजनाओं के बारे में उक्त बैंक के साथ कई बार विचार विमर्श हुआ है । बैंक ने कई विषयों पर अतिरिक्त विस्तृत सूचना मांगी थी । सूचना का अंश सप्लाई किया गया है । मामले को अन्तिम रूप देने के विचार से शीघ्र ही और बातचीत के होने की आशा है ।

कुछ औषध तथा भेषज कम्पनियों द्वारा कम लागत पर सामान्य औषधियों का उत्पादन करने की पेशकश

*565. **श्री ई० के० नायनार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध तथा भेषज कम्पनियों ने कम लागत पर सामान्य औषधियों का उत्पादन करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of Memorial of Swami Shraddhanandji in Delhi

*566. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban** Development be pleased to state :

(a) whether the proposal of the Delhi Administration to set up a grand Memorial of Swami Sharaddhanandji has since been considered by Government;

(b) whether the Administration has approached the Central Government to grant Rs. 16 lakhs for this purpose; and

(c) if so, the final decision thereon ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Not yet, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under the consideration of the Ministry of Education and Youth Services.

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के जरिये रूसी चलचित्र प्रोजेक्टरों के लिए क्रयादेश

*567. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी चलचित्र प्रोजेक्टरों की सप्लाई के लिए पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक का टेंडर 30 जून, 1970 को खोला गया था;

(ख) क्या पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक ने उन अन्य यूनिटों की अपेक्षा जिनमें 95 प्रतिशत देशी पुर्जे होते हैं, के० पी०-12 रूसी प्रोजेक्टरों की सप्लाई के लिए एक फर्म को क्रयादेश दिया;

(ग) के० पी०-12 रूसी प्रोजेक्टर खरीदने के क्या कारण हैं जब कि वे एस. एम. पी. टी. ई. स्टैन्डर्ड के अनुरूप भी नहीं हैं; और

(घ) रूसी प्रोजेटक्रों की कुल कीमत क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की भविष्य में क्या नीति होगी ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) एक आर्डर के. पी. टी.-2 प्रोजेक्टरों के लिए दिया गया है, न कि के. पी.-12 प्रोजेक्टरों के लिए। ये प्रोजेक्टर भारत में भी लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों से तैयार किए जाते हैं।

(ग) के. पी. टी.-2 प्रोजेक्टरों के लिए एक आर्डर दिया गया है क्योंकि इनके लिए निर्ख का जो प्रस्ताव आया था, वह तकनीकी दृष्टि से न्यूनतम स्वीकार्य था। मांगकर्त्ता ने एस. एम. पी. टी. ई: स्टैन्डर्ड के अनुरूप प्रोजेक्टर नहीं मांगा था।

(घ) (i) लगभग कुल 6,60,000 रुपये की लागत के दोहरे प्रोजेक्टरों के 10 सेटों का आर्डर दिया गया है।

(ii) प्रोजेक्टरों को खरीदने के लिए कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है। प्रोजेक्टरों को मांगकर्त्ता द्वारा दी गई विनिर्दिष्टताओं के अनुसार और टेंडरों के आधार पर ही खरीदा जाता है।

गोआ के गैर-सरकारी क्षेत्र में नाइलोन रेशे के धागों के कारखानों की स्थापना

*568. **श्री दण्डपाणी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोआ के गैर-सरकारी क्षेत्र में नाइलोन रेशे के धागे का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता के बारे में आस्ट्रेलिया के नौसेनाध्यक्ष का वक्तव्य

*569. **श्री कं० हाल्दर :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आस्ट्रेलिया के नौसेनाध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने इस विचार को रद्द किया है कि हिन्द महासागर से ब्रिटिश नौसेना के हट जाने से हिन्द महासागर में कोई शक्ति शून्यता उत्पन्न हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखती कि हिन्द महासागर से यू० के० के नौसेना का निकास वह एक शक्ति-शून्यता पैदा कर देता।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि

*570. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रति वर्ष कितनी धनराशि देगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1971 के लिए भारत ने दो करोड़ इक्यासी लाख और पच्चीस हजार रुपये का आश्वासन दिया है। यह पिछले वर्ष के योगदान से अठारह लाख और पचहत्तर हजार रुपये अधिक है। अधिक राशि देने का निर्णय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विस्तृत कार्यकलापों के लिए व्यवस्था करने तथा कार्यक्रम के प्रति भारत का समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया था।

इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरणों का नियमन

3489. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्जन कमांडर ए० के० देव की अध्यक्षता में प्रतिरक्षा मन्त्रालय के इलैक्ट्रानिक तथा राडार विकास संस्थान (ई० आर० डी० ई०) की शाखा ने एक ऐसे पेचीदा देशी इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरण का डिज़ाइन बनाया व उसका निर्माण किया है जो कि एक समय में चार रोगियों के सांस लेने की गति, हृदय की धड़कनों, रक्त-दाब तथा तापमान का ब्योरा प्रस्तुत करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो उससे सम्बन्धित अतिरिक्त ब्यौरा क्या है;

(ग) इलैक्ट्रानिक तथा राडार विकास संस्थान में अन्य कौन-कौन से उपकरणों के डिजाइन तैयार किये गये हैं; और

(घ) उक्त उपकरणों की अनुमानित लागत कितनी है। तथा इस आविष्कार के फलस्वरूप कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की बचत की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) प्रश्नगत सुविधाएं उपलब्ध करने वाला एक उपकरण विकास अधीन है ।

(ग) और (घ) चिकित्सा उपयोगी बिजली के अन्य उपकरण, जिनके लिए विकास प्रगतिशील है, यह हैं—

1. अपरेटस इलैक्ट्रो अनेस्थीसिया ।
2. अपरेटस इलैक्ट्रो-स्लीप ।
3. इंटर्नल एक्सटर्नल डी० सी० डिफाईब्रिलेटर ।
4. इंटर्नल एक्सटर्नल कार्डियो पेसमेकर ।
5. फोनोकार्डियक ग्राफ ।
6. कार्डियक केप सिस्टम ।
7. इलेक्ट्रो अनेस्थीसिया मानिटर यूनिट ।

चूंकि उपकरण अभी विकास अधीन हैं, अभी लागत का कोई अनुमान नहीं लगाया गया ।

किरिबुरू लौह अयस्क परियोजना द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3490. **श्री दविन्दर सिंह गार्चा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरिबुरू खान तथा विशाखापत्तनम के मध्य की 723 किलोमीटर की दूरी पर अयस्क के परिवहन का रेल-भाड़ा उक्त खान पर बहुत बड़ा बोझा है;

(ख) क्या आज तक 6.05 करोड़ रुपये की कुल हानि की तुलना में किरिबुरू ने मार्च, 1970 तक 42.71 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त खान द्वारा बड़ी मात्रा में अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की आय को देखते हुए इस खान को लाभप्रद बनाने हेतु सरकार का मितव्ययिता के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस समय रेल भाड़ा कुल नौका-पर्यन्त-निःशुल्क परिवहन-विक्रय-आपन का 51.81% है।

(ख) किरिबुरू खान से लौह अयस्क के निर्यात पर 31-3-1970 तक उपगत कुल 552.08 लाख रुपये की हानि की तुलना में विदेशी मुद्रा उपार्जन 42.74 करोड़ रुपये थी।

(ग) अब लौह अयस्क का विक्रय नौकापर्यन्त निःशुल्क आधार पर किया जाता है। निर्यात से प्राप्त विक्रय मूल्य में से, रेल-भाड़ा, पत्तन-प्रभार, निर्यात-शुल्क और खनिज और धातु व्यापार निगम का कमीशन भी संदत्त होता है और केवल शेष राशि ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को मिलती है। यह राशि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उपगत उत्पादन लागत से कम है यद्यपि उत्पादन लागत समरूप खानों के साथ तुलनीय है और इसीलिए निगम को हानि उठानी पड़ती है।

क्योंकि हानियां निर्यात के फलस्वरूप हुई मानी जा सकती हैं, अतः खनिज और धातु व्यापार निगम को रेल पर्यन्त निःशुल्क अयस्क को बेचने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

कैंसर अनुसन्धान संस्थान के डा० एम० बी० सहस्रबुद्धि द्वारा ल्यूकेमिया रोग का इलाज

3491. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित कैंसर अनुसंधान संस्थान के डा० एम० बी० सहस्रबुद्धि के निदेशाधीन वैज्ञानिकों के एक दल ने ल्यूकेमिया रोग (श्वेत रक्त प्रकोष्ठों का कैंसर) के सफल इलाज के लिए अनुसंधान किया है और अब एक विशिष्ट ल्यूकेमिया विरोधी द्रव के उत्पादन के लिए एक साधारण प्रणाली का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस सम्बन्ध में एक सूचना प्रकाशित हुई थी।

(ख) यह एण्टी सीरम जो घोड़ों से तैयार की गई है कैंसर अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल अस्पताल एवं हैफिकन, संस्थान, बम्बई के संगठित कार्य का परिणाम है। घोड़े को प्रति सप्ताह प्रतिजन का इंजेक्शन लगाकर तथा 20 सप्ताह के उपचार के पश्चात् प्रथम रक्त निकाल कर यह सीरम तैयार किया जाता है। अमोनियम सल्फेट के अनेक अवक्षेपणों द्वारा प्लाज्मा से ग्लोबुलिन के अंश अलग कर दिये जाते हैं। ए० बी० सी० ग्रुप के सामान्य व्यक्तियों से एकत्र किये गये पैकबद्ध लाल रक्त कणिकाओं से चूस कर अविशिष्ट लाल रक्त कणिकाओं के परस्पर प्रतिक्रियात्मक तत्त्वों को अलग कर दिया जाता है। इस तत्त्व के P H (संकेन्द्रण में हाइड्रोजन का व्युत्क्रम) को 7.2 तक बिठाया जाता है और जीवाणुहीन अवस्थाओं में छानकर सील कर दिया जाता है।

ल्यूकेमिया से पीड़ित रोगियों पर क्लिनिकों में इस एण्टी सीरम के परीक्षण किये गये हैं। इन परीक्षणों के परिणामों का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेलाडिला तथा बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों का विकास

3492. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बेलाडिला तथा बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों का विकास करने हेतु परियोजना तैयार करने सम्बन्धी अध्ययन करने तथा बृहत् योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अध्ययन कब तक किया जायेगा तथा उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार का उपक्रम है न कि मैसूर सरकार का । मध्यप्रदेश में बैलाडिला और मैसूर में बेल्लारी-हास्पेट में लौह अयस्क निक्षेप के एकीकृत विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना अभी नहीं बनाई गई है ।

(ग) परियोजना के विवरणों के बाद ही इनका पता लग सकेगा ।

मूल्यवान पत्थरों तथा हीरों के लिए पृथक् सरकारी उपक्रम की स्थापना

3493. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्यवान पत्थरों की खोज करने, उनसे लाभ उठाने तथा हीरों तथा अन्य जवाहरात के आयात, निर्यात उनके तराशने तथा उन पर पालिश करने का काम सम्भालने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक पृथक् उपक्रम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रस्तावित उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से अलग एक स्वतन्त्र निकाय होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) बहुमूल्य प्रस्तरों के उत्पादन, विक्रय, आयात और निर्यात के लिए स्वशासी कम्पनी स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है । विवरणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

शान्तिकारक औषधियों के उपयोग के कारण विकृत शिशुओं का जन्म

3494. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भवती महिलाओं द्वारा आजकल बाजार में उपलब्ध भारत निर्मित कतिपय शान्तिकारक औषधियों के उपभोग के कारण विकृत शिशुओं का जन्म हो रहा है, यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ओस्मानियां विश्वविद्यालय के डा० राव द्वारा इस सम्बन्ध में इन औषधियों के बारे में कतिपय निश्चयात्मक प्रमाण पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डा० राव के आनुवंशिक (जनेटिक) प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा अनभिज्ञ जनता को सचेत करने के लिए इन खतरनाक औषधियों के नाम प्रचारित करने का है;

(घ) ऐसी खतरनाक औषधियों से जनता को बचाने हेतु सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर एक विशेष औषध जांच अनुभाग स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शान्तिकारक औषधियों तथा अन्य तीक्ष्ण औषधियों के निर्माताओं द्वारा इनको बाजार में बेचने से पूर्व किस प्रकार की जांच की जाती है तथा उन औषधियों की उपयोगिता के बारे में अन्तिम रूप से कौन निर्णय करता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) भारत सरकार को अब तक ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सूचना के प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हुआ तो कोई कार्यवाही की जायेगी ।

(घ) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, हैफ्किन इन्स्टिट्यूट बम्बई तथा कुछ चिकित्सा कालेजों के भेषजविज्ञान विभागों में नई औषधियों की विषाक्तता पर परीक्षण किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे कुछेक स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों के नैदानिक भेषज-विज्ञान एककों का भी विकास करने का विचार है ।

(ङ) जब तक किसी नई औषधि के बारे में विस्तृत सूचना जिसमें विषाक्तता ब्यौरा, जीव रासायनिक तथा अन्य भेषजकीय ब्यौरा, अपरूपजनन अध्ययन, नैदानिक जांच के परिणाम तथा विस्तृत विश्लेषणात्मक विशिष्ट विवरण सम्बन्धी सूचना भी सम्मिलित है, नहीं दी जाती तब तक औषधि एवं अंगराग नियमों के अधीन देश में उसकी बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती है। उस औषधि के बारे में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गई नई औषधि समिति की राय ली जाती है, बहुत सी औषधियों का नैदानिक परीक्षण देश में ही किये जाने पर बल दिया जा रहा है। क्षय-रोग निरोधी औषधियों, मन की बीमारियों की औषधियों आदि जैसी विशिष्ट औषधियों के नैदानिक परीक्षण क्षय-रोग सलाहकार अथवा मानसिक

रोग अस्पताल, रांची के निदेशक अथवा अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर की देख-रेख में किये जाते हैं । इसी प्रकार कैंसर के उपचार की औषधियों के परीक्षण टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली तथा उन अन्य स्थानों में जहां कैंसर एकक मौजूद है, किये जाते हैं । किसी भी नई औषधि के आयात अथवा निर्माण की अनुमति तभी दी जाती है जब सरकार इस बात का समाधान करा लेती है कि वह औषधि निर्दिष्ट परिस्थितियों में उपयोग के लिए सुरक्षित एवं गुणकारी है ।

मौखिक पोलियो वैक्सीन

3495. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूनूर स्थित पोलियो वैक्सीन यूनिट में 30 अक्तूबर, 1970 को समाप्त हुए दो वर्षों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की मौखिक पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया गया तथा उक्त अवधि में कुल कितनी मात्रा का उपयोग किया गया;

(ख) क्या दिल्ली स्थित तंत्रिका-विषक्तता एकक (न्यूरोविरयूलेन्स यूनिट) में काम न होने के कारण कूनूर एकक पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है, और यदि हां तो किस सीमा तक कुप्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या मौखिक पोलियो वैक्सीन की 200,000 खुराकें विदेशों को भेजे जाने के लिए तैयार हैं, यदि हां, तो उन्हें न भेजने के क्या कारण हैं;

(घ) मौखिक पोलियो वैक्सीन के उपयोग से कितने तथा किस प्रकार के पार्श्व प्रभाव पड़ते हैं; और

(ङ) कूनूर एकक के सुचारु रूप से कार्यकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पिछले 2 वर्षों में खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन की 38 लाख 60 हजार मात्राएं तैयार की गईं। इसका मूल्य लगभग 3,60,000 रु० आंका गया है । यह वैक्सीन सार्वजनिक प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं है और इसीलिए इस एकक से इसकी कोई भी मात्रा बाहर नहीं निकाली गई है ।

(ख) इससे पहले कि इस वैक्सीन को प्रयोग में लाने के लिए बाहर निकाला जाये इसका न्यूरोवाइरुलेन्स टैस्ट करना पड़ता है जो एक अत्यधिक संस्कारयुक्त और जटिल प्रक्रिया है । इस काम को करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को उपस्कर दिये जा रहे हैं। आशा है कि इसमें कुछ वक्त लग जायेगा ।

(ग) इस वैक्सीन को विदेश भेजने का प्रश्न नहीं उठता है । ना ही सरकार के पास इस वक्सीन के लिए विदेशों से कोई अनुरोध आया है ।

(घ) अन्य देशों में लाइव पोलियो वैक्सीन से निरापाद किये गये लाखों बच्चों में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं देखा गया।

(ङ) ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह दिखाई दे कि इस एकक का तकनीकी कार्य अच्छी तरह से नहीं चल रहा है।

भारतीयों को बर्मा से बाहर जाने की अनुमति न दिया जाना

3496. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा की सरकार ने 300 भारतीयों को अपने खर्चे पर विमान द्वारा बर्मा से जाने से रोक दिया है और उसकी सम्पत्ति तथा राशन कार्डों को जब्त कर लिया है और उनको रंगून की सड़कों पर लोगों की दया पर छोड़ दिया है; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीयों के प्रति इस अमानवीय व्यवहार पर बर्मा की सरकार से विरोध प्रकट किया है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण

3497. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-निर्माण ऋण हेतु विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्रों पर निर्णय करने में तीन से चार मास तक लग जाते हैं; और

(ख) ऐसे आवेदन-पत्रों पर शीघ्र ही निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) आवेदकों की संख्या में बहुत वृद्धि होने के कारण उनके निपटान में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। तथापि, उपलब्ध की गई निधियों की सीमा तक स्वीकृतियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

गुजरांवाला गृह-निर्माण, सहकारी समिति, दिल्ली

3498. **श्री बाल गोविन्द वर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 11 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9107 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष भूमि समिति को दे दी गई है तथा निषेधादेश वापस ले लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि दे दी गई है तथा किस स्थान पर दी गई है और यदि नहीं दी गई है तो वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) भूमि के इस प्रकार खण्डशः आवंटन तथा विकास करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सदस्यों से बहुत पहले से ही पूरा धन लेने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा **नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष)** : (क) और (ख) जी, नहीं। एक मामले में रोकादेश समाप्त हो गया है। दूसरा मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) कुछ भूमि, रोकादेश के अधीन होने के कारण, रोकादेश के समाप्त होने के बाद ही केवल सोसाइटी को हस्तान्तरित की जायेगी तथा उस द्वारा विकसित की जायेगी।

(घ) सोसाइटी को सदस्यों से सम्पूर्ण राशि अग्रिम रूप में वसूल करनी थी, क्योंकि इसे सम्पूर्ण आवंटित भूमि का मूल्य सरकार के पास जमा करना था।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स के लिए विस्तार योजनायें

3499. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत इलेक्ट्रोनिक्स के विस्तार सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इन योजनाओं के प्रसार में शामिल है क्षमता को बढ़ाना तथा साज-सामान और संगठनों की नई किस्मों का पुरःस्थापन।

(ख) साज-सामान डिवीज़न के लिए प्रसार योजना में शामिल है क्षमता को चौथी योजना अवधि के अन्त तक लगभग 20 करोड़ रुपये से लगभग 40 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। कम्पनी ने साज-सामान डिवीज़न में लगभग 25 करोड़ रुपये वार्षिक की क्षमता पहले ही स्थापित कर रखी है और इस क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रगतिशीलता के पग उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उत्पादन रेखाओं में वर्तमान साज-सामान से अधिक पोलिस्टोवेटिड संस्करण और नये साज-सामान, जैसे कि टी० बी० ट्रांसफिटिंग और स्टुडियो साज सामान, कमप्यूटरों का इलेक्ट्रानिकी अंश, साईक्रोवेवराडार साज सामान इत्यादि पुरःस्थापित करने के लिए पग हस्तगत हैं। गाज़ियाबाद में तकनीकि की एक दूसरी यूनिट की स्थापना भी प्रस्तावित है जिसकी अन्तिम क्षमता लगभग 18 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की होगी। देशीय विज्ञान पर आधारित ट्रांजिस्ट्रीकृत टेलीविज़न रिसीवर सेटों का बी० इ० एल० का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

संघटत डिवीज़न की हालत में रेडियो रिसीविंग वेलवों, जर्मेनियम और सिलीकन अर्ध अहातों के लिए क्षमता बढ़ाने की फौरी आवश्यकता अनुभव की गई है और इस सम्बन्ध में कम्पनी

द्वारा भेजे गये प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं । इन प्रस्तावों में क्षमता में इस प्रकार वृद्धि शामिल है—

मद	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित प्रसार
रेडियो रिसीविंग वेलब	50 लाख	80 लाख
जर्मेनियम अर्थ संवाहक	1 करोड़	2 करोड़
सिलीकन अर्थ संवाहक	40 लाख	2 करोड़

वर्तमान 79 लाख डिस्कों और 45 लाख प्लाकेटों की वर्तमान वार्षिक क्षमता को 90 लाख डिस्कों और 67 लाख प्लाकेटों प्रति वर्ष तक बढ़ा कर पोरामिक कपैस्टिरों की क्षमता को बढ़ाने का भी भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० का विचार हैं ।

संघटक डिवीज़न में नई मदों में से बी० ई० एल० समेकत सर्कटों के निर्माण का विचार कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा भेजी गई प्रायोजना सरकार के विचाराधीन है । इस मद के लिए एक विदेशी फर्म के साथ सहयोग करारनामा पहले ही एक प्रगत प्रावस्था में है ।

प्रत्याशित अन्दरूनी बढ़ी-चढ़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और यू० ए० आर० तथा यूगोस्लवाकिया को सम्भावित निर्यात के लिए टी० बी० चित्र ट्यूबों के लिए सीसे को सैल्स के देशीय निर्माण और टी० बी० चित्र ट्यूबों के प्रसार स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

राजदूतों, उच्च आयुक्तों आदि के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियोंके लिए अवसर

3500. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक प्रतिशत व्यक्तियों को भी विदेश सेवा में राजदूतों, उच्चा आयुक्तों या प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के अवसर नहीं दिए जाते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश सेवा में (i) राजदूत तथा हाई कमिश्नर और (ii) वर्ग के अन्य अधिकारियों की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की वर्तमान संख्या क्रमशः 2.2% और 9.12% तक है ।

स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के तकनीकी कर्मचारियों के लिए पंजाब के वेतनमान

3501. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के तकनीकी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान अभी तक पंजाब के वेतनमानों की सुविधायें नहीं दी गई हैं;

(ख) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने सिफारिश की है कि उनको भी पंजाब के वेतनमान दिये जाने चाहियें; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नर्सिंग स्टाफ को छोड़ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान; चण्डीगढ़ के शेष सभी तकनीकी स्टाफ को पहले ही पंजाब के वेतनमान दे दिये गये हैं। वैसे, नर्सिंग स्टाफ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मिलने वाले वेतनमान दिये जा रहे हैं जो कि पंजाब के वेतनमानों से अच्छे हैं।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम 1966 के अधीन स्थापित एक स्वशासी निकाय है अतः चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा सिफारिश किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मदाम स्वेतलाना के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री को पत्र

3502. **श्री प्र० के० देव** :

श्री मीठालाल मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्शल स्टालिन की पुत्री मदाम स्वेतलाना के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एस० एस० धवन द्वारा भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री एम० सी० चागला को लिखे गये कतिपय पत्रों के बारे में 24 अक्तूबर, 1970 के "करेंट वीकली" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस समाचार में श्री धवन के चरित्र के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ! पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में श्री धवन की नियुक्ति के पूर्व ये पत्र लिखे गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी के भाषणों का संकलन

3503. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आजाद हिन्द क्रांति के समय जर्मनी और दक्षिण पूर्व एशिया से दिये गये नेताजी बोस के युद्धकालीन भाषणों के रिकार्ड की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेताजी के भाषणों के रेकार्ड को संकलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संकलन को प्रकाशित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो नेताजी के युद्धकालीन प्रसारणों के लेखों की छंटाई के लिए युद्धकालीन प्रलेखों की छानबीन कब तक पूरी हो जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मंत्रालय के ऐतिहासिक अनुभाग ने अपने पास प्राप्य युद्धकालीन वक्तव्यों समेत विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण करके आजाद हिन्द फौज के इतिहास का एक मसौदा तैयार किया था। भारत तथा विदेश में इस विषय पर तब से कई प्रकाशन निकाले गये हैं; और उन प्रकाशनों में दिए द्रव्य का ऐतिहासिक अनुभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है कि जिस हद तक उसे आवश्यक समझा जाए उसे उस इतिहास के मसौदे में समन्वित किया जाए।

(ख) से (घ) नेताजी के युद्धकालीन व्यक्तव्यों पर विशेष तौर पर आधारित किसी अलग पुस्तक के संग्रह और प्रकाशन के लिए इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब के सन्तुलित उर्वरक का निर्माण करने हेतु कणीयन कारखाना (ग्रैन्युलेशन प्लांट)

3504. **श्री सीता राम केसरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में संतुलित उर्वरक का निर्माण करने हेतु एक कणीयन कारखाने का हाल में उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत आई है और उसकी कितनी क्षमता है; और

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसे कारखाने खोलने की योजनायें बनाई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब स्टेट कापरेटिव सप्लाई एण्ड मार्किटिंग फैडरेशन लि० द्वारा ढण्डारी कलां (जिला लुधियाना) में कणीयन कृत सम्मिश्र उर्वरकों के निर्माण के लिए स्थापित किये गये कारखाने की लागत 21.50 लाख रुपये है; कारखाने की क्षमता प्रति वर्ष 40,000 मीटरी टन है।

(ग) जी नहीं, सरकार ऐसी योजनाओं की (जब कभी वे प्राप्त होंगी) गुणावगुण के आधार पर जांच करेगी।

बंगलौर में हैलीकाप्टर कारखाना

3505. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक हैलीकाप्टर कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निर्माण क्षमता क्या होगी;

(ग) यह कारखाना कब तक निर्माण करना आरम्भ कर देगा; और

(घ) क्या यह असैनिक आवश्यकतायें पूरी करेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) सम्मिश्र के भाग के तौर पर सरकार ने एक हैलिकाप्टर फैक्टरी के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

(ख) सूचना प्रकट करना लोकहित में न होगा।

(ग) हैलिकाप्टर पहले लाइसेंस के अन्तर्गत अलौटी 3 हैलिकाप्टरों का निर्माण कर रहा है। यह प्रायोजनाएं प्रगतिशीलता से नई फैक्टरी के अन्तरित कर दी जाएंगी। प्रत्याशा है कि नई फैक्टरी को लगभग 4 वर्षों में पूरी तौर पर चालू पर दिया जाएगा, चाहे कुछ कार्य उससे पहले ही हस्तगत कर लिया जाएगा।

(ग) जैसा कि विचार किया जाता है उत्पादन कार्यक्रम मुख्यत: रक्षा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है, परन्तु यथा सम्भव सीमा तक असैनिक आवश्यकताएं भी पूरी की जाएंगी।

पटना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की परीक्षाओं में कथित अनियमिततायें

3506. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पटना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की परीक्षाओं में गम्भीर अनियमिततायें हुई हैं;

(ख) क्या जांच आयोग ने विश्वविद्यालय के उच्चतम अधिकारियों जिनमें कुलपति, उपकुलपति तथा एकेडेमिक काउंसिल सम्मिलित है, पर गम्भीर आक्षेप लगाये हैं;

(ग) क्या मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने का विचार है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनियमितताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और समिति द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अभी भी उक्त परिषद् के विचाराधीन है ।

परिषद् को अन्तिम सिफारिश/रिपोर्ट के मिल जाने पर केन्द्रीय सरकार की ओर से आगामी अपेक्षित कार्यवाही, यदि कोई हो, तो की जायेगी ।

बीसा के बिना 'टोरोन्टो ग्लोब एण्ड मेल' के संवाददाता की भारत यात्रा

3507. **श्री मयावन :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टोरोन्टो ग्लोब एण्ड मेल' के संवाददाता जिनको बीसा देने से इन्कार कर दिया गया था, बिना बीसा के मद्रास से दिल्ली विमान में आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि भारत में उनके प्रवेश के लिए निषेधाज्ञा थी इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था ।

भारतीय सेना में जातियों के नाम पर रेजिमैंटें

3508. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सेना की रेजीमैंटों आदि के जातियों से सम्बन्धित नामों के बारे में 1 अगस्त, 1970 के "इण्डियन नेशन" तथा 2 अगस्त, 1970 के "नागपुर टाइम्स" में प्रकाशित लैफ्टीनैन्ट कर्नल गौतम शर्मा के लेख की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इण्डियन नेशन में प्रकाशित ले० कर्नल (लेखा निवृत्त) गौतम शर्मा का लेख सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) जैसा कि लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6319 दिनांक 28-8-1968 और तारांकित प्रश्न संख्या 85 दिनांक 13-11-1968 के उत्तरों में बताया गया है सरकार की व्यापक नीति है कि सेना में धर्मों को यथा सम्भव उदार बनाया जाये और जाति-पंथ-सम्प्रदाय या धर्म के भेद-भाव

के बिना सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायें। तदपि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि सेना की कुछ यूनिटों (इनफेंट्री, आर्टलिरी और क्वचित कोर) में भर्ती के वर्तमान ढंग में कोई अचानक ऐसा परिवर्तन न हो कि जो अस्थायी तौर पर भी सेना की क्षमता पर प्रभावित हो। उपरोक्त अब भी सरकारी नीति का उद्देश्य है।

गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए तमिलनाडु को आवासीय आवर्ती निधि से केन्द्रीय सहायता

3509. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय आवर्ती निधि से केन्द्रीय सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु तमिलनाडु को कोई सहायता दी थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) जी, नहीं। आवास और नगर विकास की आवर्तन निधि से प्रबन्ध करने के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त परियोजना के प्रस्ताव भूमि के विकास और मकानों के निर्माण से सम्बन्धित थे। राज्य सरकार के परामर्श से इन पर विचार किया जा रहा है। यदि उन्हें स्वीकार्य पाया गया तो निगम द्वारा समय-समय पर उपलब्ध साधनों के आधार पर स्वीकृत कर लिया जायेगा।

उत्तर कोरिया के महा-वाणिज्य दूत का वक्तव्य

3510. **श्री महेन्द्र मांझी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया के महा-वाणिज्य दूत ने हाल ही में अपने देश की बाइसवीं जयन्ती के अवसर पर एक वक्तव्य जारी किया था;

(ख) क्या महा-वाणिज्य दूत ने उक्त वक्तव्य में संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य मित्र देशों की आलोचना की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके इस वक्तव्य से तृतीय-देश नियम का उल्लंघन नहीं होता; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) ऐसा वक्तव्य देने के अनौचित्य की ओर नई दिल्ली में कोरिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रधान कौंसल का ध्यान दिलाया गया है।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करना

3511. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुभव हो रही कठिनाइयों में काफी वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को बिना कठिनाई व परेशानी के समुचित आवास-स्थान प्राप्त करने में और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जहां तक रिटायर हो रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या का सम्बन्ध है, हमें रिटायर हो रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइओं में किसी वृद्धि का कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं में और सहूलतें देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेपाल में भारतीय फिल्म मेला रद्द किया जाना

3512. **श्री दे० अमात :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 नवम्बर, 1970 को नेपाल में होने वाला भारतीय फिल्म मेला रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एक फिल्म समारोह समिति के तत्वावधान में 7 नवम्बर, 1970 को काठमांडू में जो भारतीय फिल्म समारोह होने वाला था वह रद्द कर दिया गया था।

(ख) अक्तूबर के अन्त में जब भारत-नेपाल व्यापार वार्ता नई संधि पर हस्ताक्षर हुए बिना स्थगित हो गई तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुछ पथभ्रष्ट तत्वों ने हिंसा द्वारा इस समारोह को भंग कर देने की धमकी दी। इसीलिए, फिल्म समारोह समिति ने इस समारोह को रद्द करने का निर्णय किया।

चण्डीगढ़ में कम तथा मध्यम आय वाले व्यक्तियों को प्लाट देना

3513. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने कम तथा मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रियायती दरों पर प्लाट देने के केन्द्रीय सलाहकार समिति के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ प्रशासन ने निम्न-आय के कर्मचारियों को रियायती दरों पर, प्लाटों के आवंटन के लिए, एक योजना तैयार की थी । इस मंत्रालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणी के प्रकाश में, उनसे योजना को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था । संशोधित योजना अक्तूबर, 1970 के अन्त में प्राप्त हुई थी । इस विभाग के विचार, चण्डीगढ़ प्रशासन को सूचित किये जा रहे हैं, ताकि योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर, कार्यान्वित किया जा सके ।

Visit of P. M. to Geneva

3514. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had visited Geneva on her way back from America recently;

(b) if so, whether this visit was in her private or official capacity; and

(c) the topics on which she had discussion there ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) On her way back from New York, the Prime Minister broke journey in Geneva on the 25th October, 1970, before proceeding to Cairo to hold discussions with the U.A.R. leaders.

(c) No discussions were held during the Prime Minister's halt in Geneva.

राजस्थान में पेय जल की समस्या

3515. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जहां पेय जल उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने पेय जल की समस्या को हल करने के लिए एक बृहत योजना की क्रियान्विति हेतु धनराशि के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) इसके लिए अनुमानत: कितनी पूंजी की आवश्यकता है तथा इस योजना को संभवत: कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जनवरी, 1970 में राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उन गांवों की संख्या 6420 है जिनमें एक मील की परिधि में पेय जल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चौथे आयोजन में जल पूर्ति एवं सफाई की व्यवस्था को राज्य सेक्टर में रखा गया है । राजस्थान सरकार ने अपनी नगर तथा ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए 30.33 करोड़ रु० की व्यवस्था की है जिसमें से 20 करोड़ रुपये ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिए नियत किये गये हैं ।

पेय जल की समस्या को हल करने के लिए एक बृहत् योजना को क्रियान्वित हेतु धन देने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है तथापि राज्य सरकार ने अपने राज्य के सात सूखा ग्रस्त जिलों में जल की व्यवस्था करने के लिए 20 करोड़ रु० की लागत वाली "रूरल वर्क्स प्रोग्राम" नामक एक नई योजना तैयार की है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि चौथे आयोजन में नियत की गई वर्तमान धनराशि के अतिरिक्त 20 करोड़ रु० की धनराशि इस योजना के लिए दी जाय ।

(ग) राज्य सरकार को "रूरल वर्क्स प्रोग्राम" के चौथी योजना में पूरा हो जाने की आशा है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

अकालग्रस्त हो सकने वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

3516 **श्री न० कु० सांघी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अकालग्रस्त हो सकने वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने में सहायता देने के कुछ राज्य सरकारों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा तथा इस उद्देश्य के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा तथा कब पूरा होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश के कतिपय भागों में भूमिगत जल अन्वेषण करता आ रहा है । जल संसाधनों के विकास के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक द्विमुखी कार्यक्रम बनाया है, अर्थात् (i) क्षेत्रीय भूमिगत जल निर्धारण तथा (ii) कथित क्षेत्रों में व्यधन द्वारा सहायता प्राप्त विस्तृत भूमिगत जल निर्धारण । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में तथा आन्ध्र प्रदेश में रेयाला सीमा के वर्षा छाया वाले क्षेत्रों में तथा मैसूर के संलग्न भागों में कार्य करने की व्यवस्था की गई है ।

अपने सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किसी राज्य सरकार के अनुरोध करने पर अकालग्रस्त क्षेत्रों के प्राथमिकता के आधार पर भूमिगत जल का अन्वेषण करता है । विगत काल में राज्य सरकार के अनुरोध पर बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कतिपय भागों में ऐसे सर्वेक्षण किए गए थे ।

नागा-विद्रोहियों द्वारा आत्म-समर्पण

3517. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही-नागा बड़ी संख्या में सरकार के सम्मुख आत्म-समर्पण करते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कितने विद्रोही-नागाओं ने आत्म-समर्पण किया है; और

(ग) गत दो वर्षों में कुल कितने विद्रोही नागाओं ने आत्म-समर्पण किया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। भूमिगत नागा भारी संख्याओं में सरकार को आत्मसमर्पण करते रहे हैं।

(ख) और (ग) लगभग 360 भूमिगत नागाओं ने 1 जून, 1970 से 30 नवम्बर, 1970 तक लगभग 2100 भूमिगत नागाओं ने आत्मसमर्पण किया।

दौरे के समय प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विशेष विमान का प्रयोग

3518. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1969 से 31 अक्तूबर, 1970 तक विभिन्न राज्यों के प्रधान मन्त्री के दौरों के लिए भारतीय वायु सेना के विशेष विमानों का कितनी बार तथा किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : आई० ए० एफ० विमानों द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रधान मंत्री के भ्रमणों को विस्तार देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4493/70]

मिजो-विद्रोहियों द्वारा 'नेफा' सीमा पर शिविरों की स्थापना

3519. **श्री का० प्र० सिंह देव :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या बहुत से मिजो विद्रोहियों ने पाकिस्तान में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् वापस भारत में घुस आने के लिए नेफा सीमा पर अपने शिविर स्थापित कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित भूमिगत नागाओं के उत्तर पूर्वी सीमा पर कोई शिविर स्थापित करने के संबंध में कोई

सूचना नहीं है। तदपि उनके असम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा में से चोरी छुपे भारत पहुंचने के प्रयासों का उसे ज्ञान है। उनके प्रवेश के विरुद्ध कड़ी सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा सेनाओं द्वारा आवश्यक पग उठाए गए हैं।

कोटला फिरोजशाह (विक्रम नगर) दिल्ली के शरणार्थी निवासियों की एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3520. **श्री देविन्द्र सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटला फिरोजशाह (विक्रम नगर) दिल्ली के शरणार्थी निवासियों की एसोसिएशन द्वारा गत वर्ष के आस-पास प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां।

(ख) ऐसोसिएशन ने यह प्रार्थना की है कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों को किराये के आधार पर आवंटित किये गये फिरोजशाह कोटला क्षेत्र के मकानों को स्थायी तौर पर उन्हें हस्तान्तरित किया जाय। मकानों की भूमि बृहत् योजना में "हरित क्षेत्र" है, अतः यह स्थायी आधार पर रिहायशी उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। तथापि, ज्ञापन विचाराधीन है।

प्रधानमंत्री को अम्बाला छावनी के शरणार्थियों, भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा अन्य लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन

3521. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री को चण्डीगढ़ में अपने अभी हाल ही के दौरे के समय, अम्बाला के छावनी अधिकारी द्वारा नाम मात्र के मुआवजे पर लोगों को उनके निवास क्वार्टरों, बंगलों तथा घरों को खाली करने को बाध्य करने में अपने अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध अम्बाला छावनी के शरणार्थियों, भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा अन्य लोगों की ओर से हरियाणा के मुख्य मंत्री के माध्यम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन्होंने छावनी की भूमि के निवासियों के बारे में नीति अपनाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ग) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

15 डेनियर नाइलोन धागों की ऊंची कीमतें

3522. **श्री स० कुण्डू** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 डेनियर नाइलोन धागों की कीमत उससे कहीं अधिक हो गई है जो निर्माताओं तथा छोटे पैमाने के बुनकरों के महासंघ के साथ निश्चित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कीमत कितनी अधिक हो गई है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मिलों द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को 15 डेनियर यार्न की सप्लाई के संबंध में कीमत में हुई कोई वृद्धि ध्यान में नहीं आई है। कर्तकों एवं बुनकरों के बीच हुए स्वैच्छिक करार, जिसे जुलाई, 1970 से लागू किया गया था, के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार

3523. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 22 भारतीय नागरिकों को दिये गये हैं जिसमें उन्हें आपेरा कलाकार आदि बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार पाने वालों के नाम क्या हैं तथा ये पुरस्कार किस रूप में दिये गये हैं; और

(ग) क्या ये पुरस्कार पाने वालों को रूस की दो सप्ताह की निःशुल्क यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०— 4494/70]

खाद्य पदार्थों के स्तर संबंधी उप-समिति का प्रतिवेदन

3524. **श्री शंकरराव माने** : क्या स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित खाद्य पदार्थों के स्तर सम्बन्धी उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति द्वारा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन स्थापित की गई एक सांविधिक समिति है, विभिन्न उप-समितियां स्थापित की जाती हैं। कुछ उप-समितियों ने तो अपनी रिपोर्टें खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति को विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है जबकि कुछ की रिपोर्टें आने की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। "खाद्य मानकों की उप-समिति" नाम की कोई उप-समिति नहीं है। सम्भवतः आशय अपमिश्रित तथा घटिया किस्म के खाद्यों में अन्तर करने की सम्भाव्यता पर विचार करने वाली उप-समिति से है। इस उप-समिति की अन्तिम सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है।

कलकत्ता में हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली इंजन ओवर हालिंग की सुविधाएं

3525. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के भाप पिस्टन इंजनों की मरम्मत करने हेतु बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए पुराना सामान पड़ा है;

(ख) क्या पिस्टन इंजनों की मरम्मत का बाहरी पार्टियों का काम केवल हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ही कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) डकोटा विमान के लिए प्रश्नगत निप्टान द्रव्य का अधिकतर स्टाक, उसके इंजन और इंजन-सहायक एच० ए० एल० द्वारा दो दशियों से अधिक हुए प्राप्त किये गये थे। इस स्टाक में से अधिकतर द्रुतगामी मदें पहले से प्रयोग में लाई जा चुकी हैं, और इस स्टाक में से एच० ए० एल० के पास से शेष जो उपयोगी बच रहा है वह घोषित मूल्य का है।

एच० ए० एल० के पास बाहरी पार्टियों के लिए पिस्टन इंजनों का ओवरहाल कार्य लेने की काफी क्षमता है, परन्तु इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक होगा कि ओवरहाल के आवश्यक द्रव्य आयात किए जाएं, क्योंकि अपने पास रह गए स्टाक पर वह सीमित तौर पर ही निर्भर रह सकते हैं।

गांवों में कार्य करने के लिए मैडिकल कालिज के छात्रों से बांड भराना

3526. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में मैडिकल कालिज में प्रवेश पाने वाले छात्रों से तीन वर्ष तक गांवों में सेवा करने के लिए बाण्डों पर हस्ताक्षर कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) मैडिकल कालेजों में भरती होने वाले छात्रों से इस आशय के किसी अनुबन्ध करार के भरवाने के बारे में कि वे तीन वर्ष तक ग्रामों में सेवा करेंगे, कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के सामने नहीं हैं । तथापि सरकार ने 1969 में गठित चिकित्सा शिक्षा समिति की इस सिफारिश को कि मेडिकल कालेजों में 50% सीटें उन छात्रों के लिए सुरक्षित रखी जाएं जो ग्राम क्षेत्रों में सेवा करने का वचन दें, सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इस सिफारिश को इस वर्ष जुलाई में हुए चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन और 23 जुलाई 1970 को औरंगाबाद में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में भी मान लिया गया था । सभी राज्य सरकारों, मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सा संकायों वाले विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सुझाव को तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निर्णयों को कार्यान्वित करें । इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा समिति द्वारा किये गये तथा चिकित्सा सम्मेलन और केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा अनुमोदित किये गये इस आशय के एक अन्य सुझाव को कि सभी इन्टर्न अपनी इन्टर्नशिप को एक वर्ष की अवधि में कम से कम छ: महीने ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करें, सरकार ने मान लिया है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद तथा सम्बन्धित प्राधिकारों से इस निर्णय को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम का कार्य

3527. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री एस० डी० सोमसुंदरम :
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मकान निर्माण करने के लिए आवर्तक निधि के अन्तर्गत एक भी परियोजना की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है;

(ख) क्या धन की व्यवस्था करने हेतु अप्रैल में स्थापित केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम को अभी उचित रूप से बोर्ड गठित करना है;

(ग) क्या इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार अभी निर्णय नहीं कर सकी है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले को शीघ्र ही निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ताकि इस वर्ष 25 करोड़ रुपये के निवेश का भली-भांति उपयोग किया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रलाय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ) आवास और नगर विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी के रूप में 25 अप्रैल 1970 को पंजीकृत हुआ था। इसे राज्यों आदि से अब तक 116 परियोजना-प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी मूल पूंजी लगभग 100 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं, राज्य सरकारों के परामर्श से निगम के विभिन्न स्तरों में विचाराधीन हैं। यदि इन्हें स्वीकार्य पाया गया तो निगम द्वारा समय-समय पर उपलब्ध साधनों के आधार पर स्वीकृत कर दी जाएंगी। राज्यों आदि को ऋण देने के लिए निगम को चालू वर्ष के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी राशि को एकत्रित करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

निगम के मुख्य कार्यकारी तथा अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक डाइरेक्टरों के चयन लगभग पूरे हो चुके हैं। चयन किये व्यक्तियों के शीघ्र ही कार्य सम्भालने की आशा है। इसी बीच, निगम के प्रोमोटर्स, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के अनुसार उसका कार्य कर रहे हैं।

अधिक खपत वाली औषधियों का मूल्य ढांचा

3528. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने के विचार से अधिक खपत वाली 25 अन्य औषधियों के मूल्य ढांचे की जांच-पड़ताल आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार अन्य औषधियों के मूल्य ढांचे की जांच-पड़ताल करायेगी, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जांच-कार्य जारी है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एअर हैमर ड्रिलिंग रिग

3529. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत के ग्यारह कड़ी चट्टान वाले राज्यों के 12,000 गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने सम्बन्धी अपने लाखों डालर वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि भारत को तेज गति वाले 85 एअर-हैमर ड्रिलिंग रिग भेंट में दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कड़ी चट्टानों के जल सप्लाई करने की योजना का विस्तार किन-किन राज्यों में किया जायेगा; और

(घ) इससे राज्यों के कड़ी चट्टान वाले क्षेत्रों में गांवों की पेय जल की आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यूनिसेफ से लगभग 85 तेज गति वाले एअर-हैमर ड्रिलिंग रिग प्राप्त होने की आशा है जिनका उपयोग देश के चट्टानी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा।

(ख) देश के चट्टानी क्षेत्रों में पेय जल की कमी को पूरा करने के लिए भारत में अनुपलब्ध 'न्यूमैटिक' नामक तेज गति से चट्टान को खोदने वाले ड्रिलिंग उपस्कर के आयात के लिए यूनिसेफ की सहायता ली गई है। भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ के बीच हस्ताक्षरित कार्यायोजना के अनुसार यूनिसेफ द्वारा 58 लाख 93 हजार अमेरिकी डालर की लागत के उपस्कार तथा सामान 1970-74 के दौरान दिये जायेंगे।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा अन्य राज्य जो भी ऐसी सहायता के लिए आगे आता है उसको ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए यूनिसेफ द्वारा दिये गये रिग उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) देश के सभी चट्टानी क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाओं को चलाने में यह कार्यक्रम सहायक होगा।

परिवार नियोजन सम्बन्धी अनुसन्धान पर व्यय

3530. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम में अनुसंधानों पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या कोई विश्वविद्यालय इस अनुसन्धान से सम्बद्ध है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों की पृथक्-पृथक् राशि क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिन्न प्रकार की अनुसन्धान योजनाओं पर अप्रैल, 1966 से मार्च, 1970 के अन्त तक 1,46,48,998 रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जनांकिकीय एवं संचार क्रिया अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायतार्थ अनुदान सीधे ही इस विभाग द्वारा मंजूर किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए चार विश्वविद्यालय सहायतार्थ अनुदान प्राप्त करते हैं। मंजूर किये गये अनुदानों का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4495/70]

जीव चिकित्सा अनुसंधान के लिए अनुदान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से मंजूर किये जाते हैं जो प्रति वर्ष अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर ऐसे अनुदान स्वीकृत करते हैं। यह परिषद चालू वित्तीय वर्ष में देश भर में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों और विज्ञान संस्थानों में 50 अनुसंधान योजनाओं को सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के लिए कुल 14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं और ये अनुसंधान कार्य 27 संस्थानों में किये जा रहे हैं।

भारत – बर्मा सीमा आयोग

3531. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत—बर्मा संयुक्त सीमा आयोग ने साझी सीमा का सीमांकन कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सीमांकन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत—बर्मा सीमा का रेखांकन 1968 से चल रहा है और यह कार्य संतोषजनक ढंग से किया गया है। कुल 490 मील का रेखांकन कार्य 1968-69 और 1969-70 के क्षेत्र-कार्य मौसम में किया गया। आगे 225 मील में 1970-71 के मौसम में काम किया जाएगा। भूमि संपुष्टि एवं नक्शे बनाने आदि जैसे सम्बन्धित कार्य भी प्रगति पर हैं। रेखांकन कार्य पर कुल लगभग 1,57,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। शुरू में खर्च सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है जो बाद में पिछले

समन्जनों से विदेश मंत्रालय द्वारा अदा किया जाता है। अब तक 37.67 लाख रुपया सर्वे आफ इण्डिया को अदा किया गया है। शेष राशि अभी समन्जित होना बाकी है।

निर्यातोन्मुख एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

3532. **श्री यशपाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना के आरम्भ में एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम से निर्मित उत्पादों का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या निर्यात की दृष्टि से एल्यूमिनियम का कोई कारखाना स्थापित किया गया है, और यदि हां, तो वह किस राज्य में स्थापित किया गया है; और

(ग) क्या भारतीय एल्यूमिनियम की विदेशों में मांग है और यदि हां तो वे कौन-कौन से देश हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) चतुर्थ योजनावधि के दौरान एल्यूमिनियम उद्योग के विकास के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में अनुमोदित/अनुज्ञप्त परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह आशा की जाती है कि देश चतुर्थ योजनावधि के अन्तिम चरण अथवा पंचम योजनावधि के प्रारम्भ तक एल्यूमिनियम में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तत्पश्चात्, पंचम योजनावधि के दौरान में एल्यूमिनियम और इसके उत्पादों का विदेशों को निर्यात करना सम्भव हो सकेगा।

(ख) जी, नहीं। तथापि, गुजरात राज्य में निर्यातोन्मुख एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना की साध्यता परीक्षणाधीन है।

(ग) पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्वी एशिया और ब्रिटेन, कनाडा, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया जैसे देशों से भी एल्यूमिनियम और इसके उत्पादों के लिए मांग है।

जेनेवा तथा त्रिपोली में राजनयिक मिशनों का दर्जा बढ़ाया जाना

3533. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेनेवा तथा त्रिपोली और पूर्वी बर्लिन स्थित अपने राजनयिक मिशनों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिशनों का दर्जा बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां, कारण निम्न थे—

(1) **जेनेवा**

अभी हाल तक जेनेवा स्थित हमारा मिशन संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय एजेन्सियों से सम्बन्धित हमारे कार्य का केवल कुछ अंश किया करता था। इसका एक महत्त्वपूर्ण अंश अर्थात् निरस्त्रीकरण समिति से सम्बन्धित कार्य बर्न स्थित हमारा राजदूत तदर्थ आधार पर किया करता था। अपने प्रबन्ध की समीक्षा करने पर हमने यह महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों से सम्बद्ध सारे काम को जेनेवा में केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अत: मिशन की व्यवस्था का पुनर्गठन करना आवश्यक था। पुनर्गठित मिशन की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इसका नेतृत्व उच्चतर वर्ग के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जेनेवा में प्रधान कोंसल से पद की जगह उससे निचले वर्ग का यानी उप-कोंसल का पद बना दिया गया है।

(2) **त्रिपोली**

वर्तमान प्रबन्ध यह है कि काहिरा के हमारे राजदूत लीबिया में भी प्रत्यायित हैं और त्रिपोली में रहने वाले हमारे प्रतिनिधि प्रथम सचिव/कार्यदूत हैं। लीबिया से अपने बढ़ते हुए आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह आवश्यक समझा गया कि त्रिपोली में रहने वाला हमारा प्रतिनिधि राजदूत के स्तर का होना चाहिए। तद्नुसार इस पद को ऊंचा बनाने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण पर व्यय

3534. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासन पर कितना व्यय किया गया;

(ख) वास्तविक विकास पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) प्रशासन व्यय तथा विकास व्यय का अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

झण्डेवाला बाजार, दिल्ली, का विकास

3535. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झण्डेवाला बाजार, दिल्ली का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास और आवंटन कब किया गया था;

(ख) क्या वहां पर सफाई की और अन्य सभी नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) क्या वहां के निवासियों से सफाई, सड़कों की टूट-फूट और सड़ते हुए पानी के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) यह 1966 में विकसित तथा दुकानदारों को आवंटित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) सड़क के किनारों की नालियां, मुख्य रूप से दुकानदारों द्वारा स्वयं ही डाले गये सामान से रुक गई हैं। तथापि, स्थिति सुधारने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिरिक्त नालियों की व्यवस्था कर रहा है। उचित सफाई व्यवस्था के लिए, दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में सफाई कर्मचारियों में वृद्धि की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण श्रमिक संघ के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3536. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण श्रमिक संघ के श्रमिक 22 सितम्बर, 1970 से आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण की उनके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली प्राधिकरण श्रमिक संघ से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार उनकी मांगें हैं कि जो श्रमिक कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थाई किया जाना चाहिए; जो वर्ष में 240 दिन कार्य करते हों, उन्हें सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए; साप्ताहिक छुट्टियां तथा राष्ट्रीय दिवसों की छुट्टियां सवेतन होनी चाहिएं; उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए; न्यूनतम मजदूरी 3.50 रुपये से बढ़ा कर 7 रुपये प्रतिदिन की जाए; सेवा से छंटनी किये गये श्रमिकों को पुनः काम पर लगाया जाना चाहिए; निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध की जानी चाहिए; कार्य-समय प्रचलित कानून के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपरोक्त संघ मान्यता प्राप्त नहीं है; प्राधिकरण से विधिवत मान्यताप्राप्त डी० डी० ए० इम्प्लाइज़ एसोसियेशन पहले ही पंजीकृत है।

सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिरक्षा पर लिखी गई पुस्तकें

3537. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सैनिक अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में प्रतिरक्षा पर पुस्तकें लिखी हैं तथा उनकी पुस्तकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ अधिकारियों ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी कतिपय गोपनीय बातों को प्रकट किया है तथा ऐसे तथ्य बताये हैं जो कि सर्वसाधारण को ज्ञात नहीं थे;

(ग) क्या उन पुस्तकों में उल्लिखित कतिपय तथ्यों पर सैनिक अधिकारियों के बीच कुछ विवाद भी चल रहे हैं;

(घ) प्रत्येक लेखक के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967-70 के तीन वर्षों के दौरान सेना-नियुक्त सेवाओं के अफसरों द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों का सरकार को ज्ञान है—

(1) ले० जनरल बी० एम० कौल	—दी अनटोल्ड स्टोरी
(2) मे० जनरल डी० के० भालित	—दी एसेंशियल्ज़ आफ मिल्ट्री नालेज
(८) ब्रि० जे० पी० दाल्वी	—हिमालायन ब्लण्डर
(4) विंग कमाण्डर एम० के० चोपड़ा	—इण्डिया—दी सरच फार पावर
(5) ले० जनरल एल० पी० सेन	—स्लेण्डर वाज़ दी थ्रेड : काश्मीर कंफ्रंटेशन : 1947-48
(6) मेजर सी० एल० दत्ता	—विद टू प्रेज़ीडेण्ट्स

इनके अतिरिक्त दो सेवा कर रहे अफसरों अर्थात् ले० जनरल पी० एस० भगत, वी० सी० और कैप्टन ए० पी० एस० बिन्द्रा आई० एन० ने क्रमश: लिखीं 'दी शील्ड एण्ड दी शोर्ड' और 'स्वेज थ्राम्बोसिज़ : काज़िज एण्ड प्रास्पेक्टस'।

(ख) से (ङ) उपरोक्त सेवा निवृत्त अफसरों द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों में कुछ ऐसी सूचना थी जिसका जनता को ज्ञान न था। सरकार ने समाचार पत्रों में कुछ ऐसी रिपोर्टें भी देखी हैं कि कुछ सेवा निवृत्त अफसरों ने कुछ पुस्तकों में दिये गये विवरणों का खण्डन किया है। परन्तु कोई सेवा कर रहा अफसर इन विवादों में अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

इस देश में प्रकाशनों का पहले सेन्सर नहीं होता, और इसलिए सेवा निवृत्त अफसरों को पुस्तकें लिखने में हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। तदपि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अगर यह सिद्ध हो जाए कि इन प्रकाशनों में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन किया है या विधि के अन्तर्गत वह अन्यथा आपत्ति प्रद हैं।

संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा भारत को युद्ध सामग्री की सप्लाई

3538. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के संघर्ष के समय संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को युद्ध सामग्री सप्लाई की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Protest Note From Jordan Re : Protection of Jordanian Embassy in New Delhi

3539. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of Jordan have sent any protest note to Government of India for not making arrangement for the protection of Jordanian Embassy in New Delhi; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

खनिज उत्पादन में वृद्धि

3540. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत में खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) नवीनतम उपलब्ध जानकारी, जो कि जनवरी-सितम्बर, 1970 कालावधि के लिए है, के अनुसार मात्रा सूचकांक के रूप में मापित समग्रत: खनन कार्यकलाप, 1960 के लिए 100 के आधार पर जनवरी-सितम्बर, 1969 के लिए 170 की तुलना में 169 पर थोड़ा सा निम्नतर है । तथापि, जनवरी-सितम्बर, 1970 की कालावधि के दौरान खनिज उत्पाद के मूल्य के रूप में 1969 की तत्समान कालावधि की तुलना में सीमोतरीय वृद्धि थी । जनवरी-सितम्बर, 1969 और 1970 की कालावधि के लिए खनिज उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े और उनके मूल्य को दर्शित करने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 4496/70]

Improvements in Uniforms and Weapons Supplied to Jawans

3541. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Defence be pleased to state the improvement made so far in the uniforms and weapons supplied to Jawans with a view to lightening his burden and thus increasing his efficiency ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Following improvements have been made in the uniforms and weapons supplied to Jawans :

(a) A new design of shirts and trousers has been adopted which is closer fitting. The bottom of the serge trousers has been reduced and it is designed to be worn without braces.

(b) Blouse Serge, which was part of the winter dress, has been discarded.

(c) Greatcoat has been replaced by a short Great coat.

(d) A lighter version of Coat Parka and trousers Parka has been introduced.

(e) A lighter SAF Carbine has been introduced in place of Sten 9 mm.

As a result of these improvements the weight of the uniforms and weapons have been reduced thus increasing the operational efficiency of the Jawans. Further efforts in that direction will continue to be made.

Position of Imported Metals in relation to Requirements of Industries

3542. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the present position of the imported Metals in relation to the requirement of the industries;

(b) whether some of the imported metals are still being sold in the black market; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Niti Raj Singh) : (a) Imports of major non-ferrous metals during 1969-70 and 1970-71 (April-June), the estimated demand and the expected indigenous availablility for the current year 1970-71 is given in the statement attached. Information regarding steel is being collected and will be laid on the Table of the House later. **[Place in Literary. See No. L. T. 4497/70]**

(b) No specific complaint has been received in this regard.

(c) Does not arise.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

3543. **श्री अदिचन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम क्या हैं;

(ख) उक्त संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या शासी निकाय में प्रतिनिधित्व के लिए संस्थान के नियमों के अनुसार निर्वाचन किये गये थे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और उसके वर्तमान सदस्य किस आधार पर नियुक्त किये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली 1958 के विनियम 5 में निहित हैं, जो इस प्रकार हैं—

यह शासी निकाय निम्नलिखित नौ सदस्यों का होगा, नामतः —

(क)	संस्थान के अध्यक्ष	: अध्यक्ष
(ख)	स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक	: पदेन-सदस्य
(ग)	वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	: पदेन-सदस्य
(घ)	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	: पदेन-सदस्य
(ङ)	5 सदस्य संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से एक संसद् सदस्य होगा ।	

(ख) और (ग) जहां तक शासी निकाय का सम्बन्ध है, इसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों में कोई अन्तर नहीं है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली 1958 के विनियम 5 के अनुसार यह शासी निकाय 9 सदस्यों का होगा । संस्थान के अध्यक्ष जो कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास के केन्द्रीय मंत्री होते हैं, इस शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं । विनियम 5 की धारा (ङ०) के अनुसार संस्थान के निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से निम्नलिखित सदस्यों को इस शासी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है—

(i) सचिव, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग) ।

(ii) उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

(iii) डा० जेकोब चन्दी, बेल्लौर ।

(iv) प्रो० एम० एस० ठक्कर ।

(v) श्री वाई० गाडिलिंगन गौड, संसद् सदस्य ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों का नामांकन

3544. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना करने वाले विधान के अधिनियम के समय सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस संस्थान के शासी निकाय में केवल 3 या 4 अधिकारी होंगे; और

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्री, सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रोफेसर एम० एम० थाकर, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य को संस्था के सदस्यों के रूप में किस प्रकार नामांकित किया गया।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मन्त्री राजकुमारी अमृत कौर ने ऐसा बतलाया था कि :

"......मेरे पास जवाब देने के लिए बहुत ही थोड़ा समय है—जहां तक शासी निकाय के सरकारी रूप का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को इतना बतला सकती हूं कि 10 सदस्यों में से केवल तीन या चार ही सरकारी सदस्य हैं क्योंकि इतर चिकित्सा वैज्ञानिक तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधि निस्सन्देह सरकारी सदस्य नहीं कहे जा सकते। सम्भवतः चिकित्सा संकायों के प्रतिनिधि भी सरकारी नहीं कहे जायेंगे। फिर तीन संसद् सदस्य हैं जो निश्चय ही सरकारी सदस्य नहीं हैं। अतः वास्तव में यह एतराज कोई मायने नहीं रखता......।"

यद्यपि राजकुमारी अमृत कौर ने "शासी निकाय" शब्द का प्रयोग किया था, किन्तु वस्तुतः उनका आशय निश्चित रूप से "संस्थान निकाय" के गठन से था जिसमें 17 सदस्य हैं क्योंकि इतर चिकित्सा वैज्ञानिकों और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधियों वाली बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 में उल्लिखित है जो संस्था निकाय के गठन के सम्बन्ध में है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभागों के सचिव, तथा योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रोफेसर एम० एम० ठक्कर को इस संस्थान के निकाय में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 के खण्ड (ङ) के अधीन सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नामजद किया गया है।

अथरमुरा और बारापुरा में पेट्रोलियम के छिद्रण कार्य में हुई प्रगति

3545. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अथरमुरा तथा बारापुरा में पेट्रोलियम के छिद्रण-कार्य में हुई प्रगति का अध्ययन करने के लिये इस वर्ष नवम्बर के आरम्भ में त्रिपुरा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके व्यक्तिगत अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा में वाणिज्यिक स्तर पर पेट्रोलियम निकालने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री ने नवम्बर के शुरू में त्रिपुरा का एक नेमी दौरा किया था और वे बारापुरा के व्यवधान स्थल पर गये थे जहां स्थल के निर्माण एवं उपकरण के परिवहन का प्रारंभिक कार्य प्रगति की अग्रिम स्थिति में है ।

(ग) अन्वेषी व्यधन किये जाने और उसके परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही त्रिपुरा के तेल भंडारों के व्यापारिक समुपयोजन का मूल्यांकन किया जा सकता है ।

इन्द्रपुरी, नई दिल्ली में मल-नालियों की व्यवस्था

3546. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पूसा इन्स्टीट्यूट के समीप वाली इन्द्रपुरी कालोनी में मल-नालियों की व्यवस्था नहीं है; हालांकि वहां बहुत से मकान बन गये है और वहां के सभी मकान मालिकों और भूखण्ड मालिकों ने विकास प्रभारों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिक प्रकार की कालोनी में मल-नाली की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्द्रपुरी में मल-नाली की व्यवस्था करने में कितना समय और लगेगा; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि क्योंकि प्लाट मालिकों मकान मालिकों से अभी तक पूरा विकास प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इन्द्रपुरी कालोनी में मल निष्कासन नालियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ग) पूरा विकास प्रभार प्राप्त होते ही नगर निगम का इस काम को शुरू कर देने का विचार है ।

(घ) नगर निगम को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस मामले में आगे कार्यवाही की जा रही है ।

भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार के लिए शर्तों के बारे में रेडियो पेकिंग से प्रसारण

3547. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 नवम्बर, 1970 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे उस पेकिंग-प्रसारण से सम्बद्ध समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारत के साथ मैत्री की शर्तों का उल्लेख किया गया था;

(ख) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 'इण्डियन एक्सप्रेस' के संवाददाता ने रेडियो पेकिंग के 6 नवम्बर के प्रसारण की इस प्रकार व्याख्या की है कि उसमें यह निहित है कि यदि भारत यह आश्वासन दे कि वह ताईवान और दलाई लामा के साथ प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा तो चीन भारत के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध पुन: स्थापित कर सकता है ।

(ग) तिब्बत और ताईवान दोनों के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । भारत सरकार ने तिब्बत और ताईवान को सदा से ही चीन लोक गणराज्य का भाग माना है । चीन के इस आरोप में कोई औचित्य नहीं है कि भारत सरकार "दो चीन नीति" के बारे में मौनानुमति दे रही है अथवा वह भारत में तिब्बती शरणार्थियों को चीनी सरकार के विरुद्ध उकसा रही है । गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों के लिए भारत सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । यह समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति को चीन सरकार किस प्रकार आपत्तिजनक समझती है । वास्तव में, भारत में काश्मीर के विलयन को चुनौती देकर, उत्तर भारत के कुछ कबीलों को उकसा कर और विध्वंसक तत्वों को प्रोत्साहन देकर चीन ही भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है ।

देश में नये चिकित्सा कालेजों का खोला जाना

3548. **श्री अ० दीपा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नये चिकित्सा कालेजों के खोलने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा; और

(ग) प्रस्तावित कालेजों के खुल जाने पर विद्यमान चिकित्सा कालेजों पर भार किस हद तक कम हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चौथे पंचवर्षीय आयोजन में देश के विभिन्न भागों में 10 नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है। चौथे आयोजन के कार्य दल ने इन कालेजों को इस प्रकार खोलने का सुझाव दिया है—

बिहार	1
हरियाणा	1
गुजरात	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	2
	10

प्रस्तावित 10 मेडिकल कालेजों में से दो मेडिकल कालेज—एक महाराष्ट्र के सेवा ग्राम में तथा दूसरा पश्चिम बंगाल के बर्दवान में—पहले ही खुल चुके हैं।

चौथे आयोजन में नए मेडिकल कालेजों की स्थापना सम्बन्धी योजना राज्य क्षेत्र में आती है। यह सम्बधित राज्यों का काम है कि वे अपने-अपने राज्य आयोजनों में इस काम के लिए धन की व्यवस्था करें।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अन्तरंग शैय्याओं की व्यवस्था और शिक्षण अस्पतालों के पूरे कम्प्रेक्स के साथ प्रति वर्ष 100 छात्रों की क्षमता प्रवेश क्षमता वाले एक नये अस्पताल को स्थापित करने में मोटे तौर पर लगभग 3 करोड़ रुपये का खर्च आता है। अतः सम्बन्धित राज्यों द्वारा यदि सभी 10 प्रस्तावित मेडिकल कालेज वास्तव में स्थापित किए जायें तो इस परियोजना पर कुल खर्च लगभग 30 करोड़ रुपये होगा। स्थानीय परिस्थितियों, सुविधाओं और पड़ोस में रोगी पलंगों को जिनका शिक्षण पलंगों के रूप में उपयोग किया जा सके। अपेक्षित संख्या वाले अस्पतालों की उपलब्धता के अनुसार यह राशि अलग-अलग स्थानों पर कम ज्यादा हो सकती है।

(ग) नये कालेजों के खुलने से वर्तमान कालेजों में काफी हद तक भीड़ कम हो जायेगी। यदि चौथे पंचवर्षीय आयोजन में सभी नये प्रस्तावित मेडिकल कालेजों की स्थापना हो जाती है तो वार्षिक प्रवेश क्षमता 11,500 से बढ़ कर 13,000 हो जायेगी।

Violation by Pakistan of Tashkent Declaration

3549. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times Pakistan violated the provisions of Tashkent Declaration, so far; and

(b) the number of protest notes sent to Pakistan in this regard, under intimation to Soviet Union ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Pakistan has violated the provisions of the Tashkent Declaration on innumerable occassions. The Government of India have been protesting to Pakistan in this regard. The Soviet Government, like other friendly Governments, has been kept informed about these violations.

मोटर स्पिरिट में मिलावट

3550. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोटर स्पिरिट में मिलावट के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विलायकों के साथ मोटर स्पिरिट की मिलावट की एक या दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) विलायकों की वितरण-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की सम्भावना परीक्षणाधीन है ।

Private Medical Colleges in the Country

3551. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Private Medical Colleges are coming up in large numbers in Patna and in other cities of the country;

(b) if so, the number of such colleges opened in Patna and in the other cities of the country;

(c) whether the students have been charged Rs. 16 thousands in lump-sum at the time of admission to the private medical colleges in Patna and other cities of Bihar; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) The information is not available and is being collected. It will be laid on the table of the House in due course.

Profit Earned by National Coal Development Corporation

3552. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Coal Development Corporation has earned profit this year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the factors leading to this profit ?

The Minister of State in the Ministory of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Niti Raj Singh Chaudhry) : (a) The accounts for this year (1970-71) will be available only after the close of the financial year. In 1969-70, the Corporation earned a profit of Rs. 106.41 lakhs.

(b) and (c) The increased production and despatches from various collieries during 1969-70 led to the profit. The profit would have been higher if the demand had picked up further.

Assistance by Coal Board for stowing of Mines to Certain Companies

3553. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Coal Board gives assistance to the tune of crores of rupees to IISCOS, Birla Co., Thapar Co., Andrew Yule Co., Turnuer Morrison Co. of Mundhra, Equitable Co., etc. annually in the name of stowing of mines and other similar purposes;

(b) if so, the year-wise details of the assistance given to the said companies for the purpose reffered to above during the last three years together with reasons therefor; and

(c) the details of the results achieved from the utilisation of the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Niti Raj Singh) : (a) In accordance with the provisions of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act and the rules framed thereunder, Coal Board grants assistance to eligible collieries for stowing, for conservation and safety and for working under adverse mining conditions and the list of such collieries includes collieries of the companies referred to in the question.

(b) and (c) A statement giving the details of assistance for the last three years is attached. **[Placed in Literary. See No. L.T. 4498/70].** Assistance is granted for stowing undertaken by collieries for the twin purposes of conservation and safety. Assistance is also granted for the presence of adverse factors specified in this behalf such as gassiness, depth of shafts, thinness of seams, etc. which have the effect of increasing the cost of production. The statement also gives the quantity of coal recovered vis-a-vis assistance granted.

Translation of Indian Books in Russian and other Languages of U.S.S.R.

3554. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Soviet Union have got translated the books of the writers of different Indian languages and published them in Russian and others languages of that country;

(b) if so, the names of the books together with the names of the authors thereof whose books have been got published; and

(c) the number of copies of each of the books so published ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) A very large number of books by Indian authors in the various Indian languages

have been translated and published in the Soviet Union in Russian and other languages of the Soviet Republics, just as a great many Russian works, classical, semi-classical and modern, have been translated and published in the various Indian languages. The translations from works of Indian authors range from ancient classics to modern Indian literature. There is no ready compilation of all the titles of books which have been translated from Indian languages and printed in the Soviet Union.

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित औषधियों के तुलनात्मक मूल्य

3556. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में बनी औषधियों के मूल्य गैर-सरकारी क्षेत्र में बनी औषधियों के मूल्य से अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लाजपतनगर, नई दिल्ली की कस्तूरबा कालोनी को स्वीकृति

3557. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाजपतनगर, नई दिल्ली, की कस्तूरबा कालोनी को प्रथम पंचवर्षीय योजना, अनुमोदित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कालोनी में पानी और बिजली की सुविधाएं अभी तक भी प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ङ) "लाजपत नगर के निकट 'कस्तूरबा कालोनी" नामक कोई कालोनी नहीं है । किन्तु विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में लाजपत नगर-II में "कस्तूरबा निकेतन" नाम की एक संस्था है । इस संस्था को दिल्ली नगर-निगम द्वारा पेयजल उपलब्ध किया गया है । कस्तूरबा निकेतन के केवल एक भाग जिसे, "सैनिक सदन" कहते

हैं, को छोड़कर, बिजली भी दी जा चुकी है। सैनिक सदन के दो क्वार्टरों के निवासियों ने बिजली ले ली है तथा शेष क्वार्टर/ब्लाक बिना बिजली के हैं। वहां सड़क पर बत्तियों की व्यवस्था है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह रिपोर्ट दी है कि "सैनिक सदन" में बिजली की व्यवस्था के लिए, उसमें रहने वालों अथवा प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है; यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त स्थल-निरीक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से उन्हें कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कहा गया था, ताकि सदन निवासियों को बिजली दी जा सके।

काश्मीर के विवाद पर पाकिस्तान को फ्रांस का कथित समर्थन

3558. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खां ने पेरिस में कहा था कि फ्रांस काश्मीर विवाद पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में फ्रांस से स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(ग) क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पेरिस फ्रेंच नेताओं के साथ हुए उनके विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति याह्या खां के वक्तव्य से संबंधित प्रेस रिपोर्टें सरकार ने देखी हैं। रिपोर्ट द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति पोम्पिडू, काश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, बताया जाता है कि राष्ट्रपति याह्या खां ने उत्तर दिया, "फ्रांस ने प्रारंभ से सदा ही हमारा समर्थन किया है और राष्ट्रपति पोम्पिडू ने भी स्वयं हमारे उचित मामले का समर्थन किया था।"

(ख) और (ग) जी हां। पेरिस में हमारे राजदूत ने इस मामले में फ्रांसीसी विदेश कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा था और उन्हें बताया गया कि फ्रांस की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं को आपस में शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। फ्रांस में पाकिस्तानी राजदूतावास ने भी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि जो कुछ राष्ट्रपति याह्या खां ने कहा था उसका अर्थ राष्ट्रपति पोम्पिडू द्वारा उन्हें कही गई बात का अक्षरशः उद्धरण नहीं था।

Eradication of Cancer by Homoeopathic System

3559. Shri Janeshwar Misra :
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the claim made by a Homoeopath of Arvind Ashram that he has successfully treated a girl suffering from cancer without any operation; and

(b) if so, whether Government propose to encourage such treatment to eradicate cancer ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) The Homoeopathic Research Centre at the Dr. Gururaju Government Homoeopathic Medical College, Gudivada (A.P.) was carrying on research on certain aspects of cancer and now the Calcutta Homoeopathic Medical College, Culcutta, is continuing the research on initial stages of cancer and Homoeopathic treatment. Some data has been collected which is further to be corroborated before final results are known.

Eradication of Smallpox in the Country

3560. Shri Janeshwar Misra :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether he has made a statement that smallpox can also be eradicated in the country like Malaria;

(b) if so, the programme chalked out by Government in this regard; and

(c) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c) Yearwise Primary Vaccination and Revaccination targets have been fixed and efforts are being made to intensify primary vaccinations and re-vaccinations, giving top priority to the unprotected population in the most volunerable age group O-14 years and the labour/migratory population. Simultaneously, reporting, surveillance and outbreak containment components of the programme are also being developed. Health education and publicity measures have been intensified to enhance voluntary acceptability of vaccination and to improve immediate reporting of smallpox cases. Better method of administration of Freeze Dried Smallpox Vaccine viz. multiple Puncture techniques, employing bifurcated needles has been generally adopted throughout the country.

Indian who attended 21st Anniversary of Chinese Revolution in Delhi

3561. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of guests who attended the celebration of 21st Anniversary of the Chinese Revolution in Delhi this year;

(b) the number of officials who represented the Government of India thereat; and

(c) the lapse of time after which the Government of India participated officially in such celebration in Chinese Embassy in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) About 150 guests including the officers of the government of India, attended the 21st Anniversary of the founding of the People's Republic of China.

(c) Government officials have been attending such functions from 1968.

विजयन्त टैंकों का निर्माण

3562. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत निर्मित विजयन्त टैंकों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) वर्ष वार प्रगतिशीलता के उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है। प्राप्त हो पाई प्रगति के विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

पेट्रोलियम तथा पेट्रो-उत्पादों के मूल्यों पर शान्तिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन

3565. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम तथा पेट्रो-उत्पादों की लागत मूल्यों और वितरण पर शांतिलाल शाह समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विशिष्ट निर्णय किया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान उनके 27 जुलाई, 1970 के अता० प्रश्न संख्या 136 के दिये गये उत्तर, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, की ओर दिलाया जाता है।

गुजरात में निर्यातोन्मुख एल्यूमिनियम संयंत्र

3566. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में स्थापित किये जाने वाले निर्यातोन्मुख एल्यूमिनियम संयंत्र को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उत्पादन क्षमता सहित परियोजना का ब्यौरा क्या है, किस कम्पनी के अधीन यह स्थापित की जायगी; और क्या उसके लिए किसी प्रकार के विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। गुजरात में स्थापित किये जाने वाले निर्यातोन्मुख अल्यू-

मिनियम संयंत्र की संस्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, अल्यूमिना के निर्यात के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य-सराकर द्वारा संयुक्तत: गुजरात में अल्यूमिना-संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। भारत से दीर्घावधि आधार पर अल्यूमिना की खरीद के लिए अनेक बाह्य देशों से अनुवर्ती जांचों से भारत सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्यातोन्मुख अल्यूमिना संयंत्र के लिए तैयार की गई विस्तृत प्रौद्योगिक आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट मिली।

प्रस्तावित प्रायोजना के स्थूल-विवरण नीचे दिए जाते हैं—

(1) प्रस्तावित निर्यातोन्मुख अल्यूमिना संयंत्र गुजरात के भुज स्थान पर अवस्थापित किया जाएगा;

(2) संयंत्र की अल्यूमिना-उत्पादन की वार्षिक क्षमता 200,000 मैट्रिक टन होगी;

(3) प्रायोजना की अनुमानित पूंजी लागत (आवासीय-कालोनी को छोड़कर) 23.03 करोड़ रुपये हैं;

(4) गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बाक्साइट का खनन किया जाएगा, जो उसे अपेक्षित मात्रा और गुण में संयंत्र स्थल पर परिदत्त करेगा;

(5) गतानुगतिक 'बेयर' प्रक्रिया द्वारा निम्न-तापमान और निम्न-दलाव तकनीकी के साथ बोक्साइट को प्रक्रियागत किया जाएगा;

सम्भाव्यता रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है और ऐसी परीक्षा के उपरान्त ही अल्यूमिना संयंत्र को लेने के लिए कम्पनी की संरचना के प्रश्न पर विनिश्चय किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

नई दिल्ली में महाराष्ट्र के फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम (1963) का लागू किया जाना

3567. **श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि जहां तक सम्भव हो महाराष्ट्र का फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, 1963 को नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र की बहुमंजलीय इमारतों के लिए लागू किया जाये जिससे कि फ्लैटों के क्रेता निर्माताओं द्वारा अपव्यवहार से बच सकें; और

(ख) क्या सरकार ने पता लगाया है कि आकाशदीप भवन के निर्माताओं ने फ्लैटों के खरीदने वालों के साथ उचित व्यवहार किया है और उन्हें स्वामित्व दे दिया है और उनके सहकारी संस्था के रूप में संगठित होने में बाधा उपस्थित नहीं की है ?

स्वास्थ्य तथा परियार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) अक्तूबर, 1963 में कुछ राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन

को यह सलाह दी गई थी कि वे जब कभी इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे फ्लैटों के बनाने वाले अप-व्यवहार कर रहे हैं, वे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स (रेग्युलेशन आफ दी प्रोमोशन आफ कन्सट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट एण्ड ट्रान्सफर), ऐक्ट, 1963 जैसा कानून बनाने के लिए उचित कदम उठायें।

(ख) दिल्ली प्रशासन से वांछित सूचना की प्रतीक्षा है और उसके प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कनाट प्लेस के एक मील के रेडियस के भीतर पांच मंजिलों से अधिक मंजिलों की इमारतें

3568. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाट प्लेस के एक मील के रेडियस के भीतर पांच मंजिलों से अधिक मंजिलों वाली कितनी इमारतें बनी हैं तथा प्रत्येक में कितनी-कितनी मंजिलें हैं;

(ख) 1971-72 में ऐसी कितनी इमारतें बनाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या ऐसी इमारतों के बनने से सफाई, परिवहन, मोटर कार आदि खड़े करने के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में **राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) अभी तक तेरह-तेरह मंजिल की दो इमारतें बनी हैं।

(ख) 16 इमारतों के नक्शे नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मंजूर कर लिये गये हैं।

(ग) जी हां।

इम्फाल में क्षेत्रीय मेडिकल कालिज की स्थापना

3569. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 9 मार्च, 1970 के उत्तर के अतारांकित प्रश्न संख्या 2069 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में क्षेत्रीय मेडिकल कालेज की स्थापना को कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए मामले पर हाल ही में पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में **राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख) जी हां। मणिपुर राज्य के इम्फाल नगर में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश लौह अयस्क परियोजना द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3570· **श्री सामिनाथन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की कच्चे लोहे की परियोजना ने 1967-68 के प्रारम्भ से पिछले महीने के अन्त तक 48 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :प्रकल्पत: निर्देश राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलेडिला लौह अयस्क प्रायोजना (निक्षेप संख्या 14) की ओर है। इस प्रायोजना ने अपने प्रारम्भ से अक्तूबर, 1970 तक 47.76 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा उपार्जित की है।

(ख) 40 लाख मैट्रिक टन पिण्ड-अयस्क के अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के लिए बैलेडिला क्षेत्र में निक्षेप संख्या 5 पर एक दूसरी लौह अयस्क खान को निगम विकसित कर रहा है।

Complaints Against Health Centres in Madhya Pradesh ,for Shortage of Drugs

3571. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any complaints have been received from Madhya Pradesh that inspite of the shortage of drugs required for sterilisation operations, the number of operations conducted has been more than the drugs required for the same; and

(b) if so, the names of the Health Centres against which such complaints have been received and the details of the action taken against each scch Centre ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) No complaint has been received by Government in the matter.

Setting up Family Planning Centres in Madhya Pradesh

3572. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Family Planning Centres set up in Madhya Pradesh during 1969 and upto 1st October, 1970; and

(b) the other details in this regard and the total expenditure incured thereon ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 13 Rural Main Centres, 142 Sub-Centres and 9 Urban Centres were set up in Madhya Pradesh in the financial year 1969-70. One Urban Centre has been set up during the current financial year upto 1-8-1970.

(b) Details regarding the expenditure incurred on the establishment of the Centres referred to in (a) above are not available. However, the total expenditure on continuation and establishment of Rural Main Centres, Sub-Centres and Urban Centres during 1969-70 was Rs. 118.36 lakhs.

Setting up of Central Units to prevent Food Adulteration in Madhya Pradesh

3573. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Units which were to be set up for the purpose of checking adulteration in the foodstuffs with the help of the State Health Officers have since been set up;

(b) if so, whether any such units has been set up in Madhya Pradesh; and.

(c) if so, the name of the place where this unit has been set up ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) So far only one Central Unit has been set up in Delhi.

(b) No.

(c) Does not arise.

Location of New Iron Ore Deposits in Madhya Pradesh

3574. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Geologists have located more iron ore deposits in Madhya Pradesh;

(b) if so, the total quantity of iron ore so located; and

(c) whether it has also been pointed out that production of this iron ore in the form of pallets will be more profitable ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Niti Raj Singh Chaudhry) : (a) & (b) As a result of recent survey conducted by the Geological Survey of India, 16 promising iron ore deposits in Kalwar-Kaucher area of Madhya Pradesh, which stretches across the Baster-Durg district boundary, have been revealed. Subsequent detailed explorations at Kaucher deposit have established an inferred reserve of **82 million** tonnes of iron ore upto a depth of 30 metre and containing 55 to 60% Fe.

The total indicated reserves of iron ores of all grades in Madhya Pradesh so far known are estimated at 5,000 million tonnes.

(c) No study on the profitability or otherwise of producing pellets from the recently discovered iron ore has yet been undertaken. However, a feasibility study on the establishment of a pellitisation plant from the iron ore fines and blue dust being produced at Bailadilla No. 14 is in progress and the report is awaited.

प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों का विस्तार

3575. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों के विस्तार का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे व्यावहारिक रूप कब दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) आयुद्धीय साजसामान के निर्माण के लिए प्राप्य क्षमता में वृद्धि करने के निर्णय आवश्यकताओं के पुनरीक्षणों के आधार पर लिए जाते हैं जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। रक्षा उत्पादन यूनिटों के प्रसार के सम्बन्ध में विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

परिवार नियोजन के लिए दी गई निधि का बिहार द्वारा प्रयोग न किया जाना

3576. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर खर्च किये जाने के लिए बिहार को दिया गया 4 करोड़ रुपयों का अनुदान प्रयोग के लिए नहीं लाया गया था तथा उक्त राशि को वापस लौटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य द्वारा भी इसी प्रकार निधि लौटाई गई है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले का औचित्य क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अभी तक किसी एक वर्ष के लिए बिहार सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ रुपये का कोई अनुदान नहीं दिया गया है । 1969-70 के लिए 192.92 लाख रुपये के सहायतार्थ अनुदान में से राज्य सरकार ने अनुमानतः 133.05 लाख रुपये खर्च हुए बतलाये हैं। ग्रामीण केन्द्रों और उप-केन्द्रों में स्टाफ नियुक्ति में धीमापन, मुआवजा और जन-शिक्षा में कम खर्च होना और प्रसवोत्तर, सघन जिला और राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन जैसी नयी योजनाओं का धीमी गति से विकास होना 59.87 लाख रुपये के इस कम खर्च का मुख्य कारण है।

(ग) जी हां। जिन अन्य राज्यों में वर्ष 1969-70 की सहायतार्थ अनुदान राशि के वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक राशि अनुपयुक्त रह गई वे हैं जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश और मैसूर । इस अनुपयोग का मुख्य कारण केन्द्रों और उप-केन्द्रों के भवनों का धीमा निर्माण, मुआवजे का कम खर्च और नई योजनाओं पर कोई खर्च न करना है।

भारत मूलक व्यक्तियों का नेपाल से निष्कासन

3577. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल से निष्कासित 3000 भारत मूलक व्यक्तियों के निष्कासन के बारे में भारत सरकार द्वारा की गई अनेक पूछताछों का कोई उत्तर नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रश्नों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर न मिलने की स्थिति में सरकार का विचार आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हमारे पूछताछ करने पर नेपाल सरकार ने बताया है कि नेपाल के कंचनपुर जिले के भारतीय मूल के जिन लोगों ो निकाल दिया गया था उनके बारे में वे जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

(ग) भारत सरकार इस जांच-पड़ताल के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है ।

भूमिगत/भूमि के ऊपर तेल पाइप लाइनों की सुरक्षा के प्रबन्ध

3578. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** .न्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत/भूमि के ऊपर तेल की पाइपलाइनों की सुरक्षा के प्रबन्धों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो महीनों में जिन तरीकों का पता लगा है वह क्या हैं जिनके द्वारा इन पाइप-लाइनों से चोरी की जाती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय तेल निगम की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए पहरा और निगरानी पद्धति पहले से ही विद्यमान है।

(ख) हल्दिया बरौनी कानपुर पाइप लाइन का पहरा और निगरानी स्टाफ, तीन सुरक्षा निरीक्षक और 64 'डी' ग्रेड के परिचालकों से सम्मिलित है । पाइपलाइन के अधिक भेद्य खण्डों पर गश्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है । पुलिस सशस्त्र गश्त कर रही है। गोहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन की, एक भली प्रकार गठित पहरा और निगरानी प्रणाली द्वारा देख-रेख की जा रही है । कोयाली-अहमदाबाद पाइप लाईन पर भी नियमित रूप से गश्त की जाती है ।

(ग) पिछले दो महीनों में कोई घटना नहीं हुई है । हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन पर अन्तिम घटना 4/5 जून, 1970 को हुई थी तथा गोहाटी-सिलीगुड़ी पाइप लाइन पर 17 सितम्बर 1970 को हुई ।

गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर निगम को वित्तीय सहायता

3579. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अथवा कानपुर निगम को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई तथा चौथी योजना में कितनी राशि दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार को।

(ख) (i) तीसरी योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार को गन्दी बस्ती हटाओ और सुधार योजना के अन्तर्गत 225 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने 81.09 लाख रुपये की राशि ली।

(ii) चतुर्थ योजना के आरम्भ से गन्दी बस्ती हटाओ और सुधार योजना राज्य क्षेत्र में हैं। राज्य क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों के लिए, जिसमें गन्दी बस्ती हटाओ योजना सम्मिलित है, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता खण्ड-अनुदानों के रूप में दी जा रही हैं। राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां नियत करने में स्वतन्त्र हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना

3580. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस बोर्ड के कौन सदस्य होंगे; और

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भी इस बोर्ड के एक सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयुध कारखानों तथा निरीक्षणालयों में लोअर डिवीजन तथा अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात

3581. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों और निरीक्षणालयों में लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन क्लर्कों के अनुपात में परिवर्तन करने सम्बन्धी हाल ही के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) अपर डिवीजन क्लर्कों तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों की निष्पत्ति को 3.8 से 4.8 में संशोधित करते हुए सरकारी आदेश दिसम्बर 1970 में जारी किए गए थे। इन आदेशों में इन्स्पेक्टर का मुख्य निदेशालय भी शामिल था। आदेशों को आर्डनेंस फैक्टरियों पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है, और आदेश शीघ्र जारी होने प्रत्याशित हैं।

कानपुर में विशिष्ट मिश्रित इस्पात कारखाने की स्थापना करना

3582. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक विशिष्ट मिश्रित इस्पात का कारखाना इस बीच स्थापित कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या चौथी योजनावधि में इस कारखाने की स्थापना होने की सम्भावना हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) सरकार ने कानपुर में इस संयंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता स्वीकार कर ली है। प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट दिसम्बर, 1970 तक प्रत्याशित है;

(ग) संयंत्र 1975-76 तक स्थापित होना प्रत्याशित है; तदपि पूरे दर पर उत्पादन पांचवीं योजना अवधि में निष्पन्न होना प्रत्याशित है।

शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय और जल निकासी की सुविधाओं का अपर्याप्त तथा मन्द विकास

3584. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय स्वायत्त शासी सरकारों के राज्य-मंत्रियों ने नवम्बर, 1970 में हुई अपनी बैठक में शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय और जल निकासी की सुविधाओं के अपर्याप्त तथा मन्द विकास के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) चौथी योजना की शेष अवधि में, वर्षवार, देश के शहरी क्षेत्रों को जल की व्यवस्था करने हेतु, सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) चौथी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना नियतन किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद की 13 वी बैठक में सदस्यों का एक विचार यह था कि शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति एवं जल निकासी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) चौथे आयोजन में शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति एवं जल निकासी योजनाओं के लिए लगभग 276.46 करोड़ रुपये को व्यवस्था है।

(ग) चौथे आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं के लिए 125.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 1970-71 के दौरान 21.51 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया है। उत्तरवर्ती वर्षों के लिए धन के नियतन को अभी तय नहीं किया गया है।

(घ) चौथे आयोजन में प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति के लिए धन का नियतन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिए चौथे आयोजन में धन का प्रस्तावित नियतन (रुपये लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	700
2. असम	254
3. बिहार	366
4. गुजरात	635
5. हरियाणा	620
6. जम्मू तथा काश्मीर	454
7. केरल	700
8. मध्य प्रदेश	800
9. महाराष्ट्र	1500
10. मैसूर	900
11. नागालैण्ड	101
12. उड़ीसा	286
13. पंजाब	340
14. राजस्थान	2000
15. तमिलनाडु	850
16. उत्तर प्रदेश	1150
17. पश्चिमी बंगाल	353

फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि में वृद्धि

3585. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की सेवा अवधि में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देना

3586. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आव. तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में भारतीय चिकित्सा प्रणाली का विकास करने हेतु सुविधाएं देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इनके विकास के लिए केन्द्रों की स्थापना करें और इस उद्देश्य के लिए उन्हें धन का नियतन करें ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय **विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) चौथे पंच वर्षीय आयोजन में भारतीय चिकित्सा पद्धति की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों का सम्बन्ध मुख्यत: उपस्नातक शिक्षा, चिकित्सा सहायता, अस्पतालों, औषधालयों और फार्मेसियों सम्बन्धी भारतीय चिकित्सा पद्धति योजनाओं से है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बतला दिया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा (ऐलोपैथिक) एवं आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियां इस प्रकार काम करें ताकि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण हो सके। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 4 और 5 नवम्बर, 1969 को भोपाल में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक के निम्नलिखित संकल्प को क्रियान्वित करें।

1. (क) राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां चिकित्सा की वर्तमान सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं, आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कर सकती हैं;

(ख) राज्य सरकारें, जहां तक सम्भव हो, उप-केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के समुचित शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं;

2. राज्य सरकारें स्वास्थ्य निदेशालयों में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के लिए पृथक् निदेशालय अथवा पृथक् एकांशों की स्थापना कर सकती हैं।

Unregistered Medical Practitioners in the Country

3587. Shri Raguvir Singh Shastri :
Shri Meetha Lal Meena :

Will the Minister of **Health and Family Planning** and **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of unregistered and unlicensed Medical Practitioners in the country;

(b) whether Government have any information about the number of persons who lose their lives as a result of their treatment; and

(c) the action Government propose to take against suck quacks to safeguard the lives of the people ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The information is not available and is being collected from the State Governments etc. and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(c) No person other than medical practitioners registered under the provision of the Indian Medical Council Act, 1956 is permitted to practise medicine in this country. The Act also provides for punitive measures for those who are practising in contravention of this Act. The State Governments are empowered to take necessary action in this regard. However, the question of enlisting such of the Practitioners who fulfill certain conditions is under consideration of the Government.

Arrest of a Military Truck Driver in Delhi

3588. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a military truck driver was arrested in Delhi in November, 1970, when he was selling a military truck; and

(b) the action taken by Government against him ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir., the driver was arrested on such a charge.

(b) The individual is under arrest. Investigation is in progress.

चिकमागालूर जिले में खनन क्षेत्र में प्रगति

3589. **श्री रा० बरुआ** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकमागालूर जिले में स्थापित खनन क्षेत्र पर कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और अयस्क के निर्यात से प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी आय होगी; और

(ग) इस परियोजना से सान्द्रण अयस्क का अनुमानत: कितना उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) कुद्रेमुख लौह अयस्क निक्षेप, जो चिकमागालूर जिले में है के विकास के लिए इस समय विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है । प्रायोजना की अनुमानित लागत और निर्यात-उपार्जनों का पता तभी लग सकेगा जब कि विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट जिसके आने वाले वर्ष में मिल जाने की आशा है, प्राप्त हो जाएगी । विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट की जांच कर लेने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निवेश-विनिश्चयन लिया जा सकता है ।

(ग) तैयार की जाने वाली विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट, प्रथमावस्था में प्रति वर्ष 75 लाख मैट्रिक टन सान्द्रण के उत्पादन के लिए, यदि तत्पश्चात् बांछा हुई तो द्वितीयावस्था में प्रतिवर्ष 100 लाख मैट्रिक टन के विस्तार के लिए उपबन्ध के साथ है । तथापि, प्रायोजना रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही अन्तिम अवस्था का पता लग सकेगा ।

चौथी योजना के अन्त तक बेनजीन की सप्लाई की स्थिति बिगड़ना

3590. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि (एक) अभी से ही बोकारो इस्पात कारखाने से बेनजीन लेने; (दो) आसाम/बरोनी तेल-शोधक कारखाने से बी० टी० एक्स निकालने की अग्रिम कार्यवाही करने; और (तीन) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन संयंत्रों की क्षमता में सुधार करने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो क्या चौथी योजना के अन्त तक बेनजीन की सप्लाई की स्थिति बिगड़ जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उपरोक्त दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चौथी योजना के अंत में बेनजीन की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक होने की आशा है। योजना के अन्त तक बेनजीन की मांग के 100,000 से 110,000 मीटरी टन तक होने की आशा है और उपलब्ध सप्लाई के पर्याप्त होने की आशा है ।

बोकारो इस्पात कारखाने से बेनजीन लेने की योजना बनाई जा रही है और आवश्यक अध्ययनों में प्रगति है। लेकिन इस बेनजीन की जरूरत पांचवीं योजना अवधि में होगी। पांचवीं योजना में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और बेनजीन यूनिटों की स्थापना के लिए संयंत्र की जरूरत होगी। इस बारे में अध्ययन शुरू कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निरोध कार्यक्रम के समर्थन में व्यापक विज्ञापन अभियान के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

3591. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण**, आवास **तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन निरोध कार्यक्रम के समर्थन में एक व्यापक विज्ञापन अभियान के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) क्या इस प्रकार अभियान की सभी तकनीकी सेवाओं के लिए अमरीकी सहयोग प्राप्त किसी विज्ञापन एजेन्सी को चुना गया है; और

(ग) क्या सरकार इस विज्ञापन अभियान के बारे में विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखेगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, मई, 1969 में अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने निरोध के प्रचार के लिए कला-कार्य और सामग्री उपहार स्वरूप देने का प्रस्ताव किया था। यह प्रस्ताव मान लिया गया था।

(ख) अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ हुए करार के अन्तर्गत निरोध के प्रचार के लिए विज्ञापन सामग्री मैसर्स क्लेरियन मैक्कान एडवर्टाइजिंग सर्विसिज़ लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है।

(ग) निरोध के लिए नया विज्ञापन अभियान मूल रूप से प्रेरणात्मक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य तरुण दम्पत्तियों को, विशेषतया निरोध के प्रयोग में, प्रेरणा देना है। इस अभियान में परिवार नियोजन के 'सन्तानोत्पत्ति अंतराल' पक्ष पर जोर दिया जाता है। एक आसान, गैर-क्लीनिकी और प्रतिवर्ती साधन होने के नाते निरोध (कण्डोम) जन्मों में अन्तर रखने के लिए सबसे उपयुक्त है, और सारे संसार में प्रयोग किया जा रहा है। दम्पत्तियों को परिवार नियोजन अपनाने की प्रेरणा देने के अतिरिक्त नवीन विज्ञापन अभियान निरोध की अच्छी बातों को सामने लाता है।

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ हुए करार के अन्तर्गत मैसर्स क्लेरियन मैक्कान एडवर्टाइजिंग सर्विसिज़ लिमिटेड, इस विज्ञापन अभियान को तैयार कर रहा है। इस करार की कुल राशि 7.57 लाख रुपये है। भारतीय कम्पनियों द्वारा दिए गए प्रतियोगी प्रस्तावों में से क्लेरियन

मैक्कान की दरें न्यूनतम और अच्छी क्वालिटी की थीं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह एक भारतीय फर्म है, भारतीय कम्पनी नियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसके हिस्सेदार अधिकांश भारतीय हैं।

यद्यपि निरोध के प्रचार के लिए कला कार्य, डिजाईन और सामग्री मैसर्स क्लेरियन मैक्कान एडवर्टाईजिंग सर्विसेज लिमिटेड देगा, तथापि प्रचार सामग्री की छपाई, निर्माण और वितरण का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय करेगा।

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आवास योजना

3592. **श्री भगवान दास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन और **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने खर्चे पर भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए मकान बनाने हेतु कई मास पूर्व एक योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अन्तर्गत राज्य-वार अब तक कितने मकान बने हैं तथा उन पर कितना खर्च हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग) जयपुर में जुलाई, 1970 को निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग से सम्बद्ध सलाहकार समिति के संसद् सदस्यों और ग्रामीण आवास के प्रभारी राज्य-मंत्रियों के बीच हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के आवास के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए तथा उसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करना चाहिए।

साधनों की कमी और समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया था कि कार्यक्रम को चयनात्मक आधार पर आरम्भ करना चाहिए जिससे कम से कम कुछ एक चुने हुए स्थानों पर इसका प्रभाव पड़े। तदानुसार, राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे राज्य की प्रत्येक एक करोड़ की आबादी के पीछे एक जिले के आधार पर, कुछ जिलों का चयन करें तथा उचित कार्यक्रम बनाने के लिए चुने गए जिलों के बारे में अपेक्षित ब्यौरा एकत्रित करें। अभी तक सब राज्यों से ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

कोककर कोयले के अनुमानित भण्डार तथा उसकी मांग

3593. **श्री भगवान दास** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** और **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोककर कोयले के क्षेत्रवार अनुमानित भण्डार क्या हैं;

(ख) कोककर कोयले की वर्तमान मांग और उसका उत्पादन कितना है;

(ग) वर्ष 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनुमानित मांग क्या होगी;

(घ) वर्ष 1973-74 में उत्पादन का लक्ष्य क्या है; और

(ङ) क्या देश में कोककर कोयले के संसाधन सीमित हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) संसाधनों के निर्धारण पर समिति द्वारा यथानिर्धारित कोककर कोयले की विदित उपलभ्य राशियां, नीचे उपदर्शित हैं—

क्षेत्र		उपलभ्य राशियां लाख मीट्रिक टनों में
झारिया		67060
रानीगंज		27150
पूर्वी बोकारो		40470
पश्चिमी बोकारो		35170
रामगढ़		10570
गिरिदिह		730
	योग	181150

(ख) उत्पादन, मांग के स्तर तक ही निर्बन्धित है और वर्तमान उत्पादन लगभग 170 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ग) कोककर कोयले के लिए 1973-74 तक मांग लगभग 250 लाख मीट्रिक टन प्राक्कलित की गई है।

(घ) 1973-74 में उत्पादन भी 250 लाख मीट्रिक टन प्राक्कलित किया गया है।

(ङ) जी, हां। नये कोककर कोयला संसाधनों को अवस्थित करने की सम्भाव्यताओं को समन्वेषित करने के अतिरिक्त यह भी प्रयास किये जा रहे हैं कि धातु वर्गीय उद्योगों द्वारा 'हार्डकोक' के रूप में अकोककर कोयले का उपयोग कर कोककर कोयले के उपभोग को कम किया जाए। सरकार के अधीन इस आशय की परियोजना विचाराधीन है कि ऐसी कोयला खानों का समामेलन किया जाए जो आर्थिकेतर और अवैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित हैं। परियोजना का आशय यह है कि विशिष्टतः कोककर कोयले को क्षय से रोका जाए और कोयले की उपलभ्य राशियों को संरक्षित किया जाए।

स्वेज नहर को पुनः चालू करना

3594. **श्री दे० अमात** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने स्वेज नहर को पुनः चालू करने की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्य किन-किन देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं।

(ख) भारत सरकार सुरक्षा परिषद् के 1967 के प्रस्ताव संख्या-242 के अनुरूप पश्चिम एशिया में यथोचित और स्थायी शांति की स्थापना का स्वागत करेगी जिसमें इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर स्वतंत्र नौवहन की गारंटी देने की आवश्यकता की पुष्टि की गई है ।

(ग) किसी विधिवत प्रस्ताव के अभाव में विभिन्न देशों के विशिष्ट विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं।

गाजियाबाद में दूसरा इलेक्ट्रानिक कारखाना

3595. **श्री दे० अमात** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में इलेक्ट्रानिक के दूसरे कारखाने के निर्माण में हाल में कोई बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रानिक्स की दूसरी यूनिट स्थापित करने में कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु इस सम्बन्ध में अन्तिम स्वीकृति अब जारी की जा चुकी है।

(ग) प्रायोजना लगभग तीन वर्षों में सम्पूर्ण होनी प्रत्याशित है ।

केरल में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

3596. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में केरल में अब तक हुई प्रगति अन्य राज्यों तथा सम्पूर्ण देश में हुई प्रगति की तुलना में कम है;

(ख) केरल में अन्य राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक की गई नसबन्दी तथा जिन व्यक्तियों को परिवार नियोजन की अन्य तकनीक बताई गई है उनकी संख्या बताने वाले तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1970-71 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में शुरू से अब तक हुई परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति का विवरण संलग्न है। उसमें यह देखा जा सकता है कि केरल राज्य में प्रति हजार 28.3 व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के तरीके अपनाये हैं जबकि सम्पूर्ण भारत में यह संख्या 23 5 प्रति हजार है। राज्यों के स्थानक्रम अथवा शुरू से अब तक कुल जनसंख्या में प्रति हजार परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने वालों की संख्या के आधार पर केरल का स्थान पांचवां है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4499/70]

(ख) और (ग) शुरू से लेकर 1970-71 तक (सितम्बर, 1970 तक) के आंकड़ों पर आधारित पुरुष नसबन्दी और महिला नसबन्दी और कुल नसबन्दी का विवरण संलग्न है। उसमें यह देखा जा सकता है कि कुल नसबन्दी का लगभग 77 प्रतिशत नसबन्दी केरल राज्य में हुई है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में नसबन्दी, लूप प्रयोग, प्रचलिक गर्भनिरोधक उपयोग कर्ताओं सम्बन्धी लक्षण और उपलब्धियां तथा परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने वालों की कुल संख्या भी संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4499/70]

आयुध कारखानों में क्लर्क वर्ग में गतिरोध

3597. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेंस डिपो में क्लर्क वर्ग के अनेक कर्मचारी हाल ही में उनको तदर्थ आधार पर दी गई एक वार्षिक वृद्धि को छोड़कर पिछले (एक) दस वर्षों से (दो) पांच वर्षों से अपने वेतनमान की अधिकतम राशि ले रहे हैं;

(ख) वर्गवार उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या कार्मिक संघ द्वारा उनके लिए कोई और तदर्थ सहायता की मांग की गई है, यदि, हां, तो उनकी मांग का स्वरूप क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ए० ओ० पी० में उन क्लर्कों की संख्या कि जो दस वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक के लिए अपने-अपने वेतनमान का अधिकाधिक ले रहे हैं, इस प्रकार है—

वर्ग	**5-10 वर्ष**	**10 वर्ष से ऊपर**
यू० डी० सी०	195	44
एल० डी० सी०	795	284

अखिल भारतीय रक्षा असैनिक क्लर्क संघ ने अपने 6-9-70 को आयोजित वार्षिक सम्मेलन में सुझाव दिया था कि ए० ओ० सी० में तदर्थ आधार पर 300 अतिरिक्त क्लर्कों, सुपरवाइजरों के स्थान पर और 1200 यू० डी० सी० के स्थान निर्माण किये जायें। इसके अतिरिक्त यू० डी०

सी० के 175 स्थान कि जो अन्तरिम तौर पर तदर्थ आधार पर अगस्त 1969 में स्वीकृत किये गये थे और जिन्हें प्रगतिशीलता के पांच वर्षों में प्राप्त किया जाना था अनिश्चित समय के लिए जारी रहने चाहिए। दोनों सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रतिरक्षा अनुसंधान कार्य पर हुआ खर्च

3598. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार प्रतिरक्षा अनुसंधान कार्य पर कितना धन खर्च हुआ और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी जानकारी सार्वजनिक हित के कहां तक अनुरूप है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास पर गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि इस प्रकार है—

1967-68	11.7725 करोड़ रुपये
1968-69	12.7274 „
1969-70	14.5438 „

ऐसा ख्याल है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास पर चौथी योजना अवधि के दौरान हुआ खर्च 1967-68 में 14 करोड़ रुपये से 1973-74 तक 30 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा। कई नये क्षेत्रों में भी अनुसंधान तथा विकास पूर्ण निर्दिष्ट करना अभिप्रेत है, और इस कारण होने वाला व्यय उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्ष के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की निष्पत्तियों पर विवरण।

भूमिका—

अनुसंधान और विकास गतिविधि की रफतार प्रगतिशीलता से बढ़ाई गई है, और आर० तथा डी० बजट की वृद्धि के साथ-साथ संगठन के भिन्न डिवीजनों के पास अनुसंधान और विकास कार्यों की संख्या भी बढ़ी है। आज भिन्न संस्थान/प्रयोगशालायें सामानों के विकास और वैज्ञानिक अध्ययनों से सम्बन्धित भारी संख्या में प्रायोजनाओं में प्रवृत्त हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थान/प्रयोगशालायें उन द्वारा विकसित 51 भिन्न मदों के पाइलट उत्पादन संयंत्र पर प्रवृत्त हैं कि जिनके लिए आवश्यक राशियां या तो कम हैं या उनके लिए देश में उत्पादन आधार प्राप्त नहीं हैं। प्राप्त हुए परिणाम मुख्यतः आगामी पेराग्राफों में दिये गये हैं।

आयुध और साज-सामान

इस अवधि के दौरान हस्तगत किये गये अनुसंधानों के विकास के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं, सेना के लिए एक नई फोल्ड गन, प्रवर्तीयगन का संशोधित संस्करण और उससे सम्बन्धित गोला बारूद, टेंक विद्धंसक और जन विद्धंसक सुरंगे, क्षेत्रों से सुरंगें हटाने का यंत्र, संघात नियंत्रण और शिस्त लगाने के औजारों की अनेक किस्में, और इन्फरारेड औजार ।

वायु सेना के लिए अंतरिक्ष से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से स्थल के लिए राकेट और इसके लिए राड, गोली निष्कासन के लिए स्थान और जेटिमन्नग, और तीनों सेवाओं द्वारा प्रयुक्त विभिन्न नये प्रणेदषों के अतिरिक्त नौ सेना के लिये ड्रिल सुरंगें और सिगलन देने के लिए कारतूस ।

इलेक्ट्रानिकों में क्षेत्र में पहले से बेहतर और तेज संचारों को लक्ष्य करते हुए नयी प्रायो-जनाओं की एक संख्या या तो सम्पूर्ण हो चुकी है या कार्यान्वित की जा रही है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान राडारतंत्रों माईक्रो-मिनोयेचूरेशन क्षेत्र में कार्य स्थूल यंत्रों उत्पादक सेटों की कई किस्मों और बैटरियों के सुधार के अतिरिक्त विभिन्न मदों और टेलीसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी साज-सामान में विकास हुआ है ।

इंजीनियरी साज सामान के क्षेत्र में हल्के कुलियों के साज-सामान, हल्के पम्पों के सेटों, विभिन्न किस्मों की ट्रालियों और वजनों की विभिन्न किस्मों के लिए पटरियों के विकास पर जोर दिया गया है ।

गाड़ियों के क्षेत्र में पार पाई गई समस्याओं में शामिल है, क्वचित रिकवरी गाड़ी का विकास विजयंत पर बुल डोजर और विजयंत टेंक के देशीयकरण के सम्बन्ध में प्राव्यंजनाओं की एक संख्या का विकास । इसके अतिरिक्त एक आत्म प्रणेदी गन और क्वचित से दो वर्ग साहस का विकास संतोषपूर्वक प्रगतिशील है ।

ऐरोनाटिक्स क्षेत्र में एच० एफ-24 विमान के लिए अरफियस 703 इंजन के लिए रीहीट तंत्र के विकास के संबंधित कार्य पर प्रयास केंद्रित किये गये थे जो अंतरिक्ष तथा स्थल प्रयोग दोनों के लिए साज-सामान से सम्बन्धित अन्य कई वर्षों के अतिरिक्त सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो पाये हैं।

नौ सैनिक अनुसंधान के क्षेत्र में जलमगन देख-रेख के बेहतर तरीकों के विकास पर अध्ययन जारी है । देशीय गेनोवाय पर विकास कार्य सम्पूर्ण हो गया था और यह मद पाईलट संयंत्र मान पर उत्पादित की जा रही है । एक दूसरा महत्वपूर्ण काम सम्पूर्ण हो चुका है वह है जरण से पोतों की केथोडिक रक्षा और पोतों के हल की रक्षा के लिए जरणाशक रंग रोगनों की कई किस्मों का विकास ।

उपरोक्त मदों के अतिरिक्त व्यापक सामानों और वस्त्रों जैसे कि कोटों और पारका पाजामों एच. के. आई. सैनिकों के लिए पलीरंग वेग हुड सम्मेत वहु उद्देशीय वाटर प्रूफ आपात स्थिति के लिए विशाक प्राऊड शीट्स संदेश वाहकों के लिए संशोधित टोपियों छात्राप्रवारों के लिए बूट, कई प्रकार के पेराशूटों, साज और जीन की अन्य मदों की कई किस्मों और उच्च स्थानों पर सैनिकों द्वारा आवश्यक साज-सामान के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रायोजना है ।

महत्वपूर्ण प्रतिबदल

आयात द्रव्यों/प्रणोदकों/आयुधों और साज-सामान के उत्पादन के लिए आवश्यक संघटकों के लिए उपयुक्त देशीय प्रतिबदलों के विकास की ओर भी काफी प्रयास निर्दिष्ट किया गया है ताकि वांछित स्तर की आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके । उल्लेखनीय निष्पत्तियां हैं, गोला बारूद को लगभग सभी किस्मों के लिए देशीय प्रणोदकों, इलेक्ट्रानिकी संघटकों, अर्ध संवाहक द्रव्यों, रंगों रोगनों, ईंधनों स्नेहकों संक्षारण-निरोधियों, वाटर डिसल्टिंग किट का विकास ।

वैज्ञानिक अध्ययन तथा की गई जांचें

संक्रिया की विभिन्न हालतों के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं से सम्बन्धित समस्याओं की एक भारी संख्या की जांच की गई है और उनके हल मालूम किये गये हैं । इसके अतिरिक्त ऊंचे स्थानों पर सैनिकों के संचार से सम्बन्धित कार्यों की संख्या जैसे कि खद्य की विशिष्ट किस्मों, वस्त्रों, झोंपड़ियों और आश्रयों तापकों, दावानुकूलित चिकित्सा कमरा, गाड़ियों को आसानी से चलाने के ढंगों से सम्बन्धित कार्य कार्यान्वित किये गये हैं । ऐसी हालतों में आयुधों और साज सामान के कृत्य को सुधारने के लिए भारी परीक्षण किये गये हैं ।

खुश्क इलाकों की समस्याओं पर हस्तगत कार्यों में शामिल हैं, मरु भूमियों को गाड़ियों के यातायात योग्य बनाना, खारे पानी को नमक से रहित करना, आयुधों और साज सामान के परीक्षण और ऐसी हालतों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जांच ।

Loss Suffered by Antibiotics Factory, Rishikesh

3599. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 69 on the 27th July, 1970 regarding the losses incurred by the Antibiotics Factory, Rishikesh and state :

(a) the persons responsible for continuous loss being suffered by the Antibiotic Factory, Rishikesh;

(b) the number of Russian experts called for this factory during the last three years, year-wise, and the annual expenditure incurred on them;

(c) whether the auditor has inquired into the loss of Rs. 565.26 lakhs inclusive of the amount of depreciation and interest as on the 31st March, 1969; and

(d) the action taken by Government to check this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The losses have been incurred by this unit during the course of its operation and cannot be attributed to any single person or persons.

(b) The required information is as follows :—

No. of Russian Experts called for :

As on 31-3-1968	...	24 (plus 2 interpreters)
As on 31-3-1969	...	19 (plus 4 interpreters)
As on 31-3-1970		9 (plus 2 interpreters)

Expenditure incurred of them :

Year	Salary	Subsistance allowance	Total
	Rs.	Rs.	Rs.
1967-68	9.48 lakhs	3.24 lakhs	12.72 lakhs
1968-69	14.81 ,,	—	14.81 —
1969-70	7.21 ,,	—	7.21 —

(c) No. It is the function of Auditors to audit the accounts and to certify the same and not to enquire into the causes of losses.

(d) The losses are mainly due to the fact that the unit is still in the initial stages of production and stabilisation when process efficiencies are normally lower than the prescribed norms and the full capacity is not available for production due to the phased commissioning schedule. After actual operation of the Plant some technological and equipment deficiencies have been noticed which are being remedied in consultation with the foreign collaborators. The USSR Delegation which visited the factory recently has been cooperating and have agreed to supply free of cost some marginal equipments to reach the rates capacities.

सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रति-पूर्ति के आधार पर मकान सीधे किराये कर लेना

3600. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारियों के अनुमोदन से विभिन्न स्टेशनों पर प्रति-पूर्ति के आधार पर मकान सीधे किराये पर लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षा की आवश्यकता के अनुपालन के कारणवश सैनिक अधिकारियों को खर्चे की प्रति-पूर्ति के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रक्रिया को सरल बनाने तथा सुधार करने का है ताकि विलम्ब को रोका जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कुछ समय हुआ सेना अफसरों को किराये की अदायगी में भारी विलम्ब के मामलों की रिपोर्ट की गई थी। अंशत: विलम्ब का कारण था किराया के युक्तिसंगत होने के सम्बन्ध में असैनिक अधिकरणों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में लगा समय। आडिट अफसरों द्वारा ऐसे दावों के सम्बन्ध में कार्यवाही में पालन की गई कई औपचारिकताओं और प्रक्रिया के कारण भी ऐसा हुआ था। आडिट अधिकरणों के साथ मन्त्रणा के पश्चात् प्रक्रिया को धारारोखित किया गया है। रिपोर्ट मिली है कि वह संतोषपूर्वक चल रही है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए किराये पर लिये गये मकानों की संख्या

3601. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 की अवधि में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की छावनियों से बाहर प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए प्रतिमास 350 रुपयों से अधिक के किराये पर कितने मकान लिए गये;

(ख) क्या वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत किराये का निर्धारण सम्बन्धित किराया नियंत्रक अथवा एम० ई० ओ० द्वारा किया जाता है;

(ग) कितने मामलों में किराया वर्तमान आदेशों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था वरन् स्टेशन बोर्डों द्वारा मालिकों से समझौता करके निर्धारित किया गया था;

(घ) उन मालिकों के नाम तथा पते क्या हैं तथा समझौते द्वारा कितना किराया निर्धारित किया गया; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित समझौते के बारे में सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार है कि इन मामलों का पुनरीक्षण किया जाये तथा इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राकेट तथा मिसायल बनाने के लिए कम्पनी की स्थापना

3602. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेट तथा मिसायल बनाने के लिए एक कम्पनी निगमित की गई है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनका निर्माण पूर्णतया स्वदेशी रूप से किया जाएगा अथवा विदेशी सहयोग से; और

(ग) यदि निर्माण विदेशी सहयोग से किया जायेगा तो सहयोग सम्बन्धी करार की शर्तें क्या हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। मीजाईलों का निर्माण हस्तगत करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नाम से एक राज्य क्षेत्रीय उपस्कर समाविष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) यह सूचना देना लोकहित में न होगा।

नरैना कालोनी के गिराये गये फ्लैटों में परिवर्तन

3603. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 12 नवम्बर, 1970 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में 'आल्ट्रेशन्स इन फ्लैट्स डिमालिस्ड' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरैना कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये फ्लैटों के मालिकों द्वारा फ्लैटों में कराये गये अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तनों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान गिराने वाले दस्ते ने बिना किसी सूचना के तथा निर्दयता के साथ गिरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अलाटियों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अगले मकान गिराने के कार्यक्रम को रोकेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। परन्तु गिराने की कार्यवाही नियमों के अनुसार, नोटिस देने के बाद की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिजों को तेजी से निकालना

3604. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिजों को तेजी से निकालने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) देश में खनिज समुपयोजन को गतिशील बनाने हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कई परियोजनाएं चालू की गई हैं। परियोजनाओं के ब्यौरे चतुर्थ पंचवर्षीय दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है। इसके अतिरिक्त, सम्भाव्यता अध्ययनों को प्रारम्भ करके इन परियोजनाओं, अर्थात् राजस्थान और गुजरात में जस्ता निक्षेपों एवं उड़ीसा में सीसा निक्षेपों का अधिक विकास, लौह अयस्क सूक्ष्मों के छर्रे बनाने का संयंत्र आदि के बारे में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खनिज विकास के विभिन्न पहलुओं को गति देने एवं उनके समन्वय हेतु सरकार के सचिवों की एक सशक्त समिति नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

परिवार नियोजन के लिए राज्यों को सहायता देने की कसौटी

3605. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को दी जा रही सहायता की कसौटी में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में क्या केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को ठीक प्रकार से लागू किया है तथा जन्म दर में कमी की है उनको अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है और अभी कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

दक्षिण कोरियाई शिष्टमण्डल

3606. **श्री उमानाथ** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में दक्षिण कोरिया के कितने शिष्टमण्डलों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया;

(ख) प्रतिनिधियों के नाम तथा पद क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक शिष्टमण्डल किस उद्देश्य से भारत आया; और

(घ) प्रत्येक शिष्टमण्डल ने किन-किन स्थानों का दौरा किया ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1970 के दौरान, कोरियाई गणराज्य के दो सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत का भ्रमण किया।

(ख) 1. श्री जी-इल-कोह, प्रशासक, पूर्ति कार्यालय, कोरियाई गणराज्य सरकार और श्री पार्क सौंग चुल, प्रशासक के सहायक।

2. श्री शी ह्यून चो, मंत्री, कृषि और वन उद्योग और श्री डक योंग रीह, सहायक उप-मंत्री कृषि और वन उद्योग।

(ग) श्री कोह, भारत और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापार सुधारने की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारत आए। कृषि और वन उद्योग मंत्री, अफ्रीकी-एशियाई ग्राम पुनर्गठन संगठन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आए थे।

(घ) श्री कोह ने लखनऊ, वाराणसी, भिलाई, रांची, मद्रास, बंगलौर, बम्बई और कलकत्ता के औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया। श्री शी ह्यून चो ने नई दिल्ली और आगरा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा किया।

सरकारी फ्लैटों/मकानों में रहने वाले लोगों के निजी मकानों को खाली करना

3607. **श्री० स० कुन्दू** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 9 नवम्बर, 1970 के सरकारी फ्लैटों/मकानों में रहने वाले लोगों के निजी मकानों को खाली कराने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में उल्लिखित तीन मालिकों में से कितने मालिक क्रम से भूतपूर्व आई० सी० एस०, भूतपूर्व सशस्त्र सेना अधिकारी और गैर-सर्विसमैन हैं; और

(ख) उसी छावनी में से भूतपूर्व सशस्त्र सेना के अधिकारियों के मकान खाली कराने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र रद किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मालकों में से दो सेनाओं के नहीं थे और एक आई० सी० एस० का सेवा विमुक्त सदस्य था ।

(ख) किराये पर लिए मकानों को विमुक्त करने की प्रार्थनायें विभिन्न स्तरों पर रद कर दी गई हैं । सूचना इकट्ठी करने के लिए आवश्यक समय और श्रम प्राप्त हो पाने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए रेलवे के डाक्टरों का चुनाव

3608. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में 6 महीने की अधिक अवधि के डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त स्थानों को न भरने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन के अन्तर्गत औषधालयों और अस्पतालों में कार्य कर रहे डाक्टरों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है; और

(घ) रेलवे औषधालयों और अस्पतालों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा डाक्टरों का चुनाव न किये जाने के कारण इन संस्थानों में 6 महीने की अधिक अवधि से डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित एककों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) रेल मन्त्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित नहीं है । अतः रेलवे के डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नहीं आते ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में गैर-तकनीकी कर्मचारी

3610. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु विभागों में गैर-तकनीकी कर्मचारियों की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) तकनीकी कर्मचारियों की संख्या पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग या खान तथा धातु विभाग की संख्या से ज्यादा नहीं है । किन्तु वित्त मन्त्रालय के स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग के अतकनीकी स्टाफ में कुछ कमी करने का सुझाव दिया था, लेकिन वित्त मन्त्रालय के परामर्श से इन सुझावों पर अभी तक विचार हो रहा है ।

धूम्रपान तथा तम्बाकू खाने का प्रतिकूल प्रभाव

3611. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट पीने तथा तम्बाकू खाने से हृदय धमनी में कड़ापन, श्वास, कैंसर तथा एलीमेंटरी ट्रैक्ट्स की बीमारी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि युवकों को धूम्रमान को बढ़ावा देने वाले चलचित्रों को देश में हतोत्साह किया जाय ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) सिगरेट पीना तथा तम्बाकू चबाना इस रोग के कारणों में माने जाते हैं । तथापि तम्बाकू केन्सरजनक होता है अभी तक इसका निश्चित प्रमाण नहीं मिला है । अतः इस विषय पर और आगे अनुसन्धान करना आवश्यक है । वैसे सरकार चिकित्सा-शिक्षा सम्बन्धी अपनी गतिविधियों के एक अंश के रूप में तम्बाकू के हानिप्रद प्रभावों को प्रकाशित करती रहती है । बहुत सी राज्य सरकारों ने सिनेमा घरों, थियेटरों तथा सभागारों में धूम्रपान निषेध कर दिया है । कुछ राज्यों में बाल-धूम्रपान के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था है ।

लूप लगाने के लिए महिला होमियोपेथ डाक्टर

3612. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि उन महिला होमियोपेथ डाक्टरों का उपयोग जिन्होंने होमियोपेथी के पूरे पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करली है और जिसमें प्रसूतिशास्त्र, स्त्रीरोग-विज्ञान तथा शल्यशास्त्र का ज्ञान सम्मिलित है, लूप लगाने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि किसी क्षेत्रीय परिवार नियोजन केन्द्र में वह प्रशिक्षित हो चुकी हों; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में महिला डाक्टरों को दी गई अन्य वित्तीय सहायता क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां ।

(ख) एक महिला होम्योपैथिक चिकित्सक को एक लूप पहनाने के 11 रुपये दिए जाते हैं बशर्ते वह यह प्रमाणपत्र दे कि लूप पहनाने के बाद अपेक्षित देखभाल का काम भी इसी राशि में करेगी । चिकित्सकों को अन्य कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती ।

तेल निकालने के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव

3613. **श्री एन० शिवप्पा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल निकालने के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के साथ सहयोग की क्या शर्तें हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने तेल अन्वेषण या व्यधन के लिए, साम्य साझेदारी के रूप में, कोई विदेशी सहयोग आमन्त्रित नहीं किया था । परन्तु भारतीय तट के कम गहरे पानी में अतटीय-व्यधन के लिए, व्यधन-प्लेटफार्म को लगाने में रूस से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई थी । गहरे पानी में व्यधन के लिए, एक चल प्लेटफार्म की प्राप्ति और प्रारम्भिक संक्रियाओं के बारे में कई एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के दल द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे देशों का दौरा

3615. **श्री शंकर राव माने** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के उस दल ने सरकार को कोई सुझाव दिये हैं जिसने लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे कुछ देशों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के उस अध्ययन दल, जिसने कतिपय लौह अयस्क उत्पादन करने वाले देशों का भ्रमण किया था, द्वारा दी गई सिफारिशों और उनके अनुसरण की गई कार्यवाही को उपदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—4500/70]

Spare Parts of Aircraft aud Vijayanta Tank

3616. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Defence be pleased to state the name of the countries from which components of aircraft and Vijayanta Tank are being imported during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Defence Production) (Shri P. C. Sethi) : Components and materials for fighter aircraft are at present being obtained mainly from U.S.S.R., U.K. and France and partly from U.S.A.

Components of Vijayanta tank are being imported at present only from U.K.

Development of New Kind of Plastic by Indian Scientists

3617. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Indian Scientists have made available any information about the development of a new kind of plastic recenly; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) The Ministry has not received any information on this subject.

छावनी बोर्ड अधिनियम एवं नियमों का संशोधन

3619. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड अधिनियम एवं नियमों में संशोधन हेतु सरकार को जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या उस अभ्यावेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) मुख्यत: छावनी अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। मुख्य विषय, छावनी प्रशासन के अधिक लोकतन्त्रीकरण, निर्वाचित सदस्य की कार्यावधि बढ़ाने, छावनी टेन्योरों पर धारित रक्षा भूमियों के सम्बन्ध में फ्रीहोल्ड प्रदान किये जाने, बैठकों में भाग लेने के लिए छावनी बोर्डों के सदस्यों को मेहनताना दिये जाने इत्यादि से सम्बन्धित हैं। छावनी अधिनियम में संशोधनों को अन्तिम रूपरेखा प्रदान करते समय इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्राप्त हुए अभिवेदनों की प्रतियां सदन के पटल पर रखना लोकहित में न होगा।

छावनी बोर्डों द्वारा चलाये जा रहे उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

3620. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न छावनी बोर्डों द्वारा छावनी बोर्डों के नाम से विभिन्न कमानों के अन्तर्गत चलाए जा रहे उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) जिन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में ये विद्यालय स्थापित हैं क्या उनको सम्बद्ध राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोई अनुदान दिया गया है अथवा उनको पूरी वित्तीय सहायता सहायता बोर्डों द्वारा दी जाती है; और

(ग) उनमें से कितने विद्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी हैं तथा उनको चलाने में कितनी हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) विस्तार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रमांक	छावनी का नाम	छावनी बोर्डों द्वारा चलाए गए उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल
	दक्षिण कमान	
1.	अहमदाबाद	1
2.	देवलाली	1
3.	किरकी	1
4.	पूना	2
5.	सेंट थोमस माकुंट	2
	पश्चिमी कमान	
1.	अम्बाला	1
2.	जालन्धर	2
3.	खास योल	1
	सैंट्रल कमान	
1.	चकराता	1
2.	मऊ	1
3.	सागर	1
4.	बरेली	1
5.	लैंस डाउन	1
6.	मेरठ	1

भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शनों तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि

3621. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शनों तथा सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर विचार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और यह भूतपूर्व सैनिकों की कौन सी श्रेणी पर लागू होंगी अर्थात् क्या यह बहुत पहले सेवा निवृत्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों पर भी लागू होंगी अथवा केवल हाल ही में सेवा निवृत्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों पर ही लागू होंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेवा से मुक्ति की चिट्ठियों के समय लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पेन्शन प्रदान की जाती है। थोड़ी पेन्शन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों को देय पेन्शनी लाभों में सुधार करने की आवश्यकता का सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और यथा सम्भव सीमा तक उन्हें राहत दी जाती है। (रिजर्व के पेन्शनरों को छोड़ कर) सभी पेन्शनरों को कम से कम पेन्शन 1-3-1970 से 40 रु० प्रति मास तक बढ़ा दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं देने के लिए उपबन्धित योजनाओं के विस्तार लोक-सभा में 5-8-1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1576 के भाग (ख) के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Pay Scale of Lecturers and Professors Employed in Medical Colleges

3622. **Shrimati Minimata Agam Dasguru :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the pay scales of all the Lecturers and Professors employed in the Medical Colleges throughout India are identical irrespective of the fact that they are working under the Central Government or the State Government;

(b) if so, the pay scales of those working under each of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu etc; and

(c) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons working in such Colleges throughout the country and the procedure followed in regard to their promotion ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments etc. and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज तथा अस्पताल नई दिल्ली के प्रांगण में झुग्गी-बस्ती

3624. **श्री अदिचन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में लेडी हार्डिंग कालिज तथा अस्पताल के प्रांगण में झुग्गी-बस्ती बसी हुई है;

(ख) क्या इस झुग्गी बस्ती में बने 36 खुले पाखानों और अस्पताल के पिछवाड़े प्रति दिन फेंके गये कूड़े-कचरे से उस क्षेत्र में स्थायी तौर पर गन्दगी रहने लगी है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि अस्पताल के प्रांगण में ये झुग्गी-बस्ती और झुग्गियां क्यों कर बनीं; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में गन्दगी दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल के अहाते के अन्दर 140 झुग्गियां हैं।

(ख) इस संस्था के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के 183 स्टाफ क्वार्टरों के लिए 36 पक्के शौचालय बने हुए हैं जिनमें फ्लश सिस्टम है। झुग्गी-वासियों के लिए अलग से कोई शौचालय नहीं है और वह भी स्टाफ क्वार्टरों के शौचालयों का ही उपयोग करते हैं। यद्यपि अहाते के अंदर झुग्गियों के होने से वहां पर सफाई रखने में दिक्कत होती है तथापि इस क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अधिकांश झुग्गी-निवासी लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल तथा कलावती सरन बाल-चिकित्सालय के कर्मचारी हैं। उनको वहां से हटाने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन से उठाया गया है जिन्होंने इस मामले में सहायता करने को कहा है। हटाने की इस प्रस्तावित योजना के अनुसार इन निवासियों को इसके बदले क्वार्टर या जमीन दी जानी है। दिल्ली प्रशासन इन झुग्गी-वासियों को मादीपुर, नजफगढ़, मदनगीर आदि जैसी नियमित जे० जे० बस्तियों में बसाने के लिए राजी हो गया है जो काफी दूर स्थित हैं। इन्हें ऐसे स्थानों पर जो इस संस्था से अधिक दूर न हों बसाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बरौनी पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की प्रगति

3625. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बरौनी में स्थापित किये जाने वाले पेट्रो-उद्योग समूह का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बरौनी स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो पेट्रो-रसायन उद्योग समूह को तेजी से स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) बरौनी पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के पांचवीं योजना में स्थापित किए जाने की आशा है और इस समूह के प्रारम्भिक कार्य के लिए वित्त सम्बन्धी व्यवस्था चौथी योजना अवधि

के दौरान की गई है। बरौनी शोधनशाला को कच्चे तेल की सप्लाई के पैटर्न को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बरौनी में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे तेल के विश्लेषण का कार्य और शोधनशाला से उपलब्ध होने वाली सम्भरण सामग्री अंशों का हाइड्रोकार्बन विश्लेषण शुरू हो चुका है। इस काम के मुकम्मल हो जाने पर पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के ब्यौरे तैयार किये जाएंगे।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

3626. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के 109 कर्मचारियों के मामलों पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या इस फैक्टरी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार फैक्टरी के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो किस तरीके से ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि० में 2 जुलाई, 1969 को हुई आगजनी और हिंसा के बाद, पुलिस द्वारा 105 कर्मचारियों और 4 बाहर के व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्टर किया गया मामला अभी न्यायालय में निलम्बित है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1 अप्रैल, 1966 से 30 जून, 1970 तक की अवधि के लिए मासिक-दर के कर्मचारियों को, उनकी अपनी-अपनी वेतनमाला के अनुसार, 5 रुपये प्रतिमास से 7.50 रुपये प्रतिमास तक की तदर्थ भुगतान की अनुमति दी गई है। मासिक-दर कर्मचारियों को, 1 जुलाई, 1970 से निम्नलिखित संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया है, जिससे उन्हें, उनके वेतनमान के अनुसार, 25 रुपये से 30 रुपये तक लाभ हुआ है—

मासिक वेतन	1-7-1970 से महंगाई भत्ते की संशोधित दरें
110 रु० से नीचे	—63 रुपये प्रतिमास
110 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 150 रु० से नीचे	—83 रुपये प्रतिमास
150 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 210 रु० से नीचे	—101 रुपये प्रतिमास
210 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 400 रु० से नीचे	—123 रुपये प्रतिमास
400 रु० तथा उससे ऊपर परन्तु 500 रु० से नीचे	—130 रुपये प्रतिमास

(घ) फैक्टरी में औद्योगिक सम्बन्ध पूर्णतया मैत्रीपूर्ण हैं और सरकार द्वारा आगे कार्यवाही का किया जाना आवश्यक दिखाई नहीं देता।

दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय खोलने के लिए अनुमति प्राप्त भारतीय फर्म

3627. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फर्म को दक्षिण अफ्रीका में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद वाली सरकार के प्रति सरकार की नीति के अनुकूल है;

(ग) क्या न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी शाखा खोलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) इस मामले पर गौर किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले में एल्यूमिनियम फैक्टरी के कार्य में प्रगति

3628. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में एल्यूमिनियम फैक्टरी का कार्य शुरू हो गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना का कुल परिव्यय क्या है और परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) फैक्टरी के चालू होने पर इसमें कितने मजदूरों को नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, प्रारम्भिक कार्य शीघ्र ही किये जाएंगे।

(ख) प्रायोजना पर कुल लागत लगभग 55 से 60 करोड़ रुपये होने की आशा है। तथापि परामर्शदाताओं से विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम प्राक्कलन का पता लग सकेगा। प्रदावक से जो अल्यूमिना संयंत्र के आगे स्थापित किया जा रहा है 1973-64 से

उत्पादन प्रारम्भ होने तथा 1975-76 तक समस्त प्रायोजना से उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) जब कि संयंत्र परिचालन अवस्था में है, तब कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 2,000 होने की आशा है।

25 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Correcting Statement to Ustarred Question No 4121 dated 25.3.1970

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री जगजीवन राम): अतारांकित प्रश्न संख्या 4121 के भाग (क) में 25-3-1970 को पूछा गया था कि आया यह सच है कि उच्चतर कमाण्डरों द्वारा आदिष्ट रम का वितरण जवानों को सूचना के लिए दैनिक सामान्य आदेशों में सदा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न के इस भाग का निम्न उत्तर दिया गया था—

"जी हां, संक्रियात्मक क्षेत्र में स्थित यूनिटों को छोड़ कर"।

2. उसी प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) में पूछा गया था :

(ख) क्या यह भी सच है कि मई, 1964 से लेकर अक्तूबर 1967 तक 18 पंजाब रेजीमेंट में ऐसा नहीं किया गया—

(ग) इसे दैनिक रूटीन आर्डर में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं तथा इसे किस रीति से प्रकाशित किया गया है; और

(घ) इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

3. इन भागों के उत्तर में कहा गया था कि सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

4. अधिक जांच से पता चला है कि जबकि शान्ति के क्षेत्रों में कुछ यूनिटें रम के निःशुल्क वितरण को दैनिक सामान्य आदेशों में प्रकाशित करती हैं, कोई एकरूप प्रथा नहीं है, न ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कोई नियम ही है। तदनुसार मैं पहले दिए गए उत्तर में संशोधन करने का यह अवसर ग्रहण करता हूं। खेद है कि भाग (क) का उत्तर देने से पहले पूरी और पक्की सूचना इकट्ठी न की जा सकी। सम्बन्धित अधिकरणों को कहा गया है कि वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्रव्य सप्लाई करने से पहले तथ्यों की सम्पूर्णता और सच्चाई सुनिश्चित करलें।

5. भाग (ख), (ग) तथा (घ) के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार हैं :

(ख) मई 1964 से अक्तूबर 1967 तक पंजाव रेजिमेंट द्वारा ऐसा कोई प्रकाशन प्रकाशित न किया गया था।

(ग) ऐसा प्रकाशन न किये जाने के कारण हैं, कि ऐसा करने को आवश्यक बनाने सम्बन्धी कोई नियम न थे, और इस सम्बन्ध में कोई प्रथा नहीं है। ऐसा पता लगाने के लिए कोई साधन नहीं कि जवानों को निःशुल्क वितरित की गई रम का कैसे प्रयोग किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान चालकों द्वारा एवरो विमानों को उड़ाने से इन्कार किये जाने का समाचार

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : श्रीमान्, मैं **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबंध-व्यवस्थापकों तथा वाणिज्यिक विमान चालक संघ (कमर्शल पायलट्स एसोसियेशन) के बीच समझौता हो जाने के उपरान्त भी इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों द्वारा बम्बई से एवरो विमानों को उड़ाने से इन्कार किये जाने के समाचार।"

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : जैसा कि इस सदन को मालूम है इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधकवर्ग तथा भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के बीच 2 दिसम्बर की रात में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अन्तर्गत संघ ने बोइंग प्रशिक्षण के बारे में अपना निदेश वापस ले लिया था और विमान सेवाओं के परिचालन-कार्य को तत्काल सामान्य स्तर पर लाने का आश्वासन दिया था। प्रबन्धक- वर्ग ने आशा प्रकट की थी कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने पर विमानचालक अविलम्ब अपना समस्त कार्यकलाप पुनः प्रारंभ कर देंगे। परन्तु, बम्बई क्षेत्र के विमानचालक एच० एस०-748 विमानों में कई तरह के नुक्स निकालते हुए उनकी उड़ान करने से इन्कार करते रहे, यद्यपि मद्रास क्षेत्र के विमानचालक इन विमानों को उड़ान कर रहे हैं।

2. इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े के 14 एच० एस-748 विमानों में से 6 विमान बम्बई में हैं और बम्बई क्षेत्र के विमानचालकों ने प्रथमतः दो विमानों में नुक्स निकाला, परन्तु वे बम्बई क्षेत्र के भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के निदेश के बहाने उक्त सभी विमानों की उड़ान करने से इन्कार कर रहे हैं।

3. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के परामर्श से, जो कि भारत में एच० एस-748 विमानों के निर्माता हैं, प्रबंधकवर्ग ने उक्त दो विमानों की एच० ए० एल० के परीक्षण-विमान-चालक द्वारा परीक्षण-उड़ान करने की व्यवस्था की। ये परीक्षण 5 दिसम्बर को पूरे हो गये, और

परीक्षण-विमानचालक ने एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट, जो कि एच० ए० एल०, कानपुर के महाप्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, दी जो निम्न प्रकार है—

> "एच० ए० एल० के परीक्षण-विमानचालक द्वारा किये गये उड़ान-परीक्षणों से प्रकट होता है कि विमान के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक मानकों का सन्तोषप्रद रीति से निर्वाह किया जा रहा है ।
>
> विमान के कार्य-कलाप के अन्य पहलुओं, जिनसे सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, की भी जांच कर ली गयी है, तथा इसके परिणामों पर विचार किया जा रहा है ।"

इसके बाद दो अन्य विमानों का परीक्षण किया गया और एच० ए० एल० कानपुर के महाप्रबन्धक ने कहा है कि वह इस बात से संतुष्ट है कि ये विमान विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । मैं वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखूंगा ।

4. इन परिस्थितियों में, बम्बई क्षेत्र के विमानचालकों द्वारा इन विमानों की उड़ान करने से इन्कार करने में कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता । सुरक्षा के सम्बन्ध में परीक्षण-विमानचालक की असंदिग्ध रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए, प्रबन्धकवर्ग ने विमानचालकों को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे विमानों का परिचालन-कार्य यथा-सामान्य रूप से तुरन्त प्रारंभ कर दें ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मंत्री महोदय का अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि इण्डियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है । यह मामला विमान-चालकों की हड़ताल तक ही सीमित नहीं है । 3 अथवा 3½ मास पूर्व तकनीशनों ने भी हड़ताल की थी और फिर लादने का काम करने वाले श्रमिकों ने भी हड़ताल की थी । अत: इन मामलों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । आज विमान-यात्रा करना धनवान व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं है, आज यह एक आवश्यकता है । मंत्री महोदय ने तथ्य न बताकर परोक्ष रूप से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इन विमान-चालकों ने एक-दो विमानों को उड़ाने से इन्कार किया है । परन्तु मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह फाइलों को पढ़ कर इस बात का पता लगायें कि क्या गत मई माह में आपरेशन मैनेजर ने उच्च अधिकारियों को एक टिप्पण भेजा था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि इण्डियन पायलट्स एसोसिएशन से एवरो 748 विमानों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुए हैं और क्या आपरेशन मैनेजर ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इन शिकायतों की गम्भीरतापूर्वक जांच की जाये । फिर अगस्त में क्या उसी आपरेशन मैनेजर ने उच्च अधिकारियों को बताया था कि वह सभी दोषयुक्त अथवा कथित दोषयुक्त विमानों की परीक्षण उड़ान कराने का प्रयत्न कर रहे थे । नवम्बर से फिर यह कार्य किया गया था । अब प्रश्न यह उठता है कि प्रबन्धक वर्ग ने इन विमानों के निर्माताओं द्वारा इनका परीक्षण करवाने में 6 महीने से अधिक समय क्यों लगाया । यदि यह कार्य समय पर कराया जाता तो आज मन्त्री महोदय यह न कह सकते कि मजूरी ढांचे के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के बावजूद विमानचालकों ने विमान उड़ाने से इन्कार कर दिया है । मन्त्री महोदय का कहना है कि विमानचालकों को लगभग 4,775 रुपये के अतिरिक्त 2,000 रुपये का भत्ता तथा अन्य कई भत्ते दिये जाते हैं । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 9 मई, 1670 को हुए समझौते के अतिरिक्त विमानचालकों को एक पैसा भी दिया गया है ? क्या वह यह भी बतायेंगे कि विमान चालकों को 9 मई, 1970 को हुए समझौते के अनुसार ही भुगतान किया जाता है या उसमें से भी कुछ राशि रख ली जाती है ।

वास्तव में हमें पता है कि कुछ विमान खरीदने के लिए अन्तिम बातचीत करने में तीन वर्ष का समय लगा था। इसी अवधि में धन के गबन की जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपा गया था। इसके बाद प्रबन्धकों ने तीन स्काई मास्टर विमान वेचे थे। इनका मूल्य था केवल 14 लाख रुपये जो उस मूल्य का सातवां या आठवां भाग है जो वे इन्जीनियरिंग टूल्स, अतिरिक्त विमान इंजनों तथा अन्य सामान से प्राप्त कर सकते थे। अब चेकोस्लोवाकिया को बहुत कम मूल्य पर कुछ डकोटा विमान बेचे जा रहे हैं। मन्त्री महोदय इसकी जांच कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि प्रबन्धक वर्ग में कुछ दोष हैं। वे श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं। इसके बजाए वे कहते हैं कि विमानचालक तकनीशन तथा श्रमिक ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, वस्तुतः राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, 1964 द्वारा दिये गये पंचाट से अधिक कार्य लेने के लिए उनपर दबाव डाला जाता है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इन विमान-चालकों पर आरोप लगा देने मात्र से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें इस बात की जांच करनी चाहिए कि इस कारपोरेशन के कौन से अधिकारी कारपोरेशन का धन निकाल रहे हैं। क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि एवरो विमानों की खराबियां बहुत पहले बता दी गई थीं और कुछ विशेष कारण और कुछ विशेष लाभ के लिए उनकी जांच नहीं की गई थी? क्या वह इस मामले की ब्यौरेवार जांच करवायेंगे?

डा० कर्ण सिंह: विमानचालक समाज का वह वर्ग है जिसका सम्मान किया जाता हैं, वे योग्य व्यक्ति हैं तथा उन्हें वेतनमानों के रूप में काफी बड़ी राशि मिलती है। जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है मैं वर्ग के साथ कह सकता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स का सुरक्षा सम्बन्धी रिकार्ड सबसे अच्छा है। यह ठीक है कि एवरो विमानों की उड़ानों तथा सुरक्षा आदि के बारे में समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। जैसे ही विमानचालकों ने विमान उड़ाने से इन्कार किया हमने परीक्षण विमान चालकों द्वारा विमानों की जांच कराई थी और एच० ए० एल० के जनरल मैनेजर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, वे न्यूनतम स्तर से काफी अच्छे हैं। ईंधन की खपत अथवा अन्य किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। हम उनमें सुधार करने का हर सम्भव प्रयास करते रहेंगे और निर्माताओं के साथ भी विचार-विमर्श करते रहेंगे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी: क्या इनके वक्तव्य में उल्लिखित 9 मई, 1970 को हुए समझौते के अतिरिक्त उनको कोई अन्य राशि दी जाती है?

डा० कर्ण सिंह: मेरे विचार में इस ब्यौरे की आवश्यकता नहीं है, प्रबन्धक वर्ग तथा विमानचालकों के बीच बातचीत असफल हो गई है। आशा है कि एक अच्छे वातावरण में यह बात-चीत पुनः आरम्भ होगी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): माननीय सदस्य ने पूछा था कि इन शिकायतों की जांच करने में इतना अधिक समय क्यों लगा था।

डा० कर्णसिह: इन शिकायतों को एच० ए० एल० को तत्काल भेजा गया था। इस कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ था।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): It seems that there was no manufacturing defect in the said aeroplanes. In case workers or low-paid employees go on hunger strike, adopt go slow tactics, we could follow it but if Indian Airlines Pilots adopt such tactics, we do not

think it proper. They are behaving like Maharajas. I think they are getting more than what a Cabinet Minister gets. Will the hon. Minister Introduce any legislation by which they are not allowed to block the functioning of this important means of travel. They had adopted go slow policy and work according to rules method on 2nd December which had caused much inconvenience to the travellers and foreigners in particular. In view of this Government should evolve some rule or legislation by which such highly paid staff could be stopped from adopting these tactics.

I would also like to know whether some high officials of Management are also involved in this stike. The Chairman of the Indian Airlines Corporation and other similar concerns should be wholetimer, who should go into details of the working of the concern. I would also like to know whether Deputy Manager Shri Ranadive is also involved in this strike ?

Dr. Karan Singh : We have enforced Essential Service Maintenance Act in aviation so that there should not be any strike and if there is strike, action could be taken under the aforesaid Act. However we have not taken any action under this act so far in this case.

It would not be proper to say that chairman or the management is involved in the strike. Captain Ranadive has been suspended by the Chairman only yesterday and after a thorough enquiry we will be able to know whether he is involved in the strike or not.

There is no security problem in aeroplanes which have already been tested.

Shri Beni Shanker Sharma : It has been reported in the daily "Hindustan" that Indian Airlines have decided not to fly those two Avroes about which there were complaints. May I know whether their test report has been received or not and whether the same is under consideration ?

Dr. Karan Singh : The Test Report has been received. As I have already stated, four aircrafts have been tested and no security risk in involved in them. Indian Airlines has instructed its pilots to fly Avroes and I hope that flights will be resumed soon.

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि एवरो विमान उपयुक्त पाये गये हैं और केवल बम्बई के विमान चालकों ने ही उन्हें उड़ाने से इन्कार किया हैं । यदि इस विवाद के बारे में कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन के साथ बातचीत की जाती तो सभी विमान-चालकों ने इन विमानों को न उड़ाया होता । यह नहीं हो सकता था कि वे मद्रास में इन विमानों को उड़ायें परन्तु बम्बई में न उड़ायें । वास्तव में विवाद का कारण इन विमानों में कुछ खराबी है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उस पत्र-व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विमानचालकों ने गत छ: महीनों में इनमें कुछ तकनीकी दोषों का उल्लेख किया है । एच० ए० एल० ने कहा है कि इन विमानों के सुरक्षा सम्बन्धी स्तर का रखरखाव किया जा रहा है और सुरक्षा से इतर पहलुओं की भी जांच की जा रही है और तत्सम्बन्धी परिणाम विचाराधीन हैं । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के 4 तारीख के पत्र में लिखा है कि वी० टी—डी० एक्स० क्यू० और वी० टी—डी० एक्स० ओ० विमान की परीक्षण उड़ान सम्बन्धी परीक्षण पायलट की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और एच० ए० एल० तथा असैनिक उड्डयन महानिदेशालय के उच्चाधिकारियों के विचाराधीन है और उनके परामर्श की प्रतीक्षा की जा रही है । इसलिए सम्बन्धित विमानों की उड़ानें रद्द की जा रही हैं । यह बात 4 तारीख की है परन्तु 5 तारीख को मंत्री महोदय बताते हैं कि वे ठीक हो गये हैं और उनमें कोई खराबी नहीं है । निर्माता तो निश्चित रूप से यह कहेंगे कि विमान ठीक है । परन्तु हमें उन पर हमेशा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए । इन विमानों में क्रूसिंग स्पीड, ईंधन

की खपत और 'ग्रेडियेट क्लाइम्ब' आदि कुछ गम्भीर दोष पाये गये हैं। यह ठीक है कि विमान उड़ सकते हैं परन्तु यदि कोई दुर्घटना होती है तो सैकड़ों लोगों के जीवन को खतरा हो जाता है। यह मामला यूनियन अथवा विमान चालकों के व्यवहार तक सीमित नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज कोई भी विमान नहीं उड़ता। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच करने के लिए इंजीनियरों का एक निष्पक्ष निकाय बनाया जायेगा जो इन बातों की जांच करे कि क्या विमान चालकों द्वारा बताये गये दोष वास्तव में उनमें हैं और उनको दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव भी दें ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया है समय-समय पर कुछ तकनीकी दोष, जो सुरक्षा के साथ सम्बन्धित नहीं हैं, बताये जाते रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। यदि परीक्षण उड़ान में कुछ ऐसी बातों का पता चले जिनसे खतरा पैदा हो सकता हो तो ऐसे विमानों की उड़ान तत्काल बन्द कर देनी होगी। यदि ऐसा कोई खतरा न हो परन्तु अन्य प्रकार की कोई खराबी पैदा हो तो उसकी जांच भी हम करते हैं। हम उसकी लापरवाही नहीं कर रहे हैं। इस कार्य में समय अवश्य लगता है।

4 तारीख को इन विमानों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 5 तारीख को परीक्षण विमान चालक कैप्टन अशोक ने परीक्षण किया और उनके द्वारा पास किए जाने के बाद इण्डियन एयरलाइन्स ने कहा कि इन्हें दोबारा उड़ाया जा सकता है।

जहां तक निष्पक्ष निकाय की स्थापना का सम्बन्ध है मैंने वायु सेना अध्यक्ष पी० सी० लाल के साथ परामर्श किया था। उनका कहना है कि सुरक्षा मानक के बारे में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है परन्तु उक्त कार्य में एच० ए० एल०, विशेषज्ञ है। इस सम्बन्ध में हम एच० ए० एल०, भारतीय वायु सेना तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में इस कार्य के लिए विदेशों से किसी व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि आवश्यक समझा गया तो इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) : बम्बई से कोचीन तक प्रतिदिन तीन विमान जाते हैं परन्तु गत एक सप्ताह से एक भी विमान नहीं गया है। सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पटसन के दो लाख श्रमिक अनिश्चित काल तक हड़ताल पर हैं। क्या आप मंत्री महोदय से कहेंगे कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें कि उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सफ़दरजंग हवाई अड्डे के निकट हुई दुर्घटना के मामले की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आज एक वक्तव्य दिया जाना है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप पटसन सम्बन्धी 2 लाख श्रमिकों की हड़ताल के बारे में मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने के लिए कहें। यह एक

गम्भीर मामला है। इसका बंगाल की ही नहीं बल्कि भारत की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पटसन मिल मालिक इसके लिए जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। यह गलत है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के कार्य की समीक्षा

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं—

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4489/70]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 नवम्बर, 1970 को पास किये गये केन्द्रीय श्रम विधि (जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1970 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में याचिका

PETITION RE. SERVICE CONDITIONS OF EMPLOYEES OF M. E. S.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर श्री के० जी० श्रीवास्तव, नई दिल्ली, द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इस सदन को गहन दु:ख के साथ 5 दिसम्बर की प्रातः को हुई जामयेर के एक डकोटा विमान की, जोकि एक अननुसूचित यात्री उड़ान पर दिल्ली से जयपुर और कोटा होते हुए जोधपुर जा रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का समाचार प्राप्त हुआ होगा । यह दुर्भाग्यग्रस्त विमान सफ़दरजंग विमानक्षेत्र से प्रात: 6.42 पर उड़ा था और उसके शीघ्र ही बाद सुपर बाजार के पीछे एक खाली पड़ी जमीन में इसका ध्वंस-अवतरण हुआ ।

कॉक्पिट के तीनों ही विमान-कार्मिकों की, अर्थात् प्रमुख विमानचालक, सह-विमानचालक एवं रेडियो अधिकारी की मृत्यु हो गई, जबकि विमान परिचारक को कोई चोट नहीं आई । 12 यात्रियों में से, एक यात्री की मृत्यु हो गई; तथा एक यात्री की हालत अब भी बहुत गम्भीर है, परन्तु बताया जा रहा है कि इसकी हालत में सुधार हो रहा है । शेष 10 यात्रियों को मानसिक आघात पहुंचा तथा मामूली चोटें आयीं । कुछ ही मिनटों में ध्वंसोपचार अग्नि-शामक गाड़ियां और एक एम्बूलेन्स गाड़ी दुर्घटनास्थल पर पहुँच गई तथा आहतों को चिकित्सा के लिए तुरन्त सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है ।

नागर विमानन के महानिदेशक तथा विभाग के अन्य प्रवर अधिकारी कुछ ही मिनटों में दुर्घटनास्थल पर आ पहुंचे । इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नागर विमानन के एक भूतपूर्व महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ।

मुझे विश्वास है सदन मृत्युग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करने और आहतों के शीघ्र ठीक होने के लिए कामना करने में मेरा साथ देगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : यह एक बड़ा गम्भीर मामला है । सफदरजंग हवाई अड्डे को घनी आबादी के क्षेत्रों में स्थित होने के कारण बन्द कर दिया जाना चाहिए तथा इस दुर्घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा खुली जांच की जानी चाहिए । हम इस प्रकार लोगों के जीवन से नहीं खेलने देंगे । यदि यह आई० एन० ए० बाजार पर गिर जाता तो अधिक लोग मर गये होते । आप इस पर चर्चा की अनुमति दें ।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : Thirty years old Dakota aircrafts are used, in that case what other can happen except an air-crash.

श्री म० ला० सोंधी : एक निजी कम्पनी को इस प्रकार हजारों लोगों की जिन्दगी में क्यों खेलने दिया जाता है ?

श्री हेम बरुआ (मेगलदार्या) : यह बड़ा गम्भीर मामला है । इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, क्या उसकी स्वीकृति दे दी गई थी ।

श्री म० ला० सोंधी : यदि यह घटना किसी सरकारी कालोनी में होती तो बहुत से लोग मरे होते और आप उसे शोक दिवस के रूप में मनाते । मामले को दबाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में यदि वे ऐसा करेंगे तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं बाहर चला जाऊंगा ।

श्री म० ला० सोंधी : मुझे आप अभी भी उचित विषय को उठाने की अनुमति नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो वह शान्ति से भी कह सकते हैं, इस प्रकार चिल्लाने से क्या होता है।

श्री रंगा (श्री काकुलन) : आप कृपया मंत्री महोदय से उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात करें।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : You please at least imform the minister that this Airport is in the midest of localities. It was constructed long ago when this place was out of Delhi. It should be shifted from this place now.

Mr. Speaker : You do not see towards me and go on speaking.

श्री हेम बरुआ : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न देकर मंत्री का वक्तव्य देना एक गलत प्रथा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं भी यह कहना चाहता हूं, यात्रियों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान होना चाहिए।

डा० कर्ण सिंह : श्री सोंधी के साथ-साथ मैं भी इस बारे में चिन्तित हूं क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूं। मैं सभा को तथा श्री सोंधी को बताना चाहता हूं कि मामले को दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। जांच समिति नियुक्त कर दी गई है और जो भी व्यक्ति इसमें बयान चाहे दे सकता है।

यह सही है कि ये डकोटा विमान पुराने थे पर वे उड़ाने लायक थे तथा इस बात का प्रमाण-पत्र इन विमानों के बारे में दिया गया था। परन्तु दुर्घटना किसी भी हवाई जहाज के साथ हो सकती है। प्रत्येक वायुयान की समय-समय पर जांचें की जाती हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डे के सम्बन्ध में बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। वहां बहुत यातायात रहता है। निजी लोग वहां पर वायु-निगम अधिनियम के अन्तर्गत अपने वायुयान उड़ाते हैं। वह बिल्कुल गैर-कानूनी नहीं है। फसलों पर छिड़काव करने वाले वायुयानों आदि को हम पालम से नहीं उड़ा सकते। पालम एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हम वी० टी० ओ० एल० और एस० टी० ओ० एल० विमानों की उड़ानों और उतरने की ओर विचार कर रहे हैं। अगले दस वर्षों में लम्बी-लम्बी उड़न पट्टियां बिल्कुल बेकार हो जायेंगी। हम सफदरजंग हवाई अड्डे के सम्बन्ध में इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं...... (व्यवधान)।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य

निधि अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

Shri Shiva Chandra Jha : May I know whether Government simply want to introduce this bill or they want to pass it. Whether the President's permission about this have been taken under Article 117(1). But the question is why the permission of the President for its introduction under Article 117(3) was not taken. This shows that Government simply want to introduce it. Why this permission was not taken. This is my objection.

Shri Bhagwat Jha Azad : Sir, we want to pass this bill as soon as possible. There is no difficulty in obtaining the permission of the President.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री भागवत झा आजाद : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक—(जारी)

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—Contd.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : देश में 50,000 संस्थाओं आदि से प्रमाणपत्र प्राप्त भारतीय भेषज चिकित्सक हैं पर ऐसे 1,40,000 पंजीकृत चिकित्सक भी हैं जिन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला है। अत: भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का एक बड़ा कार्य निम्नतम योग्यता निर्धारित करना, समान पाठ्य कार्य-क्रम निर्धारित करना तथा उन्हें अस्पताल आदि की सुविधाएं प्रदान करना तथा प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करना है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य-सभा ने यह विचार किया कि किसी संस्था में शिक्षा प्राप्त न करने वाले लोग चिकित्सा कार्यों को नहीं अपना सकेंगे, अत: केन्द्रीय परिषद में केवल उन्हीं लोगों को चुना जा सकेगा जिनके पास दूसरी-तीसरी अथवा चौथी अनुसूची में उल्लिखित चिकित्सा अर्हता होगी। इस बात पर विचार किया गया है कि अर्हता प्राप्त चिकित्सकों तक केन्द्रीय परिषद की सदस्यता को सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तो नहीं होगा। अत: सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि अनर्ह लोगों को परिषद की सदस्यता न देने से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य पाठ्यक्रम की कुशलता और अध्ययन कालावधि तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाली में व्यावहारिक प्रशिक्षण का परिरक्षण करना है। मैं समझता हूं कि तथापि इस वर्गीकरण से संविधानिक अथवा कानूनी आपत्ति नहीं उठेगी।

निकट भविष्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में सम-न्वय स्थापित करना बहुत ही उत्तम होगा तथा दोनों ही पद्धतियों का ज्ञान रखने वाले लोगों को

ही कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। अब जबकि आधुनिक विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति की है अब भारतीय चिकित्सा विज्ञान को प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। अतः राज्य सभा ने इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति की केद्रीय चिकित्सा परिषद् ऐसी व्यवस्था करे जिससे भारतीय चिकित्सा की शिक्षा के साथ उस सीमा तक आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाए जिस सीमा तक वह व्यवहार्य हो।

जिन चिकित्सकों के नाम राज्य-पत्रिका में दर्ज हैं उनके वर्तमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में राज्य-सभा ने यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया है। उन्होंने यह कहा है कि कुछ राज्यों में भारतीय और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित लोगों को औषध और अंगराग नियम, 1940 के अन्तर्गत चिकित्सा करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए चिकित्सकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए खण्ड 17 (3) (ख) में अब संशोधन किया जा रहा है।

मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 को राज्य सभा द्वारा पारित किए गये रूप में स्वीकृति देंगे, जिससे कि सरकार शीघ्र ही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् का गठन कर सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "भारतीय चिकित्सा की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

समय निर्धारित कर दिया गया, पर यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है और बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और वे अधिक समय चाहते हैं। समय को थोड़ा इधर-उधर किया जा सकता है। श्री शिव शर्मा इसके विशेषज्ञ हैं इस कारण उन्हें अधिक समय दिया गया है।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : First of All I want to congratulate the Govt. that they have introduced this Bill here after it has been approved by Rajya Sabha.

Mr. Speaker : Please continue after lunch.

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past fourteen of the clock.

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary in the Chair

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक—जारी

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—Contd.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं ...

Mr. Chairman : You should observe some rules. You cannot raise a matter at any time. This should not be the practice. You please sit down. I cannot permit you to speak like this.

श्री बे० कृ० दास चौधरी : × ×

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल न किया जाये। दो बजे के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : I would Submit that this Bill be passed without any amendment. If some amendments are made, then I think again it will have to be sent to Rajya Sabha and this is rather a long process and by this time General Election may come and in that case who knows when this Bill will be passed. Our Indian culture is famous for its sense of integration and tolerance. It assimilated new things from wherever it came. In the case of our Ayurveda also, we accepted all new developments in the field of medicines. We accepted the Yunany systems of medicine. Had Ayurveda enjoyed the royal patronage, it could have accepted the modern operation system also. But it is a matter of regret that our Government could not give patronage to this system of medicine, which originated in the soil of India. Therefore, it is imperative that the Government should give patronage to Ayurveda system of medicine.

The Ayurvedic system of treatment is in tune with the cultural outlook of India. In Ayurveda the body is given more importance and the duty to preserve the body comes first of all other duties in human life. The question comes up that what we should do to promote the Ayurveda. It cannot be developed unless more and more research is done in the field of Ayurvedic medicines and in the entire system of treatment. Had it not been treated with utter contempt in the past, I can surely say that Ayurveda could have out done the all other systems of medicine. This Bill, though belatedly, is a desirable step towards the development of Ayurveda. Therefore, I would request the House that it should be passed without amendments being made.

Shri Shiv Sharma (Vidisha) : About a quarter of a century is over, since we achieved independence. After long contemplation, this Bill has now been brought before the House. It is already passed by the Rajya Sabha. But at this stage, if we accept amendments, it will again go to Rajya Sabha and that will make further delay in getting it enforced, which is not desirable. Hence, I want that no amendments be accepted. Let it be passed as it is immediately.

In the past, Ayurveda had been neglected perpetually. In 1938, when the first Congress Ministry was formed in Bombay, Dr. Guilder has brought forward a Bill to promote the Ayurvedic studies. But the physicians had no hand in that Bill. In state Faculty of Ayurveda, Ayurvedic Research Tribunal and such other bodies which were supposed to develop Ayurveda, no physician was put on any important post.

The working committee of All India Medical Association in a resolution said, "Practitioners practising other than modern medicine should not be allowed to use the modern term 'physician'...which should be the sole privilege of practitioner of modern medicine." Further, the President of the All India Medical Association, in his address in the 36th Congress said, "Our Parliamentarians and Legislators are always harping on Ayurved and Homeopathy. I suggest that they should compulsorily be treated by Ayurvedic and Homoeopathic methods and no modern aid be allowed to them at Government expense." There are several resolutions and speeches like this which plead for the total destruction of Ayurveda Systems. I have no objection to their statements. But the fact that these people are appointed on high posts on important Ayurvedic Committees, is highly objectionable. This kind of strange treatment is meted out only to Ayurveda in the history.

× × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया।

The Ayurvedic students themselves are flouting it and demanding that they should be made M.B.B.S. when Shri Nandaji, once, asked the doctors as to what was the reason of the students' disregard for Ayurveda, they replied that Allopathy has by now assimilated all what was good in Ayurveda and it has now become virtually lifeless. The then Chairman of Indian Medical Council in one of his letters to the Government said that the Ayurvedic study should be stopped now, since it contains nothing. The opinion of the doctors was to convert the Ayurvedic colleges into Allopathic colleges.

In Orissa, two hundred graduates in Ayurveda demanded that they should be allowed to practice in Allopathy. The Government allowed them to appear for the condensed course and 198 out of them joined this course and their names are entered in the Medical Register. Money was spent for the study of Ayurveda and they are practising in Allopathy. This is the general attitude towards the Ayurvedic study. Shri Shantilal Shah, a protegonist of Ayurveda system said "They should be only in the Ayurvedic register. There should be no other register."

The Joint Select Committee could reach a unanimous conclusion because it consisted of only 37 members. But in the House, it is almost impossible. But we can very soon realise that the development of Ayurveda system is impossible with what we do now.

A first class graduate appeared for interview for the post of senior professor in Rasa Sastra. He did not know the name of any of the books on Rasa-Sastra. One should not nurse the feeling that I have no faith in modern science. But the problem is whether we can study only Allopathy during our life time. The question of integration of two systems i.e. Allopathy and Ayurveda, comes only when we have enough time to gain knowledge. I am of the view that we cannot gain knowledge in Ayurveda in less than five years. In the Joint Select Committee I had asked how is it possible to admit a man as specialist in Ayurveda, who has studied Ayurveda and so called Allopathy in three or four years.

Several eminent Allopathic doctors and patients of west come here for Ayurvedic treatment. I can show the concerned files to the Speaker or Chairman. I have already showed the file to the Health Minister.

Ayurveda has passed through several egonising periods. When Shri Jagjivan Ram was the Minister of Post and Telegraph, the employees of the Department submitted a mass petition to the Health Minister demanding re-imbursement of money spent on Ayurvedic treatment also. The Minister rejected it and again another application was sent to the Health Minister which carried the signature of Shri Jagjivan Ram. Later this was conceded. The report of Sampurnanand committee in this regard was an important one. It had given a dissenting note on this. This report came before Late Shri Nehru. He said that some committee might be appointed to give consideration to students in Unany and Ayurveda colleges and schools. He said this in his letter to Shri Nanda. Shri Nandaji showed me this letter and I went to meet Shri Nehru. I put before him a paragraph of the report of Sudh Ayurvedic Committee. After studying this he said that now there was no need of any reply from Shri Nanda. Later he delivered a speech in Ceylon, which is tape recorded and that tape is with me. In that I find his attitude marked a visible change.

Ayurveda is not of a stagnant nature. At the time of Charaka, Rasa Sastra was not evolved. At the time of Nagarjuna, about two thousand new medicines were added to this. This process is still going on. Thus, Ayurveda is always in the process of development and change. But the condensed course, which is a mixture of two half-sized courses, is undesirable. Whoever has evoked it is an offender. But it is our moral duty to protect these young men who have appeared for this course. The perpetuation of this evil system is a different issue.

At present, there is a demand that those who have treated the patients in the houses and prepared medicines out of various herbs in the forest shall be declared mere quacks and those who are not familiar with the books on Ayurveda shall be declared really qualified. We have to think seriously over this issue if we have to build up the future of the society of physicians. In the report of the Sampurnanand Committee, it was said that in the notifications inviting candidates for the post of teachers in the Ayurvedic colleges, no mention should be made about qualification. No where in history, we can find such example where in qualifications are considered unnecessary to be mentioned in the notification.

Finally, I would make one more submission. Twenty five years have passed since we became independent and now only we could bring forward a Bill to promote the Ayurveda. Now a council is going to be set up in advance for the integration of Ayurveda and Allopathy, which will be materialised only after 30 years. This is a very strange thing. We need not set up a council like this several years in advance. I would urge the Hon. Members not to press their amendments. since it will cause much delay in getting it passed finally. We can make changes, if necessary, later, but we should give proper chance to the physicians to build up their future.

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा प्रणाली—आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी को संरक्षण देना है ।

उक्त सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व इसी सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था । आयुर्वेदिक पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों से मिलाने से विभ्रम उत्पन्न हो जायेगा और इस बारे में हमें विधेयक पर चर्चा करते समय सोचना होगा ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली केवल इस कारण से बदनाम हुई है क्योंकि यह व्यवस्था करने वाले व्यक्ति इसकी पर्याप्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त न कर इसका व्यवसाय करना आरम्भ कर देते हैं । वे ऐसे संघों से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें सर्टिफिकेट देने की योग्यता ही नहीं है । इस बारे में ध्यान देना बहुत आवश्यक है ।

व्यवसायियों और रोगियों के हित की रक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है । विधेयक में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करें जिन्हें भारतीय प्रणाली की चिकित्सा का व्यवसाय करने के योग्य समझा जाना चाहिए ।

उक्त विधेयक लागू हो जाने पर केन्द्रीय परिषद् को एक केन्द्रीय रजिस्टर रखना होगा और उस पर न केवल राज्य सरकारों से प्राप्त रजिस्टरों में लिखे नाम लिखे जायेंगे, अपितु उन संस्थाओं द्वारा दिये गये नाम भी लिख दिये जायेंगे जिन्हें विभिन्न प्रकार की भारतीय चिकित्सा प्रणाली का व्यवसाय करने की डिग्री देने की योग्याएं प्राप्त हैं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ।

यह सर्वविदित है कि कविराज और वैद्यों द्वारा शताब्दियों पूर्व जिन दवाइयों तथा निदानों का व्यवसाय किया जाता था अथवा वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रणाली से उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए । अत: इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय परिषद् अनुसंधान ऐसे बहुत से रहस्यों का पता लगाये जिनका आधुनिक तरीके से पता नहीं लगाया जा सका है । यदि केन्द्रीय परिषद् इस बारे में उचित अनुसंधान करती है तो आशा की जा सकती है कि इसमें न केवल

भारतीय चिकित्सा पद्धति की ख्याति में वृद्धि होगी बल्कि इससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और कुछ रोग जैसे कैंसर के उपचार में सहायता मिलेगी।

मैं केन्द्रीय परिषद् की सफलता की कामना करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिए।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : I welcome the Indian Medical Central Council Bill. By introducing this Bill the Hon. Minister has done a great service to the Ayurvedic System of medicine. I request the House to pass this Bill as early as possible.

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : माननीय मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है। कम से कम राज्य-मन्त्री अथवा केबीनेट स्तर के मन्त्री को सभा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए।

श्री ब० सू० मूर्ति : श्रीमान्, मैं एक गिलास पानी पीने गया था।

Shri Deorao Patil : The condition of the health of the people in the country is going down. It appears that discrimination has been done with villages in this regard. People of the villages have been neglected from this point of view. Ayurvedic system has done a great service to the people of villages. It is said that the country has made a great progress in the Allopathic system. But inspite of this we have only one doctor for every five thousand poeple when the Mudliar Commission has recommended that there should be one doctor for every 3500 people.

We plead for socialism but today 80 percent of the doctor are residing and practicing in Urban areas and only 20 percent doctor are working in villages. Medical facilities are not available to the villagers. The money allotted for Ayurvedic system has been spent for Allopathy.

The students of Maharashtra Ayurvedic College are agitating that B.A.M. & S. degree should be made at par withe M.B.B.S. degree.

An Institute of Ayurvedic Medicine should be established during the Fourth Plan.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आयुर्वेदिक प्रणाली से हमारे गावों में सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं।

आयुर्वेदिक प्रणाली को सबसे पहले मद्रास सरकार ने मान्यता देने का प्रयास किया था। राजा पंगल ने सबसे पहले इस प्रणाली के लिए एक विशेष स्कूल और निदेशालय की स्थापना की थी। आयुर्वेदिक प्रणाली के पीछे वैज्ञानिक आधार है। इसके अतिरिक्त सरकार के लिए एलोपैथी के पर्याप्त डाक्टरों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। आयुर्वेद के बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। अब सरकार को आयुर्वेदिक तथा एलोपैथी प्रणाली को मिलाने की सलाह दी जा रही है। आज डाक्टर एलोपैथी तथा आयुर्वेद प्रणाली दोनों का मिश्रित व्यवसाय कर रहे हैं। उनको भी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

उक्त परिषद् को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि उक्त परिषद् की स्थापना की जा रही है। यह भी हर्ष की बात है कि सिद्ध, आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति

को विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित माना गया है और उन्हें उपयुक्त दर्जा दिया जा रहा है ।

इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि इन तीनों प्रणालियों का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अपने-अपने राज्यों में संरक्षण किया जाये जहां रजिस्टर नहीं रखे गये हैं यदि वे अपना व्यवसाय गत पांच वर्षों से कर रहे हैं--इस पांच वर्ष की अवधि के बारे में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हैं । जब कोई रजिस्टर ही नहीं रखा जायेगा तो इसका निर्णय केवल व्यक्ति के अपने मौखिक वक्तव्य पर ही किया जाना चाहिए कि वह गत पांच वर्षों से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है । हमें आशा है कि प्रत्येक राज्य में चिकित्सक उक्त रजिस्टर यथाशीघ्र रखना आरम्भ कर देंगे ।

अंग्रेजों के शासनकाल में हम आयुर्वेदिक, यूनानी आदि चिकित्सा में विश्वास रखते थे । अब भी हम उक्त चिकित्सा का उपयोग करना चाहते हैं । इन पद्धतियों को आवश्यक दर्जा और मान्यता दी जानी चाहिए । परिषद् को उन व्यक्तियों को भी मान्यता देनी चाहिए जिन्होंने मद्रास, महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है । यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में अधिनियम में कुछ संशोधन किये जाने चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I do not believe in integrated Ayurvedic Course. But it does not mean that we should not adopt the latest inventions. We should not shut our eyes towards new researches and injections.

I am thankful to the Gouernment for bringing this Bill. Britishers did not pay any attention towards Ayurvedic system of medicine. The Government is responsible for neglecting Ayurvedic system. There are so many good Vaidyas in the country. But some people are doing this profession without any knowledge of this profession. As a result people are losing faith in this system. But I am of the view that it is more scientifically based than any other system. The Government should allot nore funds for the development of this systems. It should allot the same fund for Ayurvedic system as for Allopathy system. Cheap medicines are only available in Ayurveda and Homoeopathy and not in Allopathy. Government should give encouragement to Ayurvedic system.

I am in favour of registration of names of all the physician.

An institution should be established for this system and person should be given four to five years training in that institution. I is very strange that the Government have neglected that institution which has been accepted by Delhi Administration.

Some good things should be taken in Ayurvedic from other systems also. The Ayurvedic system is far behind in surgery. Vaidyas should have elementary knowledge of surgery. The Government should have made neccessary arrangement in this regard.

The persons who have passed the integrated course should be given protection. The Government should appoint a 4th Committee for them. Government should look into the problems of those 35,000 persons who have passed the integrated course of medicines.

I hope that Government will allot move funds for making researches in Ayurvedic system.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी है और सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए एक केन्द्रीय निकाय स्थापित करने पर निर्णय नहीं ले सकी है ।

यह कहना उचित नहीं है कि आयुर्वेदिक प्रणाली पुरानी हो चुकी है अतः इसका विकास नहीं हो सकता । इस क्षेत्र में अभी भी बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और मैं समझता हूं कि इस बारे में उचित प्रगति न किये जाने के लिए सरकार दोषी है । केरल में हाल ही में हुए वार्षिक सम्मेलन में यह शिकायत की गई थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और उसके साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है । आज भी आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा करोड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं । लेकिन यह दुःख की बात है कि इस सम्बन्ध में अनुसंधान नहीं किये जा रहे हैं और बहुत कीमती जड़ी-बूटियों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है और हमारी वन सम्पदा की रक्षा नहीं की जा रही है । इस सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का अनुसंधान द्वारा विकास किया जाना चाहिए । यदि सरकार उक्त परिषद् को स्थापित करती है तो चिकित्सा शिक्षा के बारे में अनेक कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है ।

मिश्रित पाठ्यक्रम की शिक्षा पाने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को कोई हल ढूंढना चाहिए । यह बहुत गम्भीर समस्या है । सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ।

चौथी पंच वर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए बहुत कम धन-राशि निर्धारित की गई है । उन राज्यों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए जिनमें पहले भारतीय चिकित्सा प्रणाली, विशेषकर आयुर्वेदिक प्राणाली काफी लोकप्रिय थी ।

उक्त चिकित्सा परिषद् में कुछ विख्यात अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे भारतीय चिकित्सा पद्धति का भविष्य उज्ज्वल हो सके । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक परिषद् की स्थापना की जायेगी ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : सभापति महोदय, जिन छात्रों ने मिश्रित चिकित्सा-प्रणाली (इन्टिग्रेटिड सिस्टम आफ मेडिसिन) में अर्हता प्राप्त की है उनकी समस्या पर अधिक बल दिया जा रहा है । ऐसे छात्रों को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कर दिया जाये ताकि उनका स्तर कुछ ऊंचा उठ सके । किन्तु मेरे विचार से मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के पक्षपातियों का ध्यान आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ओर ही अधिक है । ऐसी परिषद् पहली बार अस्तित्व में आ रही है अतः उसमें वे सब लोग भी सम्मिलित किये जायें जिन्होंने किसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है किन्तु जिन्होंने अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और चिकित्सा कर रहे हैं । प्रस्तावित परिषद् के चुनाव में उन सभी छात्रों को सम्मिलित किया जा रहा है जो मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित हैं । इस प्रकार इनका ही बहुमत परिषद् में हो जायेगा और उनकी ही बात मानी जायेगी ।

इसके साथ ही ये छात्र चाहते हैं कि उन्हें विशिष्ट मान्यता प्रदान की जाये । किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के बारे में क्या उन्होंने कोई पुस्तक लिखी है अथवा प्रकाशित कराई है ? क्या ये लोग ज्ञान की दृष्टि से उन लोगों की बराबरी कर सकते हैं जो पुरातन आयुर्वेदिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं ? जब ये लोग उनके साथ बराबरी नहीं कर सकते तो ये

अपनी बात उनसे ऊपर क्यों रखना चाहते हैं ? ऐसे छात्रों की यह मांग गलत है कि उन्हें आयुर्वेदिक पद्धति से पृथक् एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत मान्यता दी जाये। इस समय मिश्रित चिकित्सा प्रणाली को आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत ही मान्यता दी गई है । यह न्यायोचित है। यदि मिश्रित प्रणाली को एक पृथक् प्रणाली के रूप में मान्यता दे दी गई तो आयुर्वेदिक, यूनानी तथा सिद्ध पद्धतियों के लिए यह ठीक नहीं होगा । यदि मिश्रित प्रणाली को इतनी महत्ता देना ही उद्देश्य है तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि भारत के राष्ट्रपति केरल में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं । दूसरी शुभ बात यह है कि अब सरकार और भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशक आदि सभी पुरातन चिकित्सा पद्धति को पुन: ऊपर उठाने के लिए सहायता करने के हेतु तैयार हैं । जबकि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गत 23 वर्षों में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । फिर भी भारत में 3 लाख से अधिक वैद्य हैं । न केवल भारत में बल्कि मलयेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इन्डोनेशिया, बैंकाक, मंगोलिया और कोरिया में भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। बर्मा में आठ आयुर्वेदिक कालिज और 40,000 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली उपेक्षा के बावजूद भी जीवित है, मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं ।

प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक चिकित्सा पद्धति हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति से अच्छी है ? प्राय: यह शिकायत की जाती है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से किये गये उपचार से औषधजन्य अन्य रोग पैदा हो जाते हैं जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में आज तक ऐसी शिकायत कभी भी नहीं की गई है । आयुर्वेदिक चिकित्सा अन्य नये रोगों को जन्म नहीं देती । इस दृष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा से कहीं अधिक उत्तम है । स्विटज़रलैंड की डा० लिचिक नामक महिला का जो भारत आई थी, भी यही अनुभव है। उसने कहा है कि जो रोग आधुनिक चिकित्सा से अच्छे नहीं किये जा सके, उनका उपचार आयुर्वेदिक चिकित्सा से सफलतापूर्वक कर दिया गया है । हमारी पुरातन चिकित्सा प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शरीर के अन्दर होने वाले परिवर्तनों का ठीक प्रकार से पता लगाया जा सकता है । यह परिवर्तन शरीर के अन्दर होते रहते हैं । आयुर्वेद की इस संकल्पना को आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी अपनाने का प्रयास कर रही है।

मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरे विश्व में हमारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्राप्त हो जायेगी। अत: इस पद्धति को उसका उचित स्थान और महत्त्व दिया जाना चाहिए । जो लोग आयुर्वेदिक पद्धति को नष्ट करके मिश्रित पद्धति का पक्ष लेते हैं उन्हें एम. बी. बी. एस. में चले जाना चाहिए । मैं मिश्रित पद्धति का तो विरोध नहीं करता किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि इसे आयुर्वेदिक पद्धति से अलग रूप में मान्यता दी जाये । वह आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत ही रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Chairman Sir. I welcome this Bill. This is the first time in post independance that such a Bill is being brought before the House. But I regret to say that for the development of acient Indian system of medicine so much was not done, as was needed for it.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए।
Shri Vasudevan Nair in the Chair.]

The people who introduced the integrated system of medicine are being criticised on the charge that they are supporters of Allopathy system of Medicine. I am not prepared to join such critics. In my opinion the objective of evolving suco an integrated system of medicine was that Ayurvedic system should take advantage of the modern techniques, appliances —the result of scintific advancement—being used in modern system of medicine. I want that Ayurvedic practitioners should adopt the modern equipments and techniques in their system to become modern. It will enrich their system. If it is not done, our ancient system of medicine will not develop. In this way the defects of our old system based on Kafa-Pitta-Vata will be removed. If we take what is good in modern system of medicine, it does not mean that our old system will be destroyed.

I want that the representation in the council should be given to the students trained in integrated system of medicines, so that the council may know their standpoint. I also suggest that a committee should be appointed for those trained in the integrated system similar to three committees already appointed by you so that these people can compete with the doctors while practising in integrated system.

***श्री कमलनाथन्** (कृष्णगिरी) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद ऐसा विधेयक लाया गया है जिसमें एक ऐसी केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की व्यवस्था है जो भारत में प्रचलित आयुर्वेदिक, यूनानी तथा सिद्ध तीनों पद्धतियों के एकीकृत विकास का कार्य करेगी। इस विधेयक का सभा के सभी पक्षों ने स्वागत किया है और मैं भी इसका स्वागत करता हूं।

कुछ सदस्य इस बात पर तुले हुए हैं कि यह विधेयक बिना किसी संशोधन के पास हो जाये। किन्तु हमें विचार इस बात पर करना है कि क्या यह विधेयक पारित होने पर हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। जो सदस्य आयुर्वेदिक पद्धति को ही सर्वोत्तम मानते हैं, वे अन्य पद्धतियों से उसकी तुलना करते हैं और अन्य पद्धतियों को हीन ठहराते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में ऐसे अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जायें जिसमें भारत में विद्यमान सभी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अनुसंधान किया जाय और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को विकास का अवसर प्राप्त हो। चिकित्सा की सभी पद्धतियां अच्छी हैं और सभी का विकास होना चाहिए। जो नई औषधियां भारतीय चिकित्सा पद्धति में तैयार की जाती हैं उनका उचित प्रचार किया जाना चाहिए। दूसरे ऐसी औसधियों के नुस्खें उसको तैयार करने वालों से लिखित रूप में लेना चाहिएं ताकि वे उनके निर्माताओं के निधन के साथ ही समाप्त न हो जायें।

तमिल में सिद्ध चिकित्सा पद्धति प्रचलित है उसके विकास पर भी यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए। गुजरात विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सिद्ध पद्धति के अनुसंधान केन्द्र के लिए नियत राशि को आयुर्वेद पद्धति के अनुसंधान केन्द्र पर खर्च किया जाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। और इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही सरकार को मद्रास में बनाई जाने वाली 'अरिस्था' जैसी औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यह औषधि नशा करने के लिए खाई जाती है।

*तामल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित परिषद् जाली संस्था न बन जाये, बल्कि वह ठीक से कार्य करे। आजकल बहुत से लोग जाली प्रमाण-पत्र लेकर चिकित्सक का पेशा करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति और जाली प्रमाण-पत्र देने वाली संस्थाओं को समाप्त किया जाना चाहिए इस बात का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि कितने चिकित्सक अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित हैं। केवल पंजाब राज्य में ही पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक अधिनियम के अन्तर्गत कुल 21457 लोगों के नाम दर्ज किये गये हैं जिनमें से केवल 1855 के पास अनिवार्य अर्हताएं पाई गई हैं।

जिन 30,000 लोगों ने मिश्रित पद्धति में शिक्षा प्राप्त की है, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय परिषद् की स्थापना से पूर्व जाली प्रमाण-पत्र देने वाली संस्थाओं और ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर बने वैद्यों और हकीमों को समाप्त किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : Sir, I support this Bill. But I want to suggest that those people, who have qualified in integrated system of medicines, should be given 50 per-cent representation in this council. If it is not possible, a separate council should be set up for them. There are about one and a half lakh Ayurvedic practitioners in the country who have no certificates of any institution, but they are practising on the basis of their knowledge and experience, they acquired at their homes or otherwise. They should also get represention on this council.

In this age of scientific advancement it is neither advisable nor possible to keep Ayurvedic system seperate from allopathic system. If we want to develop our ancient system of medicines, we have to adopt something from Allopathic as well as Unany systems. We should adopt scientific methods and instruments in order to make our system uptodate. Moreover, there is no harm if a student of Allopathy learns something of Ayurvedic and Unany systems and a student of Ayurvedic system or Unany System learns elementary knowledge of allopathy. I want to make an appeal in this regard that those, who got education in integrated system of medicines, should also be given importance. After all they have more knowledge than ordinary Ayurvedic practitioners.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : यद्यपि प्रस्तुत विधेयक में कुछ दोष हैं, फिर भी मैं उसका समर्थन करता हूं। यह ठीक है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से हमारे देश में करोड़ों रोगी ठीक हो गये हैं, और प्रचलित चिकित्सा पद्धति के स्थान पर नई पद्धति को लाना भी आसान नहीं होता है। परन्तु प्रश्न यह है कि जो पद्धति तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में विकसित हुई थी क्या वह उसी रूप में आज के परिवर्तित वातावरण में भी उतनी ही सफल होगी ? इस प्रश्न पर हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए।

आयुर्वेदिक पद्धति में जो गुण हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं साथ ही, आज के युग में उसमें जो कमी है उसे मानने में भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए। रोगों के निदान और जांच करने में एलोपैथी निसंदेह रूप से अच्छी है और आयुर्वेद से आगे बढ़ी हुई है। अत: उसके निदान और जांच के तरीके आयुर्वेदिक पद्धति में क्यों न अपना लिए जायें ? एक्स-रे और टीके आदि का प्रयोग अपना लिया जाना चाहिए। साथ ही इस बात की आवश्यकता भी है कि आयुर्वेद में और अधिक अनुसंधान किया जाये। यह बड़े दु:ख की बात है कि शंकर के पश्चात् आयुर्वेद पर किसी ने लेख अथवा पुस्तक नहीं लिखे। आयुर्वेदिक औषधियों के सम्ब्रन्ध में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

लखनऊ में एक ऐसी अनुसंधान शाला है। केरल में त्रिपेल में भी एक ऐसा केन्द्र है। लखनऊ स्थित केन्द्र में संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। पश्चिमी विद्वान सर्पगंधा की खोज में लगे हैं जब कि भारतीयों को पता ही नहीं है कि वह कहां पाई जाती है। आयुर्वेद में एक ही औषधि के विभिन्न नाम हैं। उनमें एकरूपता होनी चाहिए।

मिश्रित चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास में अवरोध नहीं बनना चाहिए। साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि इन लोगों के लिए एक पृथक् परिषद् बननी चाहिए और मिश्रित चिकित्सा पद्धति को अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति एक पृथक् चिकित्सा पद्धति माना जाना चाहिए।

श्री मंगलाथुमाडम (मावेलिक्करा) : भारतीय चिकित्सा में शिक्षा तथा व्यवसाय को नियमित बनाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस प्रकार के अधिनियम की बहुत समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने हमारे दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आयुर्वेदिक पद्धति के पंचकर्मा उपचार से अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति भी इस समय आयुर्वेदिक उपचार करा रहे हैं। यदि इस पंचकर्मा पद्धति का उचित प्रचार किया जाता तो हम सबसे विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते थे। सरकार को पंचकर्मा चिकित्सा के सभी राज्यों की राजधानियों में केन्द्र खोलने चाहिएं। इस समय भारतीय चिकित्सा के व्यवसायियों के सामने भी बेरोजगारी की समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कार्य आरम्भ करना चाहिए। इस प्रकार सरकार ग्रामीण लोगों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करा सकती है, इससे भारतीय चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने में भी सहायता मिलेगी। मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि सरकार इस बारे में शीघ्र नियम बनायेगी तथा उनको क्रियान्वित करेगी।

Shri Nar Deo Snatak (Hathras) : Rajya Sabha has passed this Bill as recommended by the joint committee of both the Houses of Parliament. The Importance of this Bill can be gauged from the fact that all the parties have lent their support to it. This system of medicine is most suited to the people of India who are poor. It is the oldest system of medicines in India. I congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill although it should have been brought many years before. I hope that the Government will be something to help this system. The Government should also do something for those doctors and Vaids who are practising both Ayurvedic and Allopathy systems of medicine. These persons should also be represented in this Board. Ayurvedic system lost its ground because the pure herbs are not available in the market and adultrated drugs do more harm than good to the patients. The Government should look into this matter also.

Some Vaids and Kavirajs write, their degrees after their name in a way as the doctors write the degree of M.B.B.S. I would request them to indicate their degrees in such a way so that they should look like Vaids and Kavirajs. It will benefit both the systems and the persons concerned. These people should open their dispensaries in the villages also. I would request the Government to get this Bill through during this session. More allocation should be made for this system during the Fourth Five Year Plan. I congratulate the Hon. Minister for bringing this Bill.

*श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : यह एक बहुत अच्छा तथा महत्त्वपूर्ण विधेयक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है। इसका उल्लेख ऋगवेद में भी मिलता है। ब्रिटिश शासन काल में यह पद्धति पीछे पड़ गई थी। जिस प्रकार संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर एक भाषा बनाना असम्भव है उसी प्रकार आयुर्वेदिक पद्धति तथा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का मिश्रण करना भी असम्भव है।

इन दोनों पद्धतियों के एकीकरण का कार्य मिलेजुले मद्रास-राज्य में आरम्भ हुआ था। यह कार्य प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। उनके उत्साह के बावजूद उनके विचारों को क्रियान्वित नहीं किया गया था और इसके बजाय भारतीय चिकित्सा के एक स्कूल की नींव डाल दी गई थी। डा० मेलेकोटे ने भी यही कहा था कि एलोपैथी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एकीकरण सम्भव नहीं है। दोनों का एकीकरण इस प्रकार का होगा जैसा कि किसी पुरुष को साड़ी बांध दी जाये।

जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया, ऐसे हजारों लोग हैं जो दोनों पद्धतियों में व्यवसाय करते हैं। परन्तु मेरे विचार से वे न तो डाक्टर ही होते हैं और न ही वैद्य, ऐसी शंका प्रकट की गई है कि इस विधेयक से ऐसे लोगों को हानि पहुंचेगी। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। इस विधेयक में उनको पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। उन सबको पंजीकृत किया जायेगा। इससे उन लोगों को लाभ ही होगा जैसाकि खण्ड स से स्पष्ट है। एकीकृत चिकित्सा के स्कूलों अथवा कालेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को इस विधेयक में मान्यता दी गई है।

मैं समझता हूं कि विशेष समिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इस एकीकृत चिकित्सा प्रणाली की रक्षा के लिए कोई उप-समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। हमें इस पद्धति की प्रगति तथा विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। अनेक लोगों का कहना है कि आयुर्वेदिक पद्धति में पर्याप्त अनुसंधान नहीं किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा करना सम्भव नहीं था क्योंकि इसके लिए सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं। अब इस पद्धति की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसे आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

मुझे याद है कि हैदराबाद में आयुर्वेदिक पद्धति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच करने पर पता लगा कि वह विशेष अधिकारी डिप्टी कलक्टर है। परन्तु मुझे आशा है कि इस परिषद के बन जाने से इन त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा।

अब इसमें अनुसंधान का भी नियमित कार्यक्रम होगा क्योंकि इसके विकास की गुंजायश है। इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। एलोपैथी की तुलना में भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए कम से कम पचास प्रतिशत अनुदान अवश्य दिया जाना चाहिए। विधेयक के पारित होने के पश्चात् यदि सरकार ने बाद की कार्यवाही नहीं की तो उसे इस बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होंगी कि इस

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

चिकित्सा पद्धति का विकास नहीं हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में 'हर्बेरिये' स्थापित करने चाहिएं। अनुसंधान तथा अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

डा० सुशीला नैयर (झांसी): मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं तथा स्वयं को उन सदस्यों की सूची में सम्मिलित करती हूं जिन्होंने इसको शीघ्र पारित कराने के बारे में उत्सुकता प्रकट की है। मुझे आशा है कि इसको न केवल शीघ्र पारित ही किया जायेगा बल्कि इस पर शीघ्र कार्यवाही भी की जायेगी ताकि लोगों के जीवन तथा मृत्यु से खेलने वाले लोगों के प्रशिक्षण को अविलम्ब नियमित बनाया जा सके।

मैं श्री मेलकोटे के इस कथन का समर्थन करती हूं कि एकीकृत पद्धति में अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। एकीकृत चिकित्सा में स्कूलों एवं कालेजों के अधिकांश स्नातक डाक्टर बनना ही पसन्द करते हैं और वे एलोपैथी में ही व्यवसाय करते हैं। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए शुद्ध आयुर्वेद प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु एक समिति बनाई गई थी। गुजरात के श्री मोहनलाल की अध्यक्षता वाली समिति ने सराहनीय कार्य किया था। मुझे आशा है कि सांविधिक परिषद इस समिति से अधिक अच्छा कार्य करेगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि एकीकृत चिकित्सा के स्कूलों तथा कालेजों के स्नातकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए एक अन्य समिति स्थापित की जा सकती है। मैं तो मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह प्राकृतिक उपचार के लिए भी एक समिति बनायें। मेरा तात्पर्य एकीकृत पद्धति के लिए पृथक् परिषद बनाने का नहीं है। मैं यह भी नहीं कहती कि इनके लिए परिषद में पचास प्रतिशत अथवा अस्सी प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाय। परन्तु जब तक ये संस्थाएं हैं, ये लोग हैं तब तक उनके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। मेरे विचार में इस संशोधन को आपत्तिजनक नहीं समझा जाना चाहिए। इसको यहां पर पास किया जा सकता है और सप्ताह के अन्त में इसको राज्य-सभा में भी पास किया जा सकता है। यह एक मामूली बात है और इससे लगभग 50,000 व्यक्तियों को लाभ होगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे अनेक प्रसिद्ध लोग इस व्यवसाय में हैं जिन्होंने किसी स्टैण्डर्ड प्रशिक्षण स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की है। परन्तु अब समय आ गया है जबकि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए और मेरे विचार में परिषद की स्थापना ठीक दशाओं में एक कदम है।

मैं अनेक माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि आधुनिक वैज्ञानिक घटनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अत: आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इन वैज्ञानिक घटनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। हमें इनका लाभ उठाकर इस आयुर्वेदिक पद्धति को और समृद्ध बनाना चाहिए। मुझे आशा है कि हम जो नया कदम उठा रहे हैं उससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

राजकुमारी अमृतकौर तथा उनके पश्चात् डा० करमरकर ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया था। डा० करमरकर ने आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए एक

परिषद भी स्थापित की थी। एकीकृत चिकित्सा पद्धति के लिए एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया था। 1962 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बनी तो कुछ माननीय मित्रों ने यह बताया था कि एकीकृत पद्धति सफल नहीं हुई है। अतः शुद्ध आयुर्वेद के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया और आज यह विधेयक हमारे समक्ष है। मुझे आशा है कि शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विद्यार्थी आधुनिक उपकरणों अर्थात् एक्स-रे, माइक्रोस्कोप आदि का प्रयोग करेंगे और इनसे लाभ उठायेंगे। अन्ततः प्रशासनिक स्तर पर हमें एकीकृत पद्धति को ही अपनाना होगा ऐसा मैं समझती हूं।

संसद कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : इस विधेयक के बारे में कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर विचार करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। अतः इसको किसी अन्य तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर वाद-विवाद को अन्य तिथि के लिए स्थगित किया जाता है, सरकार कार्य-मंत्रणा, समिति की सलाह से तिथि को निर्धारित करेगी।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It has been stated that the Government wants to consider the amendments and so they are postponing it. I think there is no need to postpone it on this basis. You want to put amendments yourself so that you may earn credits.

सभापति महोदय : स्थिति स्पष्ट है। समय नष्ट नहीं करना चाहिए।

कार्य-मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

54वां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कलकत्ता की गन्दी बस्तियों का सुधार करने के लिए समय बद्धयोजनाएं*

TIME BOUND SCHEMES FOR IMPROVEMENT OF CALCUTTA SLUMS**

श्री समर गुह (कन्टाई) : ब्रिटेन के भूतपूर्व कवि श्री किपलिंग ने कलकत्ता को विश्व की हैजा प्रधान राजधानी कहा है। वृहत् कलकत्ता के 80 लाख व्यक्तियों के लिए 1,40,000 शौचालय

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half an hour disclussion.

हैं, गन्दी बस्तियों में रहने वाले 12 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए कोई शौचालय नहीं है। चार प्रतिशत अहातों में 100 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय है तथा एक प्रतिशत में 60 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय है। वृहत् कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में 1,26,000 कच्चे शौचालय हैं। गन्दी बस्तियों में ये शौचालय हैजा, क्षय-रोग आदि पैदा करने के कारण बनते हैं।

हाल ही में ब्रिटिश तथा अमरीकी नगरीय विशेषज्ञ दल ने वृहत् कलकत्ता की गन्दी बस्तियों का दौरा करके कहा था कि हमने विश्व के किसी अन्य शहर में ऐसा दृश्य नहीं देखा है। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने कहा है कि वृहत कलकत्ता स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कलकत्ता विश्व की गन्दी बस्तियों की महानगरी है। वृहत् कलकत्ता में पहले 3,000 गन्दी बस्तियां थीं जो अब विभाजन के पश्चात् 500 और बढ़ गईं। विभाजन से पूर्व गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 लाख थी जो कि विभाजन पश्चात् बढ़कर 35 लाख हो गई।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि केवल पश्चिमी बंगाल में 45 लाख शरणार्थी आये हैं तथा वृहत् कलकत्ता में 55 प्रतिशत जनसंख्या शरणार्थियों की है। इन शरणार्थियों में सभी वर्ग के लोग हैं, इनमें से लगभग 20 प्रतिशत शरणार्थियों ने गन्दी बस्तियों में शरण ली है। इस प्रकार वृहत् कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की जनसंख्या बढ़कर 35 लाख हो गई है।

भारत सरकार ने गत 20 वर्षों में इस बात का विश्लेषण करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है कि गन्दी बस्तियों में एक बुद्धिवादी वर्ग के जमाव से क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे? इन शरणार्थियों में राष्ट्रीयता तथा देश को स्वतन्त्र कराने की पीड़ा, त्याग आदि भाव निहित हैं। इनमें सौन्दर्य, सांस्कृतिक रुचि तथा उच्च आदर्श के प्रति जागरूकता है और इस प्रकार के व्यक्तियों को जानवरों के समान गन्दी बस्तियों में रहना पड़ रहा है। इनमें से 50 प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं तथा औसतन प्रत्येक कमरे में चार व्यक्ति रहते हैं।

यदि आप वृहत् कलकत्ता में गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से समझने तथा इनके सामाजिक-आर्थिक कारणों की वैज्ञानिक परीक्षण करने की क्षमता रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन परिष्कृत रुचि वाले तथा संवेदनशील व्यक्तियों के लिए गन्दी बस्तियों में अमानवीय स्थिति में रहना कितना कठिन है। एक ओर अति परिष्कृत रुचि वाले व्यक्तियों की आशाओं तथा आकांक्षाओं तथा दूसरी ओर जीने की असहनीय स्थिति को देखते हुए कलकत्ता हिंसा, दंगा-फसाद, आतंक का स्थल बन गया है। यदि आपने कलकत्ता के इन बुद्धिवादी वर्ग की भावनाओं को समझने का प्रयत्न न किया तो इस स्थिति में कलकत्ता एक दिन समूचे भारत को हिला देगा और लोकतन्त्र के ढांचे को समाप्त कर देगा।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई घर नहीं है, 18,000 भिखारी वहां रहते हैं और लगभग 50,000 फेरीवाले वहां केवल रात बिताने के लिए आते हैं। 70 प्रतिशत बस्तियां कच्चे मकानों तथा झोपड़ियों की बनी हुई हैं तथा 30 प्रतिशत बस्तियों में बिजली की बहुत कम सप्लाई है। इन झोपड़ियों में रोशनदार नहीं हैं। बरसात के दिनों में 70 प्रतिशत गन्दी बस्तियों में पानी भरा रहता है।

गन्दी बस्तियों के कमरों का औसत आकार 110 वर्ग फीट है जहां पांच व्यक्ति रहते हैं तथा

इसका उपयोग खाना बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए करते हैं। कलकत्ता की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग एक कमरे वाले मकान में रहता है तथा औसतन उसमें चार व्यक्ति रहते हैं। गन्दी बस्तियों में 50 व्यक्तियों के लिए एक नल है तथा कई स्थानों पर 150 व्यक्तियों के लिए एन नल है। पानी की सप्लाई भी पहले की अपेक्षा कम हो गई है। इन गन्दी बस्तियों में सफाई का प्रबन्ध तथा शौचालय आदि नहीं हैं और न वहां नालियां, सड़कें तथा बिजली का प्रबन्ध है, आज के सभ्य जीवन में यह कलंक है।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले 35 लाख व्यक्तियों की सुधार की समस्याएं (एक) सामाजिक ढांचा, (दो) सामाजिक-सांस्कृतिक तथा (तीन) आर्थिक पुनर्वास है। परन्तु कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकार केवल एक ही समस्या को सुलझा रहा है। वह केवल पक्के शौचालय, पानी की न्यूनतम सप्लाई, नालियां, मार्ग आदि की ओर ही ध्यान दे रहा है, जब तक सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक ये गन्दी बस्तियां शारीरिक तथा मानसिक बीमारियां पैदा करने का कारण बनती रहेंगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय अध्ययन दल सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता की गन्दी बस्तियां अपराध, जुआ, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति तथा राजनीतिक हिंसा आदि का कारण बनती रहती हैं। 60 प्रतिशत बच्चों के लिए कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है तथा इस प्रकार पचासी प्रतिशत बच्चों के लिए माध्यमिक स्कूल नहीं हैं। उनके लिए खेलों के मैदान तथा मनोरंजन के लिए क्लब आदि का अभाव है।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकारी योजना में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। गन्दी बस्तियों में प्रति हजार व्यक्तियों के मनोरंजन हेतु केवल 0.2 एकड़ स्थान है जो कि बम्बई, मद्रास आदि शहरों की तुलना में बहुत कम है, थोड़ी सी वर्षा से वहां पानी का जमाव हो जाता है। मनोरंजन आदि स्थानों के अभाव के कारण उनका दिमाग शैतान का घर बना रहता है जिसका परिणाम आज कलकत्ता में देखा जा सकता है।

एक अन्य समस्या भी है। बिना आर्थिक पुनर्वास के आप वहां कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं, यदि आप गंदी बस्तियों में रहने वाले 35 लाख व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं ता उनके लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

कलकत्ता में बेरोजगारी की स्थिति अत्यन्त भयावह है, वहां 6.6 प्रतिशत व्यक्ति 50 रुपये प्रति महीने तथा 50 प्रतिशत व्यक्ति 51 रुपये से 100 रुपये प्रति महीने कमाते हैं, 18 प्रतिशत व्यक्ति 101 रुपये से 150 रुपये प्रति महीने तथा 16 प्रतिशत व्यक्ति 150 रुपये से अधिक कमाते हैं। उन सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के 5 से 10 सदस्यों का भरण-पोषण करना पड़ता है, योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार तीसरी योजना के अंत में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 15 लाख हो जाएगी तथा चौथी योजना के बाद यह 30 लाख तक बढ़ जायेगी जिसमें केवल गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 लाख होगी।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कलकत्ता की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय साधनों से सहायता क्यों नहीं ले रही। बहुत से व्यक्तियों ने कहा है कि कलकत्ता की समस्या राष्ट्रीय है। योजना आयोग तथा वित्त आयोग कलकत्ता के विकास तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष फार्मूला क्यों नहीं अपनाते हैं? पी० एल० 480 निधि का उपयोग

कलकत्ता की गंदी बस्तियों को सुधारने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। यूनेस्को ने युद्ध-शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए करोड़ों रुपये दिये हैं। यह सरकार उस संस्था से सहायता क्यों नहीं मांगती है? यदि आप पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति दे सकते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्यों नहीं दे सकते हैं?

वृहत् कलकत्ता में हमारे देश के महत्त्वपूर्ण उद्योग हैं, वहां कोयला, इस्पात लोहा, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, रेल के डिब्बे, पटसन उत्पाद, कपड़े, रसायन, कागज आदि बनते हैं, यह उत्तरी भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र हैं, भारत में बैंकिंग के कुल काम का 30 प्रतिशत कलकत्ता में होता है। कलकत्ता के बैंकों में विदेशी बैंक में जमा का सैंतीस प्रतिशत भाग है, कलकत्ता में 9100 संयुक्त संघ समवाद हैं जिसमें 634.2 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी लगी हुई है, इस प्रकार कलकत्ता कई महत्त्वपूर्ण कार्यों का केन्द्र है।

क्या मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता होगी कि यदि गंदी बस्तियों की समस्याओं के कारण कलकत्ता का विकास नहीं हुआ तो इसका प्रभाव शेष भारत पर पड़ेगा। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वह गंदी बस्तियों की समस्याओं को युद्ध स्तर पर सुलझाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Calcutta is not only a city belonging to Bengal but it is a All India City. Its problems bear a national character. But the Government is not giving any consideration towards it. The economists have calculated that Rs. 10 crores will be required for the improvement of slums in Calcutta but perhaps the Government have earmarked only Rs. 1 crore for it. If it is true that what are the reasons of earmarking such a meagre amount ?

Housing and food are two main problems of Calucutta. As many persons have no family therefore you can make arrangement of common Houses for them. If it is not possible then the Government can acquire big houses from landlords and give them so that the housing problem may be solved. For solving food problem will you make arrangement of squire meals in every localities on the line of Bombay so that they may get cheap and clean meals ? I want to know how far the Government will take help from P. L. 480 Fund and World Bank ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Calcutta is a dirty as well as a big city of India. No civic amenities are there. This Congress, who ruled there for twenty years, and the United Front Government are responsible for this state of affairs. No Goveruments of West Bengal gave heed towards Calcutta City. Calcutta is a part of India and the founder af Bhartiya Jan Sangh Dr. Shyama Prashad Mukerjee lived in Culcutta. Therefore we have sentimental approach towards Calcutta. When Macnemara came in India, he described Calcutta as a dirty city. If the Government do not set the things right, Calcutta will be converted into a village having no civic amenities.

Firstly I want to ask this that will the Government frame a phased programme to rehabilitate slum dwellers within five years so that this ugly situation may be ended ? Secondly, will the Government provide more funds for the development and sanitation of Calcutta City ? Thirdly, there are also Socio-economic problems of slum dwellers. If you evict them, then their economic condition will be deteriorated. So will the Government provide civic amenities to them at their own places ?

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : The Hon. Minister is presenting a Slum clearance Bill in the West Bengal Consultative Committee. But it will not solve the basic problem.

The Hon. Minisiter had stated in the last session that a revolving fund is being formed for the improvement of these slums. I want to know the position thereof. What is the progress of Housing and Urban Development Finance Corporation which was registered on 25th April, 1970 ? Thirdly, I want to ask will the Government reconsider a scheme of Business Community of Calcutta and Chambers of Commerce regarding the improvement of slums which was rejected by the then Government of West Bengal. My last suggestion is that the Government should acquire lands in Calcutta and sell half land to the people through auction and in the rest multi-storied buildings should be constructed and given to the slum dwellers. By doing this the Government will earn income and the problem of Calcutta will be solved.

Shri Ramdhir Singh (Rohtak) : It cannot be denied that Calcutta is a big city and also its problems are very disturbing because about 20 lakhs refugees settled in Calcutta.

The unemployed youths of Calcutta are involved in Naxalite activities. My hon. friend had just called it a Socio-economic problem. Calcutta should be given preferential treatment in this respect for removing such blots.

I want to ask from the Government whether any scheme is being formulated to take help from UNESCO or World Bank or Monetary fund so that the work may be started in Calcutta ? If not, then whether the Government have any other scheme ?

Secondly, whether you have evolved a scheme of slum Clearance Corporation in Calcutta. If so, then what is its progress ?

Thirdly, I want to know whether the Life Insurance Corporation gives loans to the people under Own Your Housing Scheme and whether the people take such benefits.

You have nationalised Banks for the benefit of poor class. May I know whether these banks have helped them in the form of individual loans and whether you are increasing the amount ?

May I know whether you have time bound programme for the improvement of slums ? I think the time should be 10 or 15 years so that the hardships may be removed.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री परिमल घोष) : इस आधे घंटे की चर्चा का उपयोग मुख्यतः गंदी बस्तियों को हटाने की समस्याओं तथा समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में किया गया है । मैं अपना उत्तर इसी पहलू तक रखूंगा, इस पर चर्चा पहले भी गई थी । सरकार ने पहले ही गंदी बस्तियों का सुधार करने आदि का कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है, हमारे मोटे अनुमान के अनुसार कलकत्ता-हावड़ा में लगभग 3,000 गंदी बस्तियां हैं तथा उनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख है, इसके अतिरिक्त लगभग 5 लाख व्यक्ति हुगली नदी के दोनों ओर रहते हैं जो कि अधिकांश औद्योगिक श्रमिक हैं, हमारा अनुमान है कि इस कार्य के लिए हमें 10 से 15 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी । राष्ट्रपति शासन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया था कि राज्य सरकर के लिए उक्त समस्या को सुलझाने के लिए संसाधन जुटाना संभव न होगा अतएव विभिन्न सुधारों के लिए 150 करोड़ रुपयों का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया था तथा गंदी बस्तियों का सुधार उसमें से एक है, इसके अतिरिक्त सरकार ने 1970-71 और 1971-72 के लिए 8 करोड़ रुपयों का अनुमान दिया है । राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 2 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है ।

एक प्रश्न यह पूछा जाता रहा है कि इससे कलकत्ता की गंदी बस्तियों में कहां तक सुधार होगा ? हमारा उद्देश्य गंदी बस्तियों को हटाने के स्थान पर इसका परिवेशी सुधार करने का है। क्योंकि गंदी बस्तियों को हटाया जाना व्ययसाध्य होगा। इसके अतिरिक्त यह गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा, इस समय तो फिलहाल हर परिवेशी सुधार की ओर ध्यान दे रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे कलकत्ता की समस्या नहीं सुधरेगी। प्रश्न यह है कि यदि पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तो क्या हम इस समस्या को छोड़ दें अथवा इसका परिवेशी सुधार करें। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम गंदी बस्तियों में अमानवीय स्थिति को परिवेशी सुधारों द्वारा दूर किया जा सकता है। अतएव आवंटित धन का उपयोग मुख्यत: गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का परिवेशी सुधार करने में किया जा रहा है। परिवेशी सुधार योजना के अंतर्गत शरणार्थी बस्तियों को भी लाया गया है। दो वर्ष के समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 1,200 बस्तियों को लाया गया है तथा इसमे टालीगंज क्षेत्र की कई शरणार्थी कालोनियों को भी शामिल किया गया है।

एक अल्प बात यह उठाई जाती है कि हम इस कार्य के लिए विदेशी एजेंसी से सहायता क्यों नहीं लेते हैं तथा इसके लिए पी० एल० 480 के धन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। परन्तु अभी तक किसी भी विदेशी एजेंसी ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, कतिपय विदेशी एजेंसियों ने कहा है कि वे पश्चिमी बंगाल सरकार से निश्चित कार्यक्रम मिलने के पश्चात् ही सहायता कर सकते हैं, हम इसके लिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है पी० एल० 480 धन का उपयोग बम्बई के लिए नहीं किया गया है, यदि इस धन को वहां के लिए उपलब्ध किया गया तो निश्चय ही कलकत्ता को इसका भाग मिलेगा। हमने गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया है, 1,200 बस्तियों का सुधार दो वर्ष की अवधि में किया जायेगा, हमने यह परिवेशी सुधार कार्यक्रम अपनाया है तथा आवश्यकता पड़ने पर गंदी बस्तियों को हटाने का कार्यक्रम भी आरम्भ किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1970/17 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, December 8, 1970/ Agrahayana 17, 1892 (Saka)

Shahadra Printing Press, Navin Shahadra, Delhi-32.